Master copy

HARYANA VIDHAN SABHA

REPORT

Ravinder Singh

OF THE

mmittee on Government Assurances

2002—2003

THIRTY THIRD REPORT

Presented to the House on .... March, 2003.

YANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT, CHANDIGARH

2003

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee (iii)

Introduction (v)

Report (vii)

Appendix-I (ix)

Appendix-II (x)

Statement showing the number of Assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the months of June, 2001 and November 2001.

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

CHAIRPERSON

1. Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A.

MEMBERS

2. Shri Bhim Sain Mehta, M.L.A.
3. Shri Ram Kumar Katwal, M.L.A.
4. Smt. Sarita Narain, M.L.A.
5. Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A.
6. Shri Bhag Singh, M.L.A.
7. Shri Narender Singh, M.L.A.
8. Shri Bishan Lal Saini, M.L.A.
9. Shri Jasbir Singh Mallour, M.L.A.

SPECIAL INVITEES

1. Shri Zakir Hussain, M.L.A.
2. Shri Nafe Singh Jundla, M.L.A.
3. Shri Ram Phal Kundu, M.L.A.

SECRETARIAT

1. Shri Sumit Kumar, *Secretary*
2. Shri Kuldip Singh, *Joint Secretary*

INTRODUCTION

1. The Chairperson of the Committee on Government Assurances for the year 2002-2003 having been authorized by the Committee in his behalf to present the 33rd Report of the Committee.

2. The work done by the Committee after the presentation of the 32nd Report on 18th March, 2002 is set forth in this Report.

3. A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee for the year 2002-2003 has been kept in the Haryana Vidhan Sabha.

4. The Committee is grateful to the representatives of Power, P.W.D. (B & R), Health, Irrigation, Education, Public Health, Urban Development and Industries Department who appeared before it for oral examination and rendered useful help in its work.

5. The Committee placed on record its thanks and high appreciation of the whole hearted co-operation and assistance rendered by the Secretary, Joint Secretary/ Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat in its deliberations.

Dated : 27th Feb., 2003

CAPT. AJAY SINGH YADAV
CHAIRPERSON

REPORT

The Committee on Government Assurances for the year 2002-2003 consisting of Nine Members was nominated by the Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha on 3rd April, 2002. Capt. Ajay Singh Yadav, member of the Committee was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon'ble Speaker.

SITTINGS OF THE COMMITTEE

2. The Committee held 54 sittings during the year 2002-2003 (till finalisation of the Report).

3. The Committee scrutinised the statements made by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the months of June, 2001, Novmeber, 2001 and partly March, 2002. The statements which in the opinion of the Committee constituted assurances were sent to the Administrative Secretaries concerned for intimation the manner in which and extent to which the Government has implemented the same.

4. The Committee scrutinized the replies received from the Govt. from time to time in regard to the implementation of the assurances shown as outstanding in Appendix-I of the 32nd Report. A statement showing the total number of assurances dropped and the number of pending assurances is at Appendix-II. The Committee noted that in many cases the Government has taken undue long time for implementation of assurances. The Committee have made certain observations in respect of some of the replies scrutinised by it in order to elicit further information from the Government and dropped the rest.

5. The statement showing the number of assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the June, 2001and November, 2001 Report departmentwise, which are pending for implementation is given in Appendix-1 to the Report.

ORAL EXAMINATION

6. With a view to expedite action and ensure prompt implementation of the outstanding assurances, the Committee orally examined the representatives of the Power Health, P.W.D.(B&R), Irrigation, Education, Public Health, Urban Development and Industries Departments during the year. The Committee felt that some Departments were unable to implement certain assurances given by the Ministers on the floor of the House because as per version of the representatives of the Government, it becomes difficult to implement these assurances for certain reasons which are beyond the control of the Government.

7. The assurances which have outlined their utility due to passage of time or in respect of which Committee felt satisfied with the action taken by the Government to implement them have been dropped.

The Government Departments are not required to send replies in respect of those assurances which do not find mention in this Report.

GENERAL OBSERVATION IN REGARD TO IMPLEMENTATION OF ASSURANCES

8. The Committee recommends that normally the assurances should be implemented by the Government within three months from the date of which the assurances are given. In case it is not possible to implement an assurance within this period, the cause of delay should be communicated to the Committee so that it may judge whether the reasons given for the delay are justified or not.

The Committee further urge the Government to issue strict instructions in this behalf.

9. The Committee invite the attention towards U.O.No. 11/1/96, Pol.(2p) dated the 28th August, 1996 issued by the Chief Secretary to Government, Haryana and addresed to all the Administrative Secretaries wherein it was impressed upon :—

"That if an assurance is received by the Administrative Secretary who is not concerned with the particular assurance, it should be transferred demiofficially to the Administrative Secretary concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat who will then pursue the matter with the Administrative Secretary concerned."

In spite of the instructions issued vide U.O. mentioned above and subsequent reminders thereof, some of the Departments simply informed Haryana Vidhan Sabha Secretariat that particular assurance did not relate to them. The Committee again recommend that if an assurance does not relate to a particular Department, the same should be transferred to the Department to which it relates within a fortnight positively on the receipt of the assurance under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat and Chief Secretary to Government, Haryana. This will obviate unnecessary delay and correspondence.

10. The Committee have come to the irresistible conclusion that some of the assurances given several years back have not been implemented by the Government so for. However, the Committee realised that there may be some genuine case where the implementation of assurance is bound to take a long time because of various factors involved but that cannot be true in all cases, The Committee, therefore, recommend that the Government should take necessary steps so that these may be implemented as fas as practicable within the period of three months from the date of presentation of the Report.

APPENDIX-I

S. No.	Name of Department	Sr. No. of outstanding assurances	Pages
1.	General Administration	1	1—4
2.	Home	2–12	5—14
3.	Agriculture	13–23	15—26
4.	Cooperation	24–29	27—36
5.	Revenue	30–35	37—42
6.	Rehabilitation Department	36–38	43—48
7.	Industries	39	49—52
8.	Transport	40–59	53—66
9.	Irrigation	60–70	67—80
10.	Power	71–85	81—108
11.	P.W.D. (B & R)	86–114	109—136
12.	P.W.D. (Public Health)	115–131	137—154
13.	Education	132–143	155—166
14.	Health	144–163	167—182
15.	Urban Development Department	164–171	183—196
16.	Social Welfare	172–177	197—208
17.	Forests	178–180	209—212
18.	Excise and Taxation	181–182	213—220
19.	Technical Education	183–185	221—224
20.	Development and Panchayats	186–193	225—232
21.	Environment	194–196	233—244
22.	Mines and Geology	197–198	245—248
23.	Animal Husbandry	199	249—250
24.	Town and Country Planning	200–201	251—254
25.	Finance	202	255—256
26.	Information and Technology	203–204	257—258
27.	Sports	205–207	259—262
28.	Dairy Development	208	263—264
29.	Cosolidation	209-210	265—270
30.	Administration of Justice	211	271—272
31.	Rural Development	212	273—274
32.	Non Conventional Energy Sources	213	275—276
33.	Industrial Training	214	277—278

APPENDIX-II

Statement showing the number of assurances and replies received from the Government with regard to pending assurances of 32nd Report and the Sessions held in the months of June, 2001and November, 2001.

Total Number of Assurances sent to Govt. duiring the year 2002—2003 :	32nd Report—	285
	June Session, 2001	1
	Nov. Session , 2001—	23
	Total :	309
Number of assurances dropped by the Committee :	32nd Report—	9 2
	Nov. Session, 2001—	3
	Total :	95
Number of Outstanding Assurances :	32nd Report—	193
	Add Session June, 2001—	1
	Session November, 2001—	20
Outstanding Assurances in the 33rd Report :	Total :	214

APPENDIX

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री अतर सिंह सैनी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 151 के उत्तर में— क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जून, 1991 से अप्रैल, 1996 तक की अवधि के दौरान राज्य में एच०सी०एस०/सम्बद्ध सेवाओं की भर्ती में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं, यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई।	21-11-96 जी हां। सरकार को वर्ष 1996 के दौरान एच०सी०एस०/सम्बद्ध सेवाओं की वर्ष 1993 को लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। मुख्य आरोप थे—रिकार्ड में हेराफेरी, अवार्ड सूची/उत्तर पुस्तिकाओं को सील न करना, फर्जी रोल नं० की गोपनीयता का न रखा जाना, उच्च स्थान प्राप्त दस उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों का अपनाया जाना आदि। सरकार इस मामले की छानबीन कर रही थी कि कुछ उम्मीदवार हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश आधार पर नियुक्तियां देने बारे माननीय हाई कोर्ट में चले गये। मामला निर्णय के लिए न्यायालय में लम्बित है।	याचिका नं० 11684/96 का निपटान करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने, आयोग की कार्य प्रणाली के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो से जांच करवाये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर निम्न प्रकार से निर्णय दिया है— "यदि भ्रष्टाचार के बारे में कोई आरोप विद्यमान है और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दायर किए जाने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तो सरकार कानून के अनुसार यथोचित कार्यवाही कर सकती है, परन्तु इस शक्ति की आड़ में सरकार आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश में दखल-अन्दाजी नहीं कर सकती और निरर्थक आरोपों के आधार पर चौकसी विभाग से जांच करवा कर चयन किए गए उम्मीदवारों के अधिकारों को निष्फल नहीं कर सकती।" चौकसी विभाग द्वारा मामले में आगे जांच की गई है। चौकसी ब्यूरो से उनके पत्र	कमेटी इस बारे में ताजा स्थिति जानना चेहगी। (16-6-98)

दिनांक 19-1-98 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री एल०डी० कटारिया तत्कालीन अध्यक्ष एवं अन्यों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468/471/477-ए/120-बी तथा डी०पी०सी० एक्ट की धारा 13(1) के अन्तर्गत पुलिस थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक में केस दर्ज किया गया है।

(6-3-98)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

HOME DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
2.	मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के उत्तर में।	13-7-92 "....... फिर आपने (प्रो० सम्पत सिंह) एक बात कह दी कि बिना हथियारों के पुलिस के चार नौजवान मारे गए। अध्यक्ष महोदय, ये 13 पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने जा करके रेड किया था उनके पास बकायदा स्टेनगन, ए०के० 47 राईफल्ज यानी पूरा असला था लेकिन उनसे गलती यह हो गई थी कि उनके पास जो बड़ा असला था उसको अपनी गाड़ी में ही छोड़कर रेड के लिए चले गए और केवल पिस्तौल अपने साथ ले गए। जिसके कारण 13 पुलिस अधिकारियों को केवल एक ही आदमी मार कर चला गया। यह बड़ी भारी अचम्भे की बात है कि एक ही आदमी उनको मार कर चला गया। लेकिन हमारे बहादुर नौजवानों ने उसका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वे मारे गए उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको हमने बकायदा एक-एक लाख रुपए दिए हैं और परिवारों के एक-एक आदमी को नौकरी भी देंगे।"*********** *** अध्यक्ष महोदय, पहले यदि दो-दो लाख रुपए दिए गए तो इनको भी दो-दो लाख रुपए		

		ही दिए होंगे। इस समय मुझे ध्यान नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ इनको भी दो-दो लाख रुपए ही उन्हें नाम के अनुसार दिए जायेंगे।		
3.	श्री राजेन्द्र सिंह बिसला द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 616 के भाग (ख) के उत्तर में — (ख) क्या जिला फरीदाबाद में नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	31-8-83 हां जिला फरीदाबाद में एक नया पुलिस स्टेशन सूरजकुण्ड में बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।	मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। (31-10-94)	कमेटी इस बारे में लेटेस्ट पोजिशन जानना चाहती है। (21-11-94)
4.	तारांकित प्रश्न संख्या 499 के संदर्भ में साथी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "यह जो मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि आगामी कार्यवाही की जा रही है इस केस को हुए दो साल हो गए हैं। स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से आदमी इसमें इनवाल्वड हैं, किस-किस आदमी का उस इन्क्वायरी रिपोर्ट	26-2-94 * * * * * * * यह 14 लोग हैं जिनके खिलाफ कमीशन (आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुए) नुकसान के लिए जायजा लेने के लिए बिठाया गया। कमीशन ने रिपोर्ट दी है। आप जानते हैं कि 190 पेज की रिपोर्ट थी, यह रिपोर्ट आने में ही एक साल लग गया। हमने इस बारे में कुछ कार्यवाही की भी है। एक एस०पी० और एक एस०एस०पी० को सस्पैंड भी किया है। बाकि आदमियों की जवाबतलबी भी की है। कानून के मुताबिक जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह		

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	में नाम है और कौन से अफसर ने इसकी इन्कवायरी की है और कब तक यह इन्कवायरी पूरी हो जायेगी।"	हम जरूर करेंगे।		
		1-3-94		
5.	श्री सतबीर सिंह कादियान द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 155— क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला पानीपत में पुलिस लाईन की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि ऐसा है, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?	जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि का अर्जन किया जा रहा है तथा सभी ओपचारिकताएं वर्ष 1994-95 में पूरी कर ली जाएंगी। ज्यों ही धन की व्यवस्था होगी त्यों ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।		
		21-3-95		
6.	श्री सम्पत सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (घ) के उत्तर में— क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएँगे कि— (घ) ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट मामलों में से यदि कोई मामले सी०बी० आई० को सौंपे गये,	रणबीर सिंह सुहाग की हत्या से संबंधित मुकदमा नं० 5 दिनांक 9-1-95 धाराधीन 365/302 भा०द०सं० थाना सिविल लाईन रोहतक दिनांक 22-1-95 को सी०बी०आई० को दिया गया जिसमें तफतीश की जा रही है।		

	तो कितने तथा उनका ब्यौरा क्या है?	
7.	श्री सम्पत सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1095—क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) राज्य में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान हुई मोटर-वाहनों तथा अन्य दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है; (ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त दुर्घटनाओं में कुल कितने-कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए; तथा (ग) ऊपर के भाग (क) में यथा निर्दिष्ट दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त घायल व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवारों को प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा मुआवजे की यदि कोई राशि दी गई तो कितनी ?	23-3-95 ....मैं इसलिए अनुरोध करता हूँ कि या तो आंकड़े इकट्ठे करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाये या प्रश्न के भाग (ग) को हटा दिया जाए।
8.	तारांकित प्रश्न सं० 1038 के संदर्भ श्री राजेन्द्र सिंह बिसला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न--	24-3-95 ***बिसला जी ने कहा कि कई कांस्टेबलों ने बहादुरी की और उनको प्रोमोशन नहीं मिली है। उनका मैं केस मंगवाकर देख लूंगा। अगर यह

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	" *** मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि पुलिस एन्काऊंटर में मौके पर जवान मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, उनके साथ सरकार को सद्व्यवहार करना चाहिए और ऐसे बहादुर सिपाही की प्रोमोशन का भी अवार्ड के तौर पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए विशेषकर मेरे क्षेत्र में सिटी पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में एक एन्काउंटर हुआ था। ट्रक को लेकर बदमाश भागे। जो बल्लभगढ़ की पी०सी०आर० थी उन्होंने उसका पीछा किया और फायरिंग भी हुई। उस ट्रक पर बदमाश थे उन्होंने हमारे एक हैड कांस्टेबल जिसका पूरा नाम मेरे याद नहीं, उसको यादव कहते थे उस पर हमला किया। उसकी आंख खराब हुई। बड़ी मुश्किल से वह सरवाइव कर पाया। उसके साथ पी०सी०आर० के दीपचन्द सिपाही और दूसरा मि० खां था। इन दोनों सिपाहियों ने बड़ी बहादुरी की और बहुत बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल को मौके	वाकई बहादुरी का केस है तो उनको जरूर प्रोमोट करेंगे।		

	पर मारा। हमने बहुत कोशिश की कि उन दोनों सिपाहियों को कोई ईनाम मिले या प्रोमोशन मिले लेकिन उनको अब तक कोई प्रोमोशन नहीं दे पाए हैं। जो मौके पर बदमाश मारते हैं उनके साथ कम से कम ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए **** मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि उसका केस मंगवाकर देखें और जिन बहादुर सिपाहियों ने उन बदमाशों को मारा उनको न्याय देंगे और उनको ड्यू प्रोमोशन देंगे।		
9.	तारांकित प्रश्न संख्या 105 के संदर्भ में श्री सतपाल सांगवान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-- ''स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो 400 के करीब पुलिस के कांस्टेबल टरमीनेट हुए थे उनके बारे में यह सरकार क्या विचार करेगी।''	22-11-96 स्पीकर महोदय, उनके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके ठीक फैसला लेंगे क्योंकि इस बारे में हमारी पार्टी मैनीफैस्टो में भी यह बात थी कि पिछली सरकार की ज्यादतियों की वजह से जिन सिपाहियों को नाजायज तौर से बर्खास्त किया गया है उनको बहाल करेंगे। इस मामले में सोच विचार कर रहे हैं।	
10.	श्री रामफल कुण्डु एम०एल०ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 712 के उत्तर में— ''क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला जींद में थाना शहर सफीदों	23-7-98 जी हां।	तारांकित प्रश्न संख्या 712 1. पुलिस स्टेशन, सफीदों (जींद) का निर्माण 1978 में पी० डब्ल्यू०डी०, बी० एण्ड आर०	Committee would like to know the latest position in this regard. (13-12-2000)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	तथा थाना पिल्लूखेड़ा के लिए नई इमारतों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? "		हरियाणा द्वारा किया गया था। सरकारी भवन की औसतन अवधि 50 वर्ष है। इस भवन को बने अभी मात्र 22 वर्ष हुए हैं। पुलिस अधीक्षक जींद को पुलिस महानिदेशक हरियाणा के क्रमांक 3836/पी०-4 दिनांक 11-5-2000 द्वारा पुलिस स्टेशन, सफीदों की मुरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करवाने बारे हिदायत कर दी गई है। 2. पुलिस स्टेशन पिल्लूखेड़ा (जींद) तथा उसके स्टाफ के क्वार्टरज के लिए जमीन अभिग्रहण के लिए पहले ग्राम पंचायत अमरावती खेड़ा से जमीन देने बारे आग्रह किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत इस जमीन को पुलिस विभाग को स्थानान्तरित करने की इच्छुक	

			नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक जींद ने अपने पत्र क्रमांक 21600 दिनांक 11-7-2000 द्वारा उपायुक्त जींद को आग्रह किया कि सिंचाई विभाग हरियाणा की 17 कनाल 2 मरला जमीन जो जामनी चौंक पिल्लूखेड़ा पर है, को पुलिस विभाग को स्थानान्तरित करवाने बारे सरकार से अनुमति करवा दें। (5-10-2000)	
11.	श्री रामफल कुण्डु द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-718- "अध्यक्ष महोदय, जींद के अंदर ट्रेजरी आफिस कहीं है और डबल लौक रूम कहीं हैं। जब पब्लिक अपने काम के लिए जाती है तो उस वक्त कंसंर्ड आफिसर कभी ट्रेजरी आफिस में बैठता है, कभी डबल लौक रूम में बैठता है जिस के कारण वह पब्लिक को नहीं मिल पाता। अध्यक्ष महोदय, इससे पब्लिक को अपना काम करवाने में बड़ी तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने	28-7-98 अध्यक्ष महोदय, यह कार्य बहुत जल्दी कर दिया जाएगा।	इस बारे में पुलिस विभाग की कोई भूमिका नहीं है। (5-10-2000)	Committee would like to know the latest position in this regard. (13-12-2000)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	की कृपा करेंगे कि इन दोनों आफिसिज को एक जगह पर कब तक बनाएंगे जबकि जीन्द में मिनी सचिवालय पहले से ही बना हुआ है।"			
12.	राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के संबंध में।	10-3-2000 अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने एक प्वायंट रेज किया है मैं इनको और सारे हाउस को इससे थोड़ा आगे बढ़कर बताना चाहता हूं कि जैसे आल इण्डिया लेवल पर इन्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्सिज बनी हुई हैं, हरियाणा सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि इसी लेवल पर हम भी कोई इन्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स बनाएं। इस पर विचार चल रहा है ताकि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उन को इसमें रोजगार मिल सके। जैसे इन्डस्ट्रीयल हाउस, बैंक फाईनैंशियल इन्स्टीच्यूशन और भी दूसरी संस्थाएं हैं वे सब उस फोर्स को ले सकें और उनको पैसा दे सकें। यह मामला गवर्नमैंट की कंसीड्रेशन में है।		

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

AGRICULTURE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
13.	श्री दरियाव सिंह राजोर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 547— "क्या कृषि मन्त्री बताएंगे कि अनाज मण्डी झज्जर के कब तक काम आरम्भ कर देने की संभावना है ?"	11-3-93 वर्ष 1994 से अनाज मण्डी झज्जर को कार्यरत करने के प्रयत्न किये जायेंगे।	मार्किट कमेटी, झज्जर ने अपने पत्र क्रमांक 179 दिनांक 6-3-2002 तथा क्रमांक 200 दिनांक 15-3-2002 द्वारा सूचित किया है कि मण्डी में विकास कार्य जैसा कि पक्का प्लेटफार्म, कामन प्लेटफार्म, सड़कें व प्याऊ आदि का कार्य तत्कालीन उपनिवेशन विभाग द्वारा करवाया गया था। परन्तु मण्डी में अनाज की आवक बहुत कम होने के कारण व्यापारियों द्वारा दुकानों का निर्माण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप मण्डी कार्यरत नहीं हो सकी। अनाज मण्डी की वर्ष 1991 से वर्ष 1998 तक मार्किट फीस से प्राप्त होने वाली आय का विवरण निम्नलिखित है :— वर्ष — आय (रुपयों में) 1/91 से 3/91 — 34,442/- 1991-1992 — 2,45,198/- 1992-1993 — 1,80,416/-	The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-12-2002)

1993–1994	3.60.935/–
1994–1995	1,23,074/–
1995–1996	1,97,600/–
1996–1997	1,12,113/–
1997–1998	10,772/–

उपरोक्त वर्णित कमजोर वित्तीय स्थिति के मध्यनजर पिछले वर्षों में विकास के लिए मार्किट कमेटी द्वारा बजट प्राप्त नहीं किया गया। अत: 1997 तक मण्डी में विकास कार्य नहीं करवाये जा सके।

जिला झज्जर के गठन के पश्चात् मिनी सचिवालय के निर्माण हेतु दिनांक 31–7–1997 के मन्त्री परिषद के निर्णय के अनुसार अनाज मण्डी की 12 एकड़ भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दे दी गई और इसके विकल्प में 6 एकड़ भूमि का कब्जा हुडा द्वारा अभी तक मार्किट कमेटी को नहीं दिया गया। हुडा ने अपने पत्र क्र. 3744–45 दिनांक 20–6–02 को अपने सम्पदा अधिकारी, हुडा, बहादुरगढ़ को निर्देश दिये हैं कि मौके पर नाजायज अतिक्रमण हटाकर मौके की स्थिति अनुसार 6.62 एकड़ भूमि का कब्जा मार्किट कमेटी, झज्जर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			को दिया जाये। मौके पर उपरोक्त भूमि पर अभी भी नाजायज कब्जे हैं जो कि अभी तक हुडा द्वारा हटाये नहीं गये हैं। इस सम्बन्ध में हुडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भूमि का कब्जा मिलने के पश्चात् अनाज मण्डी में विकास कार्य कर दिये जाएंगे। (18-11-2002)	
14.	श्री अमर सिंह ढांडे द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 734— (क) क्या जिला कैथल के गांव सीवन में अनाज मण्डी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; तथा (ख) यदि ऐसा है तो पूर्वोक्त अनाज मंडी का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?	9-3-94 (क) जी हां। (ख) उक्त प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।	यह मामला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। (18-11-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-12-2002)
15.	तारांकित प्रश्न संख्या 1178 के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया	22-3-95 स्पीकर साहब, यह बात सही है कि उन्होंने एक्सैस पेमैंट की है। इसी वजह से उनके खिलाफ केस	श्री के.के. अग्रवाल, कार्यकारी अभियन्ता को उनके विभाग द्वारा नियम-7 में	The Committee would be like to

अनुपूरक प्रश्न :—"स्पीकर साहब, जिस सड़क के बारे में इन्होंने 9-10-1994 को एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है, वह सड़क भैंसवाल से तिहाड़ड्डा तक बननी थी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इस सड़क की चार किलोमीटर लम्बाई थी ठेकेदार ने एग्रीक्लचरल मार्किटिंग बोर्ड के अधिकारियों से मिल करके उसे दो किलोमीटर और लम्बा दिखा दिया और उसके लिए उसको पौने नौ लाख रुपए की एक्सैस पेमैंट कर दी गई? स्पीकर साहब, एफ०आई०आर० 9-10-94 को दर्ज हुई और उसके फौरन बाद ही एक्सीयन, एस०डी०ओ० और चन्दगीराम नाम के आदमी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया लेकिन दूसरे आदमी को साढ़े पांच महीने के बाद इन्होंने गिरफ्तार किया, इसका क्या कारण है?"

दर्ज हुआ है। इस केस में जो भी इन्वाल्व होगा, उसको स्पेयर नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी हो, गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे मैंने जवाब में बताया है कि ठेकेदार कार्यकारी अभियन्ता, उपमण्डल अभियन्ता के कार्यालयों के दो-दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बी०एण्ड आर० का एक्सीयन जो इस काम का इंचार्ज था, उसके खिलाफ बात आ रही है। उसके बारे में हमने बी०एण्ड आर० वालों को एक्शन लेने के लिए लिख दिया है। इन्वैस्टीगेशन में जो इन्वाल्व पाया जाएगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस केस के बारे में हमने और इन्वैस्टीगेशन स्टार्ट कर दी है। इस केस में जो भी इन्वाल्व होगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

चार्जशीट किया जा चुका है। अधिकारी के जवाब पर इस कार्यालय के अर्ध-सरकारी पत्र क्रमांक 31787 दिनांक 24.4.2001 द्वारा टिप्पणी वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) को प्रेषित की जा चुकी हैं।

श्री प्रेम सिंह, मण्डलीय लेखाकार द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट पैटीशन क्रमांक 2400/21002 दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6-2-2002 द्वारा निर्णय दिया गया कि श्री प्रेम सिंह, मण्डलीय लेखाकार के लीगल नोटिस जिसमें उस द्वारा अपनी पैडिंग चार्जशीट के निपटान बारे तथा निलम्बन भत्ता बढ़ाने बारे और तदानुसार उसका वेतन निर्धारण करने बारे अनुरोध किया था, का निर्णय की प्रति मिलने के दो मास के भीतर निपटान करें।

उपरोक्त निर्णय को मध्यनजर रखते हुए श्री प्रेम सिंह, मण्डलीय लेखाकार की चार्जशीट सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 8.5.2002 को निपटान कर दिया गया और कर्मचारी की एक वेतन

the oraly examine in this (11-12-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			वृद्धि संचित प्रभाव से रोकी गई है और उनका निलम्बन पीरियड लीव आफ काइंड डयू किया गया है। श्री पी०एस० रावत, अधीक्षक अभियन्ता एवं जांच अधिकारी को भी अनुरोध किया गया है कि श्री बी०एस० ढिल्लों, उप मण्डल अधिकारी (अब कनिष्ठ अभियन्ता) की जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करें। अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उस पर कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जायेगी। (18-11-2002)	
16.	तारांकित प्रश्न सं० 409 के संदर्भ में श्री नरपेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : "स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि निर्धारित मात्रा में कम सामान फव्वारा सैट का किसानों को सप्लाई	13-3-97 अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि फव्वारा सैटों की खरीददारी जो पिछली सरकारों द्वारा की जाती रही उसके बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है इस बारे में अगर माननीय सदस्य फिगर लेना चाहें तो मैं उन्हें दे दूंगा। पिछले साल कुछ फर्मों को निजी तौर पर फायदा पहुंचाने	The latest position in the case is that the matter is still under consideration of Court, the action would be taken up accordingly after the decision of the Court. The next date of hearing of the case is fixed on 3.7.2002. (4-6-2002)	Committee would be like to know the latest position in this regard. (31-7-2002)

(3)	(4)	(5)	
किया गया हो और अगर कोई ऐसा मामला नोटिस में आया है तो उस फर्म के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?"	के लिए मनमाने रेट के ऊपर उनकी मंजूरी दी जाती थी इन्होंने फर्म के खिलाफ कार्यवाही के बारे में पूछा है तो लोहारू के बारे में अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां हर पी०एन०बी० बैंक के अधिकारियों ने कुछ स्पिंकलर सैटों की खरीददारी में हेराफेरी की। विभाग ने तुरन्त नोटिस लेकर उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। 21-7-98		
17. श्री अशोक कुमार द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 661 का भाग (क) तथा (ख)— (क) क्या यह तथ्य है कि निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है— (1) पयाना से दौलतपुर ; तथा (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उपरोक्त सड़कों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?	(क) क्रम संख्या (2) की सड़कें अधूरी पड़ी हैं। (ख) क्रम संख्या (1) की सड़क कुछ कर्मचारियों और ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण अधूरी पड़ी है। न्यायालय के निर्णय के बाद कार्य हाथ में लिया जाएगा। क्रम संख्या (2) की सड़क संघटित रास्ता न होने तथा न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अधूरी पड़ी है। न्यायालय के स्थगन आदेश खारिज होने तथा वांछित भूमि भू-स्वामियों/ ग्राम पंचायत से मुफ्त उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।	इस सड़क की लम्बाई 2.56 कि.मी. है और 100 मीटर झगड़े वाली लम्बाई को छोड़कर बाकी सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। इस भाग में संगठित रास्ता सिजरा प्लान में दिखाया गया है। परन्तु मथाना गांव के भू-स्वामी श्री जोरा सिंह ने न्यायालय में यह दावा किया है कि इस भाग में माल रिकार्ड के अनुसार संगठित रास्ता नहीं है। माननीय न्यायालय ने अपील को दिनांक 28.11.2001 को खारिज कर दिया है। निर्णय की प्रति प्राप्त हो चुकी है व श्री जोरा सिंह भू-स्वामी द्वारा दायर की गई अपील सत्र न्यायालय, कुरुक्षेत्र में सुनवाई के लिए अब 10.10.2002 को निश्चित है। (18-11-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (18-12-2002)

F.O. 4/8/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
18.	बजट भाषण—1999-2000	3-2-99 XXX वर्ष 1998-99 के दौरान गन्ना विकास पर 9.23 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा गन्ना विकास के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 22.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 8-3-2001		
19.	श्री भीम सेन मेहता द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 397 : क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या इंद्री कस्बे में सब्जी मंडी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?	(प्रथम बैठक) हां श्रीमान् जी! स्थल चयन का मामला सरगर्मी से विचाराधीन है। मार्किट कमेटी, इंद्री द्वारा भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् निर्माण कार्य करने के लिए लगभग दो वर्ष लगेंगे।	इन्द्री में नई सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि नगरपालिका, इन्द्री से क्रय करने बारे मामला शहरी विकास विभाग को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 15435 दिनांक 21.2.2002 द्वारा प्रेषित किया गया था। शहरी विकास विभाग द्वारा उक्त भूमि को 2.28 करोड़ रुपये की कीमत पर स्थानान्तरण करने की पेशकश की है। क्योंकि भूमि की कीमत बहुत अधिक है। अत: सब्जी मण्डी को इन्द्री अनाज मण्डी (विस्तार) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि में ही विकास कार्य किये जाने विचाराधीन हैं जिसके लिए सरकार को दिनांक 9.9.2002 को	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (18-12-2002)

			प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अनाज मण्डी के विस्तार हेतु धारा-4 की अधिसूचना दिनांक 25.3.2002 को जारी की जा चुकी है। (18-11-2002)	
20.	तारांकित प्रश्न संख्या 593 के संदर्भ में श्री कंवर पाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो छछरौली मण्डी है जहां सबसे ज्यादा अनाज आता है और वह अभी तक पूरी नहीं बनी है। मुख्य मंत्री जी ने भी इस मण्डी के निर्माण का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं बनी है जिसके कारण किसानों को भारी दिक्कत है। पिछली बार भी किसानों को अपना सारा धान सड़कों पर डालना पड़ा था जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था।	13-3-2001 (प्रथम बैठक) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की भरपूर कोशिश है कि किसी किसान को अपनी सब्जी या दूसरा अनाज मण्डी में ले जाने के लिए 10 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करके आए हैं तो उस बात पर जल्दी गौर करके उस मंडी का निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा।	कार्यकारी अभियन्ता, यमुनानगर ने अपने पत्र दिनांक 24.5.2002 द्वारा सूचित किया है कि नई अनाज मण्डी, छछरौली का विकास विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में बोर्ड द्वारा मूलभूत सुविधायें जैसे कि सामान्य प्लेटफार्म, निजी प्लेटफार्म, कवर्ड शैड तथा सड़कें आदि प्रदान की गई हैं। बाकि भूमि के अधिकतर भाग में माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण विकास कार्य नहीं किये जा सके। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे के भू-भाग को छोड़कर बाकि भाग में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम व सीमेंट कंकरीट का अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाया जा चुका है तथा चारदीवारी बनाने हेतु 22.88 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 14.6.2002 को जारी की जा चुकी है। मार्किट कमेटी	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (18-12-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			का कार्यालय बनाने का अनुमान तथा मण्डी में वाटर सप्लाई व नल निकासी व्यवस्था के लिए भी अनुमान भी शीघ्र ही स्वीकृत कर दिये जाएंगे। (18-11-2002)	
21.	डा० सीता राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 636—क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या निकट भविष्य में डबवाली में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?	12-6-2001 (प्रथम बैठक) हां, श्रीमान् जी, डबवाली में 731 लाख रु० की लागत से एक फड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। Relate to Industries 28/11/03 LP 12/11/04	जी हां, डबवाली में भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार 731 लाख रुपये की लागत से एक फूड पार्क हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से स्थापित कर रही है, 113 एकड़ 2 कनाल 7 मरले भूमि इस परियोजना के लिये अर्जित की जा रही है। (9-9-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-2-2002)
22.	श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 34—क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि—	12-6-2001 हां श्रीमान् जी, स्थल का चयन किया जा चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल का कब्जा मार्किट कमेटी, अम्बाला छावनी को	निदेशक, शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा ने अपने यादि क्रमांक सं-2002/5053 दिनांक 15.7.2002 द्वारा सूचित किया	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (18-12-2002)

(क) क्या अम्बाला छावनी में नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी तथा चारा मंडी के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

देने के पश्चात् मंडी के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

है कि इस मामले में शहरी सम्पदा अम्बाला कैंट सैक्टर 10-11-12 पार्ट की अर्जनाधीन भूमि की उपायुक्त दरें मांगी गई हैं। उपायुक्त दरें प्राप्त होते ही प्रस्तावित भूमि का अवार्ड घोषित किया जाएगा।

(18-11-2002)

8.11.2001

23. श्री अमर सिंह ढांडे द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 714 :—

क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या रामथली समाधा (गुहला) में एक नई अनाज मंडी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अनाज मंडी पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) मार्किट कमेटी चीका (गुहला) के नाम भूमि स्थानान्तरित हो जाने के तुरन्त पश्चात् विकास कार्य प्रारम्भ करवा दिए जाएंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

CO-OPERATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
24.	शूगर मिलों की मशीनरीज की खरीद में दिये गये कमीशन के बारे में श्री धीर पाल सिंह द्वारा दिये गये वैयक्तिक स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में— मैं फिर आफर करता हूँ कि हमारे समय में जो तीन शूगर मिल लगी थीं उनकी मुख्य मंत्री इन्कवायरी करा लें और जो भी दोषी हों, उनको सजा दी जाए। मैं खुले मन से एक बार फिर आफर देता हूँ।	1-9-93 अध्यक्ष महोदय * * * * मेरा इतना कहना है कि यह बड़ा ही सनसनी खेज मामला हाऊस के सामने आया है जैसा कि धीरपाल जी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं हाऊस को विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत सीनियर अफसरों की एक कमेटी बनाकर तीनों चीनी मिलों के इस मामले की जांच कराएंगे और अगले सैशन से पहले उनकी रिपोर्ट आ जाएगी।	राज्य सरकार ने तीनों नई मिलों महम, कैथल तथा भूना की मशीनरी की खरीद व सिविल कार्य के अनुबंध के सम्बन्ध में सम्बन्धित डिविजन के आयुक्तों को इन्क्वायरी सौंपी थी जैसा कि आयुक्त रोहतक को महम की, आयुक्त अम्बाला को कैथल की, तथा आयुक्त हिसार को भूना की। सभी सम्बन्धित आयुक्तों द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महम, कैथल, भूना चीनी मिलों के लिए मशीनरीज की सप्लाई के लिए किए गए अनुबन्ध में कोई बदनीति या धांधलेबाजी की भावना साबित नहीं होती। यह पाया गया है कि चीनी मिलों ने सप्लायरज को कुछ अधिक राशि का भुगतान किया। (5-3-99)	Committee would like to know the latest position in this regard. (18-5-99)

25.	श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 34—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान शाहबाद चीनी मिल में निरीक्षण/जांच/छापा मारा गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या ऊपर के भाग (क) में यथा- निर्दिष्ट अवधि के दौरान उक्त मिल की चीनी का निर्यात किया गया है; यदि हां, तो इस प्रकार निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा तथा दर कितनी है; (ग) क्या राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राज्य में निजी स्वामित्व वाले चीनी मिलों ने भी चीनी का निर्यात किया है; यदि हां, तो इस प्रकार निर्यात की गई चीनी की दर क्या है; (घ) क्या ऊपर के भाग (ग) में यथानिर्दिष्ट निर्यात की गई चीनी की दर सहकारी चीनी मिलों द्वारा निर्यात की गई चीनी की	20-1-98 जी हां, वर्ष 1997-98 के दौरान शाहबाद चीनी मिल में निरीक्षण का छापा अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा मारा गया। निरीक्षण के दौरान बी०आई० एस०एस० की एक चीनी के कुछ बोरों का वजन किया गया था (बाजार में बेचने योग्य नहीं है) जिसका वजन 41 किलोग्राम से 108 किलोग्राम तक था। उसके पश्चात एक कमेटी (सिटी मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समिति, कुरुक्षेत्र, ई०सी०टी० शुगर फैडरेशन) के द्वारा बी०आई० एस०एस०के सारे बोरों का वजन डिप्टी कमीशनर, कुरुक्षेत्र की देखरेख में किया गया । कमेटी ने ये देखा कि बी०आई०एस०एस० के कुल बोरों का वजन 8325 क्विंटल रिकार्ड में दिखाया गया है, जबकि वास्तविक रूप में उपलब्ध चीनी की मात्रा 6928.15 क्विंटल है इस प्रकार वजन में कुल कमी 1396.85 क्विंटल पाई गई। (3-11-99)	Committee would like to know the latest position in this regard. (11-5-99)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	दर से ज्यादा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, (ङ) तथा (च) * * * * * *			
26.	श्री राम पाल माजरा, एम० एल०ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 614 का भाग (क) तथा (ख)— (क) क्या वर्ष 1997-98 से आज तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिलों ने किसानों पर एग्रीमैंट बांड के अनुसार मिलों को गन्ना सप्लाई न करने के लिए कोई जुर्माना लगाया है ; यदि हां, तो उसकी वर्षवार तथा मिलवार राशि कितनी हैं; तथा (ख) क्या ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट राशि उन किसानों को बांट दी गई है जिन्होंने मिलों को एग्रीमैंट बांड के अनुसार गन्ना सप्लाई किया था; यदि	21-7-98 **विवरणी** (क) जी हां, अब तक वर्षवार व जिलावार किसानों पर लगाई गई जुर्माने की राशि निम्न प्रकार है :—		

	पिड़ाई सत्र 1996-97	1997-98
	(राशि लाख रुपयों में)	
1. पानीपत	1.94	0.05
2. रोहतक	शून्य	14.34
3. करनाल	15.68	58.96
4. सोनीपत	3.28	9.48
5. शाहबाद	शून्य	250.00
6. जीन्द	शून्य	31.27
7. पलवल	7.17	9.00
8. महम	शून्य	शून्य
9. कैथल	शून्य	19.26

नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

10. भूसा	0.29	8.40
कुल योग	28.36	400.76

(ख) (क) भाग में ऊपर वर्णित राशि पलवल चीनी मिल ने वितरित कर दी है तथा सोनीपत चीनी मिल पिड़ाई सत्र 1996-97 की राशि का वितरण कर रही है। दूसरी चीनी मिलों ने अभी राशि का वितरण करना है जिसके निम्न कारण हैं :—

1. पानीपत सहकारी चीनी मिल

मिल ने धन के अभाव के कारण जुर्माने की राशि का वितरण नहीं किया है।

2. रोहतक सहकारी चीनी मिल

मिल ने 14.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था जिसमे से 10.75 लाख रुपए का किसानों से वसूल किया जा चुका है तथा शेष राशि 3.59 लाख रुपए की अभी वसूली की जानी है। धन अभाव के कारण अदायगी नहीं की जा सकी है।

3. करनाल सहकारी चीनी मिल

करनाल मिल ने पिड़ाई सत्र 1996-97 में 15.68 लाख रुपए तथा 1997-98 में 58.96 लाख रुपए जुर्माना लगाया था जिसमें से क्रमश 9.07 लाख रुपए तथा 9.22 लाख रुपए वसूल

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		किए जा चुके हैं । इस राशि का वितरण शेष राशि की वसूली होने तथा लेखों के मिलान होने पर किया जाएगा। **4. सोनीपत सहकारी चीनी मिल** चीनी मिल ने पिड़ाई सत्र 1996-97 में 3.28 लाख रुपए का जुर्माना किया था जो वसूल किया जा चुका है। इस राशि का वितरण लेखों का मिलान करने पर शुरू किया गया था । दिनांक 17-7-98 तक 2.48 लाख रुपए का वितरण किया गया है। शेष राशि चालू महीने में वितरित कर दी जाएगी। पिड़ाई सत्र 1997-98 के लेखों का मिलान किया जा रहा है। **5. शाहबाद सहकारी चीनी मिल** राशि का वितरण अभी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जुर्माने की राशि की अभी तक वसूली नहीं की जा सकी है। **6. जीन्द सहकारी चीनी मिल** पिड़ाई सत्र 1997-98 के दौरान मिल ने 31.27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जिसमें से 17.32 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। मिल		

के निदेशक-मण्डल ने एक मत के द्वारा गन्ना आयुक्त से गन्ना मिल को देने में छूट 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक प्रदान करने की प्रार्थना की है। गन्ना आयुक्त द्वारा इस मामले में आदेश जारी किए जाने पर जुर्माना राशि का वितरण किया जाएगा।

7. पलवल सहकारी चीनी मिल

मिल ने पहले ही पिड़ाई सत्र 1996-97 की जुर्माना राशि जो 7.17 लाख रुपए है वितरित कर दी है। पिड़ाई सत्र 1997-98 के दौरान जुर्माना की गई राशि जो 9.00 लाख रुपए बनती है का वितरण लेखा मिलान की वजह से अभी नहीं किया जा सका है।

8. कैथल सहकारी चीनी मिल

पिड़ाई सत्र 1997-98 में लगाई गई जुर्माना राशि का वितरण इसलिए अभी लम्बित है चूकिं कैथल क्षेत्र के किसानों ने जुर्माना राशि से छूट प्रदान करने की प्रार्थना की है क्योंकि उन्होंने अपना सारा गन्ना मिल को दे दिया है। वे गन्ना उत्पादन में आई कमी के कारण बन्धित किया गया गन्ना नहीं उगा सके। किसानों की प्रार्थना को ध्यान मे रखते हुए मिल प्रबन्धन संस्था ने ऐसे गन्ना उत्पादकों से 15-7-98 तक समझौता बन्ध के नियम 5 व 10 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। निदेशक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		मण्डल द्वारा इन प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने पर जुर्माना राशि का वितरण किया जाएगा । **9. भूना सहकारी चीनी मिल** धन अभाव के कारण जुर्माने की राशि का वितरण नहीं किया गया है।		
27.	वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 × × × गत वर्ष के 1135.62 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1997-98 में 1267.20 करोड़ रुपये के फसली ऋण प्रदान किये गये। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 2 प्रतिशत कम करके उसे 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया, जिससे किसानों को 30 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।		
28.	श्री जय सिंह राणा, एम० एल० ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1000— क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 1996-97 से 1999-2000 (आज	15-11-99 × × × श्री एम०एल० कौशिक के विरुद्ध जब यह शाहबाद तथा कैथल सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक थे, दो शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। इन शिकायतों में मशीनों एवं कल पुर्जों की खरीद में की गई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए		

तक)के दौरान राज्य में किन्हीं सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों ने उपकरणों इत्यादि की खरीद से संबंधित कोई अनियमितताएं की हैं, यदि हां तो दोषी पाये गये चूककर्ता प्रबंध निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई, तो क्या ?

थे। शाहबाद चीनी मिल से संबंधित शिकायत की जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से करवाई गई थी और जांच में उनके विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोप सिद्ध हुए थे। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर इस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं दी हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 101 के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य शिकायत जो सहकारी चीनी मिल कैथल से संबंधित है का प्रबन्ध निदेशक शुगर-फैड हरियाणा को टिप्पणी हेतु भेजा गया है जिनकी टिप्पणी अपेक्षित है।

× × × श्री कौशिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए दिनांक 18-5-99 को मुख्य सचिव को लिखा जा चुका है तथा कार्यवाही चल रही है। चीनी मिल प्रसंघ द्वारा उनके विरुद्ध सरचार्ज की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सहकारी चीनी मिल शाहबाद को निर्देश दिए गए हैं।

× × × श्री जे०पी० कौशिक, एच० सी०एस० के विरुद्ध जब वह प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल शाहबाद, पलवल तथा जींद में कार्यरत थे, दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों शिकायतों में

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		उनके विरुद्ध कल पूर्जे खरीदने, शीरा तथा चीनी को कम दामों में बेचने संबंधित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ये दोनों शिकायतें प्रबन्ध निदेशक शुगरफैड को टिप्पणी हेतु प्रेषित की गई हैं।		
		× × × श्री आर०पी० भारद्वाज, एच०सी०एस० के विरुद्ध जब वह प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल पानीपत में कार्यरत थे के विरुद्ध मिल में शराब बनाने हेतु परमैनटेशन टैंक को बनवाने में की गई अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत प्रबन्ध निदेशक शुगरफैड हरियाणा को जांच एवं रिपोर्ट हेतु प्रेषित की गई है।		
		15-11-99 (प्रथम बैठक)		
29.	श्री पवन कुमार द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 302—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या ज्योतिसर-पेहवा क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?	जी हां श्रीमान्! पेहवा क्षेत्र में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय प्रस्ताव के गुण दोषों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद लिया जाएगा।		

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

REVENUE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
30.	श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 11 के उत्तर में— (क) क्या हांसी में गांव ढाणा रामपुरा में महाराजा फरीदकोट से संबंधित भूमि के आबंटन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; तथा (ख) यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?	10-3-1992 (क) ग्राम ढाणा रामपुरा में भूतपूर्व महाराजा फरीदकोट की भूमि से संबंधित केवल एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है * * * * इस बारे उल्लेख है। (ख) ऊपर खंड (क) में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सरप्लस भूमि का अलाटियों को मौके पर कब्जा दिलाते समय किसी प्रकार हिंसा की संभावना को रोकने के लिए और मामले को स्थाई ढंग से निपटाने हेतु सभी संबंधित पक्ष एवं पार्टियों को विश्वास में लेकर सभी उचित कदम उठाये जाएंगे।	अलाटियों को कब्जा दिलाते समय कार्यवाही में रुकावट डलाने पर 11 व्यक्तियों (सूचि अनुबन्ध "क") के खिलाफ धारा 307 के अन्तर्गत केस दायर करवाया गया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस जमीन में 56 लोगों (सूचि अनुबन्ध "ख") द्वारा 28 कनाल जमीन पर मकान बनाकर, 3 ट्यूबवैल लगाकर व 1225 कनाल 15 मरले भूमि पर काश्त करके नाजायज कब्जा किया हुआ है। यह समस्त रकबा स्पेशल कलैक्टर, हरियाणा के आदेश दिनांक 1-5-1979 द्वारा सरप्लस घोषित किया गया था। इस आदेश व अन्य पारित आदेशों के विरूद्ध राजा हरिन्द्र सिंह के वारसान ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पैटीशन नं० 2994/91 दायर की हुई है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 8-10-1991 को बन्दी आदेश जारी किया गया था। (13-5-98)	समिति इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहती है। (12-11-98)

		24-2-93		
31.	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रो० सम्पत सिंह द्वारा उठाया गया प्रश्न लेकिन जो गुड़गांव के गांव की जमीन थी उस बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मौजा इनायतपुर की 90 एकड़ जमीन जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक मारुति के नजदीक, दोनों तरफ दिल्ली रोड है, उस जमीन के 645 मालिक थे 22-12-92 और 23-12-92 को पावर ऑफ अटार्नी के द्वारा रजिस्टर कारवाई गई। चार फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बरों 1083, 1084, 1087 व 1090 से यह रजिस्ट्रेशन हुई है। स्पीकर सर जो पावर ऑफ अटार्नी देता है, उस के अंगूठे का निशान या दस्तखत होते हैं। पावर ऑफ अटार्नी में नाम लिखते हुए कुल 130 लेकिन साईन या अंगूठे केवल लगे हैं 59 आदमियों के, बाकि 71 के न तो अंगूठे हैं न ही साईन हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।	अध्यक्ष महोदय, उस तहसीलदार को सस्पैंड कर दिया गया है और बाकायदा इन्कवायरी भी चल रही है। हम किसी को बक्शेंगे नहीं।	जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी तथा रिकार्डिड चेतावनी देने का टैनटेटिव निर्णय लिया जा चुका है तथा अधिकारी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु मामला अधिकारियों को प्रस्तुत किया हुआ है। (4-9-2002)	The Committee would like to orally examine department in this regard. (19-9-2002)
		27-2-96		
32.	बाढ़ के कारण हुई क्षति संबंधी प्रो० छत्तर सिंह चौहान द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न	****राज्य सरकार बाढ़ की भविष्य में रोकथाम के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है	राज्य में मई, 1996 में विधानसभा चुनाव होने उपरान्त मन्त्रीमण्डल द्वारा बाढ़ की	इस आश्वासन के बारे में कमेटी लेटेस्ट

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	संख्या 1237 का भाग (ङ)— "(ङ) क्या राज्य में भविष्य में ऐसी घटना को टालने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?"	जिसके लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन सिंचाई व संसदीय कार्य मन्त्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। समिति द्वारा 31-3-96 तक अपनी सिफारिशें देने की सम्भावना है।	रोकथाम हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिये मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया था। तदानुसार कमेटी का गठन कर दिया गया था। उक्त कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी जो सरकार के विचाराधीन है और इस स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी ओर आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई विभाग को मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में कन्सलटैन्ट (सलाहकार) नियुक्त करने बारे भी लिखा गया था। सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 22.11.99 को मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी जिसकी प्रोसिडंग्ज अभी प्रतिक्षित है। (5-6-2001)	पोजीशन जानना चाहती है। (19-9-2001)
33.	तारांकित प्रश्न संख्या 214 के संदर्भ में श्री विजेन्द्र सिंह कादियान द्वारा पूछा गया	13-3-97 अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल इस सवाल से मेल नहीं खाता लेकिन फिर भी मैं सदन की		

	अनुपूरक प्रश्न— "मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसानों को पास बुकें कब तक जारी कर दी जायेंगी?"	जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अगले साल हमने इस काम के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और मुद्रण एवं लेखन विभाग द्वारा पास बुक छापी जाएगी तथा दो या तीन महीने बाद हर जिले की एक तहसील को पास बुकें जारी कर दी जायेंगी। 1-2-99		
34.	तारांकित प्रश्न संख्या 799 के संदर्भ में श्री देवराज दीवान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के के कुछ गांवों में किसान तीन-तीन साल से फसलें नहीं बो सके और अभी भी उनके खेतों में पानी खड़ा है और जिनके पास एक एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन है और उन को तीन-तीन साल बिजाई न कर पाने से नुकसान हो गया तो वो कहां से खाएंगे और उनका क्या हाल होगा और क्या मन्त्री जी इस ओर कोई ध्यान देंगे?"	* * * * * * * * * * * * * * * * * * जहां पर फसलों का नुक्सान हुआ है और जो दो गांव माननीय सदस्य बता रहे थे उन दो गांवों का ही नहीं बल्कि इनके पूरे जिले के इस कस्बे का जो नुक्सान है उसके लिए मुआवजा हमारी राज्य सरकार के जो नार्मज फिक्स हैं उसके हिसाब से जरूर दिया जाएगा।	वर्ष 1998 में बेमौसमी वर्षा/तेज हवाओं से खड़ी फसलों को हुये नुक्सान बारे 757.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया था जिसमें 522.75 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित था। इस मांग के विरुद्ध भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केवल 13.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जो कि बहुत कम हैं। अतः मांगी गई केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत करने हेतू मुख्य मन्त्री जी की ओर से प्रधान मन्त्री जी, भारत सरकार को दि० 20-10-99 को अ.स. पत्र लिखा गया था, परन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई है। (30-3-2002)	Committee would like to know the latest position in this regard. (30-3-02)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		13-3-2001 (प्रथम बैठक)		
35.	श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 23 क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या निकट भविष्य में फरीदाबाद शहर में उपायुक्त कार्यालय तथा अन्य सिविल अधिकारियों के लिये एक लघु सचिवालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है तथा उस पर कितना अनुमानित खर्च किया जायेगा?	जी हां, लघु सचिवालय कम्पलैक्स का प्रशासकीय खण्ड वर्तमान लघु सचिवालय कम्पलैक्स में 12.50 करोड़ रु० की अनुमानित कीमत से निर्मित किया जाना है।		The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

REHABILITATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
36.	चौ० ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 279— क्या उपरोक्त भूमि के आबंटन में अनियमितताओं के बारे में अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद तथा पंचकुला जिलों के उपायुक्तों से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?	27-2-96 (ख). *उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद, और पंचकूला से कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला के उपायुक्तों द्वारा भूमि की बिक्री/अलाटमैंट के कुछ केसों की जांच की गई है तथा उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।	While giving reply to the unstarred Assembly Question No. 279 asked by Sh. Om Parkash beri, M.L.A., it was reported that no complaint has been received by the Govt. from DCs of Ambala, Yamuna Nagar & Panchkula. However, some cases of sale/allotment of land were inquired into by the Deputy Commissioners of Ambala, Yamuna Nagar & panchkula. Their enquiry reports in some cases had been examined and after examination, some irregularities were found to have been committed in 10 cases. In 9 cases, out of these 10 cases, orders of sale/allotment have been cancelled/set aside by making *suo moto* references. In the remaining one caeb *suo-moto* reference for cancellation of allotment has been made under Sec-	The Committee would like to know the latest position in this regard (10-8-99)

tion 33 of D.P. (C&R) Act, 1954 and the same is now fixed for 20-7-99.

(15-7-99)

37.	(क) श्री राम जी लाल, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 1007— क्या राजस्व राज्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान पुनर्वास/चकबन्दी विभाग द्वारा भूमि की बिक्री/आबंटन में कोई अनियमितताएं/अवैधताएं की गई हैं; (ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिला प्रशासन अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद तथा पंचकूला से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; तथा (ग) क्या सरकार द्वारा अब तक कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?	15-11-99 * * * इस संबंध में जिला प्रशासन अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद और पंचकूला से निश्चित तौर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी सरकार द्वारा वर्ष 1996 में यह निर्णय लिया गया कि जिला अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर के उन सभी अलाटमैंट/बिक्री/भूमि अंतरण के केसों की जांच की जाए जिनमें अनियमितताएं होने की आशंका थी। अलाटमैंट के 26 केसों में आयुक्त अम्बाला मण्डल, अम्बाला द्वारा जांच की गई और इसके अतिरिक्त क्रमश: 35, 2 और 39 बिक्री/भूमि अंतरण के केसों में क्रमश: उपायुक्त अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर द्वारा जांच की गई। जिला अम्बाला के 3 केसों को छोड़कर सभी केसों में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इन रिपोर्टों के भली भांति निरीक्षणोंपरांत यह पाया गया है कि अलाटमैंट के 25 केसों में और बिक्री/सम्पत्तियों के अंतरण के 25 केसों में अनियमित-ताएं की गईं, पाई गई हैं। इन सभी केसों में निपटान की गई संपत्तियों को वापिस लेने के लिए सक्षम न्यायालयों में सुओमोटो रेफरेंस किए	

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		जा चुके हैं। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है।		
38.	तारांकित प्रश्न संख्या 1007 के संदर्भ में श्री राम जी लाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''स्पीकर सर, मेरा सवाल यह था कि किन जिलों में यह (पुनर्वास/चकबंदी विभाग द्वारा भूमि की बिक्री/आवंटन में की गई अनियमितताएं/अवैधताएं संबंधी) बेकायदगी बरती गई और कितनी-कितनी भूमि उनको अलॉट की गई, अलाटी कौन-कौन हैं, जिनके नाम भूमि अलॉट की गई और क्या पिछली सरकार ने उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की और यदि नहीं तो आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?'' * * * मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह	15-11-99 स्पीकर सर, इस बारे में लिस्ट सदन के पटल पर रखी हुई है, 32 व्यक्ति दोषी हैं और इस लिस्ट में भूमि की तादाद और संख्या दी गई है इस मामले के अन्दर जो भी दोषी करार पाये गए हैं उनके 2-3 के खिलाफ कार्यवाही की गई है। पिछली सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। यह सारी कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी। *** मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि एक महीने के अंदर यह कार्यवाही कर दी जायेगी।	तारांकित प्रश्न संख्या 1007 के सन्दर्भ में श्री रामजीलाल एम.एल.ए. द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर सरकार ने वर्ष 1995 व 1996 के दौरान अलाट की गई भूमि की जांच राज्य चौकसी विभाग से करवाने का निर्णय लिया, कुल 92 केसों में से चौकसी विभाग ने 36 केसों में अब तक 4 एफ.आई.आर. दर्ज करवायी हैं और उनमें कानून के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी के केसों में चौकसी विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस प्रकार सरकार ने दिए गए	(समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (5-6-2002)

कार्यवाही तत्काल की जायेगी। क्योंकि जिन लोगों की जमीन अलॉट की गई है वे इन जमीनों को धड़ाधड़ बेचने लग रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी है।

आश्वासन की पूर्ण पालना कर दी है।
(31-4-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

INDUSTRIES DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
39.	वर्ष 1998-99 का बजट।	21-7-98 ***हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बावल में 156 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया है। इस औद्योगिक सम्पदा के अधीन लगभग 1200 एकड़ भूमि है। प्रथम चरण में लगभग 400 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 800 एकड़ भूमि का विकास करने का कार्य शीघ्र ही शुरु होगा। आगामी तीन वर्षों में इसमें 125 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। 107 एकड़ भूमि पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 450 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। आगामी तीन वर्षों में इस परियोजना में 75 से 80 करोड़ रुपये का निवेश होने की आशा है। साहा (जिला अम्बाला) में 1000 एकड़ क्षेत्र में एक विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका	यह सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पहले ही 1200 एकड़ भूमि ग्रोथ सैंटर बावल के लिए भूमि अभिग्रहण की जा चुकी है। भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार ने पहले ही अपने शेयर की राशि 10 करोड़, 5 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। आधारभूत सुविधाएं 800 एकड़ क्षेत्र में जैसे कि सड़क, जन सेवायें, बिजली का कार्य पूरे जोर-जोर से चल रहा है तथा 65 प्रतिशत कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 2002 तक पूरा होने की आशा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 107 एकड़ भूमि अभिग्रहण की है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, कुण्डली में ली गई है। भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही अपने शेयर की राशि 10 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। सभी आधारभूत	The Committee would like to know the latest position in this regard (4-12-2002)

F.D. 10-1-03

विकास दो चरणों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्नौर के समीप बढ़ी में 500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक केन्द्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 300 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। इस स्थल पर कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है और कार्य चालू है।

कुण्डली फेज चार में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लगभग 457 एकड़ भूमि अभिग्रहण की है, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे दे दिया है और प्रगति कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। प्रगति कार्य तभी शुरू नहीं किया जा सकता। प्रगति कार्य तभी शुरू किया जा सकेगा जबकि निर्णय हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के हक में होगा।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पहले ही 414 एकड़ भूमि ग्रोथ सैन्टर, साहा के लिए भूमि अभिग्रहण की है, और आधारभूत सुविधाओं का कार्य शुरू किया है।

सड़क तथा सीवरेज के लिए टैंडर मंगवाये गये हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लगभग 275 एकड़ भूमि फेज-1 औद्योगिक सम्पदा, बाहरी के लिए अभिग्रहण की है। सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क जन सेवाएं और बिजली की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। (27-10-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TRANSPORT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
40.	श्री मनी राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 1357–क्या कालांवाली मंडी में बस स्टैण्ड के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?	11-3-1991 ; जी हां।	कालांवाली में ''ए'' टाईप का बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु 363 × 348 भूमि नगर पालिका कालांवाली से 27000/- रुपये की लागत से खरीदी गई है। महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा ने सूचित किया है कि दिनांक 28-3-97 को इस भूमि की रजिस्ट्री परिवहन विभाग के नाम हो चुकी है। बस स्टैण्ड निर्माण बारे रफ अनुमान तैयार करवाए जा रहे हैं। (20-10-97)	कमेटी इस बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)
41.	तारांकित प्रश्न संख्या 350 के संदर्भ में श्री राम रतन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने मेरे हल्के हसनपुर में बस-स्टैंड बनवाने का जो आश्वासन दिया था, वह कब तक पूरा हो जाएगा ?''	23-12-1992 हसनपुर में जमीन ऐक्वायर की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है फिर भी मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है तो हमें उसे पूरा करना है व कार्यवाही हम पूरी करेंगे ?	परिवहन बोर्ड की 21-6-93 को हुई 67वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि बस-स्टैण्ड का निर्माण उस स्थान पर होगा जहां पर हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत एवं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड इत्यादि द्वारा मुफ्त भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। ग्राम पंचायत हसनपुर	Committee would like to know the latest position. (12-11-97)

		में ''ए'' टाईप का बस-स्टैंड बनाने के लिए 15-5-92 को 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास कर चुकी है, परन्तु उपरोक्त भूमि बिना लागत परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित करने बारे निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत विभाग द्वारा नि:शुल्क भूमि से उपलब्ध कराये जाने पर बस-स्टैण्ड के निर्माण बारे आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (20-10-97)	
	12-3-93		
42. चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 538 का भाग (क) तथा (ख)	(क) जी हां।	तावड़ू में ''ए'' टाईप का बस स्टैण्ड बनाने के लिए तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 12-12-95 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जमीन पर शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने मौखिक आश्वासन दिलाया था कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बस स्टैंड बनाने के लिए 2 एकड़ भूमि निशुल्क परिवहन विभाग को उपलब्ध करायेगा। इसके पश्चात यह मामला सी०ए०एच०एम०बी० के साथ भूमि उपलब्ध करवाने बारे टेक अप किया	(कमेटी इस आश्वासन के बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)
(क) क्या जिला गुड़गांव में तावड़ू में बस अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?	(ख) साईटिंग बोर्ड द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। स्थान का अनुमोदन सरकार से किये जाने के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त तथा विभाग के पास धनराशि की उपलब्धि पर ही बस अड्डे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।		

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			हुआ है। भूमि के उपलब्ध होने पर ही बस स्टैण्ड के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। (20-10-97)	
43.	तारांकित प्रश्न संख्या 557 पर श्रीमती चन्द्रावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- ''स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि दो साल से घाटा हो रहा है और 8 करोड़ के लगभग घाटा हो गया होगा क्या इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी फिक्स की गयी है। मेरा एक तो सवाल यह है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर एक बस की उम्र अपनी सड़कों के हिसाब को देखते हुए कितनी है? जब बसें चलती हैं तो उनमें स्टपनी और दूसरे इम्पलीमैंट्स वगैरह भी होते हैं?	31-8-1993 * * * * * * मिनी बसें घाटे में चल रही थीं और खरीदे जाने की जिम्मेवारी भी श्री ओम प्रकाश चौटाला तत्कालीन मुख्य मन्त्री तथा श्री धर्मवीर तत्कालीन परिवहन मन्त्री की बनती है। यह एक सरकारी रिपोर्ट है जो डायरैक्टर जनरल, विजीलैंस की तरफ से हमारे पास आई है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अभी एग्जामिन हो रही है इसके बाद इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।	In this connection it is mentioned that case has been registered vide मुकदमा नं० 13 तथा 13-6-96 धारा 13 (1) पी०सी० एक्ट 88 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा करनाल। The above case is further being investigated by Vigilance Deptt. The further details accordingly would be given by the vigilance Deptt. (20-10-97)	(कमेटी इस आश्वासन के बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)
44.	तारांकित प्रश्न सं० 1190 के संदर्भ में श्री राम कुमार कटवाल द्वारा पूछा गया	26-9-95 * * * सर हमने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) के पास	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन,	(कमेटी इस आश्वासन के बारे में नवीनतम

	अनुपूरक प्रश्न—"* * * इन्होंने कम से कम यह तो माना कि इस बस स्टैंड (राजौंद बस स्टैण्ड) के निर्माण का कार्य चौखट तक पहुंच गया है। सन् 1990 में यह बस स्टैंड बनना चालू हुआ था लेकिन अभी तक यह केवल चौखट तक ही बना है इसलिए मुझे चौधरी भजन लाल जी की सरकार पर विश्वास नहीं है कि यह सरकार उस बस स्टैंड को बनवा पाएगी। सर, वहाँ पर ईंटे भी पड़ी हुई हैं, बजरी भी पड़ी हुई है, सरिया भी पड़ा हुआ है, यानी सारा मैटिरियल वहां पर पड़ा है फिर भी इनकी नीयत उस बस स्टैंड को बनवाने की नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार उस बस स्टैंड को कब तक बनवा देगी?"	पांच लाख 46 हजार रुपये जमा करवाए हुए हैं और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि हम दस लाख रुपये इसके लिए 15 दिन के अन्दर-2 और रिलीज कर देंगे। * * * * * मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बस स्टैंड का काम 90 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा।	ने सूचित किया है कि बस स्टैंड की ईमारत का कार्य तथा फर्श आदि का कार्य चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। बस स्टैंड के कम्पाऊंड में मिट्टी डालने का कार्य प्रगति पर है और बिल्डिंग, फर्श आदि का कार्य चालू है। (20-10-92) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, ने सूचित किया है कि बस स्टैंड की ईमारत का कार्य तथा फर्श आदि का कार्य चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। बस स्टैंड के कम्पाऊंड में मिट्टी डालने का कार्य प्रगति पर है और बिल्डिंग, फर्श आदि का कार्य चालू है। (20-10-92)	स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)
		23-3-95		
45.	तारांकित प्रश्न संख्या 1058 पर श्री अजमत खां द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी हथीन में बस स्टैंड बनाने का काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करवा देंगे?"	जी हां।	हथीन में "ए" टाईप के बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना है। विभाग के पास पर्याप्त फण्डज नहीं है कि हथीन में बस स्टैंड का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में बनाने का आश्वासन दिलाया जा सके। प्रयुक्त बस स्टैंड की ड्राईंग अनुमोदित की जा चुकी है और लोक निर्माण विभाग को बस स्टैण्ड के निर्माण	(कमेटी इस आश्वासन के बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			के लिए रफ अनुमान तैयार कराने बारे लिखा हुआ है। (20-10-97)	
46.	बजट भाषण।	6-3-96 * * * * रोहतक वाईपास, अम्बाला, रतिया, भादड़ा, हथीन, तावड़ू तथा ढाण्ड से बस अड्डे बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।* * * * (11-3-97)		
47.	वर्ष 1998-99 का बजट।	21-7-98 * * * हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा नियमित रूप से पुरानी बसों की जगह नई बसें खरीदी जाती हैं। विभाग का चालू वर्ष में 466 बसों को बदलने का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 1998-99 में सड़क परिवहन के लिए 48 करोड़ रुपये के परिव्यय को निर्धारित करने का प्रस्ताव है।		
48.	वर्ष 1998-99 का बजट।	21-7-98 * * * विभाग ने यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 1997-98 में असंध, रतिया, जुलाना, समालखा, अटेली और चरखी दादरी में आधुनिक बस अड्डे आरम्भ किये गए हैं। राजौंद, रोहतक, अम्बाला छावनी और भिवानी में नये बस अड्डे निर्माधीन हैं।		

		बलदेव नगर कैंप, अम्बाला शहर और हथीन में बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और लौहारू, कलायत, बाढ़ड़ा और रादौर में बस अड्डे बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शूरू कर दी गई है। कैथल और सढौरा में भी बस अड्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।	कमेटी इस आश्वासन के बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (12-11-97)
49.	श्री राम पाल माजरा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 888 :— (क) क्या सरकार द्वारा सहकारी समितियों को बस रूट परमिट आबंटित करने का कोई निर्णय लिया गया है; तथा (ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?	2-2-99 (क) हां, श्री मान जी। (ख) परमिट मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 71(3) (घ) के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार अलाट किए जाएंगे।	
50.	बजट भाषण—1999-2000	3-2-99 हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर नियमित रूप से नयी बसें खरीदी जा रही हैं। इसके लिए वार्षिक योजना, 1999-2000 में 34.85 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है। गत दो वर्ष छः महीनों की अवधि के दौरान असन्ध, रतिया, जुलाना, समालखा, चरखी दादरी और अटेली में आधुनिक बस-अड्डों को चालू कर दिया गया है और अम्बाला छावनी, राजौंद,	

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		रोहतक बाई-पास और भिवानी के नये बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। सड़क परिवहन के लिए वार्षिक योजना, 1999-2000 में 40 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है। 5-9-2000		
51.	तारांकित प्रश्न संख्या 104 के संदर्भ में श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हथीन में बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी, वह बस अड्डा कब तक बन जाएगा?	अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हथीन में बस अड्डा बनाने की जो घोषणा की थी, उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा।	**Implementation by Government** Land measuring 39 Kanal 18 Marla was acquired by Transport Department in 1986 for construction of a bus stand at Hathin. However, final payment of compensation of land was made in Sept. 1995. Earlier the department had decided to construct a 'A' type bus stand at Hathin for which drawings were also got prepared from the Chief Architect, Haryana. However on 12.3.2001 it was decided that a 2 Bays bus stand instead of 'A' type, be constructed there. Therefore, the Chief Architect,	The Committee would like to know the latest position in this regard. (28-8-2001)

			Haryana has again been asked vide memo No. 1228/CAI/C dated 11.5.2001 to provide fresh drawings. However the said drawings are yet to be received from them. After the drawings are ceveived, these will be immediately returned to Chief Architect, Haryana after approval thereof, who will further send these prints to Engineer-in-Chief, P.W.D. (B&R) for preparation of rough cost estimates. Thereafter, the estimates will be placed before the Transport Board according necessary approval to the executing of construction work by P.W.D. (B&R) and sanction to release the funds. Then the funds will be released and P.W.D. (B&R) department will take construction work inhand. (18-7-2001)
52.	तारांकित प्रश्न संख्या 541 के संदर्भ में श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—	7-3-2001 (प्रथम बैठक) * * अगर नांगल चौधरी में भी बस स्टैंड की जरूरत होगी तो उसका भी सर्वे करवाकर उसको भी बनाने का प्रयास किया जाएगा।	

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	* * मैं उनको बताना चाहूंगा कि नांगल चौधरी सब तहसील है और यह हरियाणा का आखिरी स्थान है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर यह बस स्टैंड (नांगल चौधरी का बस स्टैंड) वे इस योजना में नहीं बना सकते तो क्या अगली योजना में इसको बनाने का सदन में आश्वासन देंगे?			
53.	श्री पदम सिंह दहिया द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 319—क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नई बसें खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उन पर कुल कितना खर्च किया जायेगा तथा इन्हें कब तक खरीदे जाने की संभावना है?	8-3-2001 (प्रथम बैठक) हां श्रीमान्‌जी ! 1100 बसें 93.50 करोड़ की लागत से खरीद करने का निर्णय लिया गया है। नई बसों की खरीद 31.7.2001 तक पूर्ण कर ली जाएगी।		
54.	तारांकित प्रश्न संख्या 411 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना	13-3-2001 (प्रथम बैठक) स्पीकर सर, वैसे तो यह मामला अम्बाला छावनी के बारे में था लेकिन फिर भी माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि करनाल के सैक्टर 12 में नया बस अड्डा बनाने के बारे में हम हुड्डा से बातचीत		

	चाहूंगा कि करनाल में जो सैक्टर-12 का एक नया बस अड्डा बनना प्रस्तावित है। वह कब तक बनाया जाएगा।	कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी बनाया जाए।
		13-3-2001 (प्रथम बैठक)
55.	तारांकित प्रश्न संख्या 411 के संदर्भ में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी बताया था कि रोहतक के पुराने बस अड्डे को रोहतक से बाहर बनाने की योजना है। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बस स्टैण्ड समयबद्ध योजना से बनाया जाएगा अगर बनाया जाएगा तो कब तक बनाया जाएगा?	स्पीकर सर, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि यह बस स्टैण्ड जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा और जहां तक समयबद्ध योजना की बात है इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि कब तक बनाया जाएगा।
		14-3-2001 (प्रथम बैठक)
56.	श्री रामबीर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 428—क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या पटौदी कस्बे में बस-अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि हैं, तो पूर्वोक्त बस अड्डे	जी हां। उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर सरकार पटौदी में बस स्टैण्ड बनाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?			
57.	तारांकित प्रश्न संख्या 428 के संदर्भ में श्री रमेश राणा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— स्पीकर सर, * * * घरौण्डा जी.टी. रोड पर स्थित है वहां पर न तो कोई बस स्टैंड है और न ही कोई बस क्यू शैल्टर है। क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि वहां पर बस स्टैंड या कोई बस क्यू शैल्टर बनाया जाए, अगर हां तो यह कब तक बनाएंगे?	14-3-2001 (प्रथम बैठक) स्पीकर सर, * * * सम्मानित सदस्य ने घरौण्डा बस स्टैंड के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर सर्वे करवा कर वहां पर बस स्टैंड बनाने बारे विचार किया जाएगा।		
58.	श्री पदम सिंह दहिया द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 321— क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में बस-सेवा/रूटों के निजीकरण संबंधी वर्तमान नीति में कोई	14-3-2001 (प्रथम बैठक) हां, श्रीमान् जी।		

परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

15-3-2001

(प्रथम बैठक)

59. श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 532—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या हथीन में एक बस अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

हां, श्रीमान् जी, सरकार द्वारा हथीन में 2 बेस बस अड्डे का निर्माण करना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

IRRIGATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
60.	श्री सूरजमल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 225— (क) क्या हसनगढ़ माईनर, नूनामाजरा माईनर तथा मान्डोठी माइनर का निर्माण शीघ्र कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि ऐसा है, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?	2-9-1993 (क) हां जी। (ख) हसनगढ़ माईनर का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। 1-आर नूना माजरा माईनर तथा मान्डोठी माईनर को /आगे बढ़ाने का कार्य धन की उपलब्धि पर वर्ष 1994-95 के दौरान आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।	(क) हसनगढ़ माईनर का कार्य जून 1997 में आरम्भ किया गया था जो कि मौके पर पूर्ण हो चुका है। (ख) 1-आर नूना माजरा माईनर की बढ़ोतरी—यह स्कीम आर.आई. डी.एफ.-II ना बार्ड के अन्तर्गत ना बार्ड द्वारा 2/2000 में पारित हुई है। इसकी लागत 50.65 लाख रुपये है। परिशोधित अनुमान रुपये 116.64 लाख का सरकार को विचार हेतु भेजा गया है। इस योजना के अलाईन्मैंट की मन्जूरी हो चुकी है व भूमि अधिग्रहण कागजात धारा 4, 6 सरकार द्वारा अनुमादित है। भूमि अधिग्रहण के तुरन्त पश्चात् कार्य शुरू कर दिया जायेगा। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (10-7-2002)

61. तारांकित प्रश्न संख्या 1233 के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि जे०एल०एन० सीपेज की वजह से 5461 एकड़ एरिया प्रभावित हुआ है इनको महकमें ने गलत सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय 20 हजार एकड़ एरिया सीपेज की वजह से अकेले रोहतक जिले में प्रभावित हुआ है हमने इस बारे में निरीक्षण किया है तभी यहां पर बता रहा हूँ।* * *	29-9-95 * जब मैं इनके साथ वहां पर गया था तो कुछ पम्प हाऊस खराब थे और उनको ठीक करने की बात कही थी। हमने उनको ठीक करवाया था लेकिन फिर खराब हो सकते हैं। हम इनको ठीक करवा देंगे * * * हम इसी प्रकार सब ब्रांच के साथ डिच ड्रैन बनाने की सोच रहे हैं और यह 62 बुर्जी तक बनाने का विचार है। वहां पर मोघे देने हैं और बांध देने हैं।* * *	जे०एल०एन० फीडर के दाईं और डिच ड्रेन का निर्माण आर.डी. 156000 से 325000 तक पारित हुआ था। वर्ष 1986 से 1988 तक यह ड्रेन आर.डी. 164000 से 304000 तक ही पूर्ण हुई तथा इसका पुनः निर्माण वर्ष 1997-98 में किया गया। लेकिन इसके अन्दर कुछ भाग आर.डी. 184000 से 195000, 198000 से 203000 और 206750 से 234920 मध्य भाग को डिजाईन पर लाने का कार्य मौके पर चालू है और इसको 30.9.02 तक पूरा कर दिया जायेगा वर्तमान में जे.एल.एन. की सीपेज से लगभग 400 एकड़ भूमि पर प्रभावित हो रही है। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (10-7-2002)
62. श्री सतबीर सिंह कादियान द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 1103— (क) क्या जिला पानीपत में बलाना माईनर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त माईनर को कब तक बनाए जाने की	9-3-95 (क) हां, श्रीमान् जी (ख) निधियों की उपलब्धि पर माईनर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।	बलाना माईनर के निर्माण की योजना नबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ०-5 भाग-1 के तहत 196.52 लाख रु० की लागत से मंजूर है, भूमि अधिग्रहण कागजात 4 व 6 सरकार के द्वारा मन्जूर हो चुके हैं और शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (10-7-2002)

Dropped on 19/11/04

(11)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	संभावना है ?			
63.	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्य मन्त्री श्री बंसी लाल द्वारा दिया गया उत्तर।	24-5-96 * * * * लेकिन जो चौधरी भजन लाल जी ने सदन में बताया उसके हिसाब से लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ठीक गई। हम उस केस को परस्यू करेंगे और दूसरी तरफ साथ ही साथ हम पंजाब की सरकार से भी बात करेंगे।* * * * इसी तरह गंगा का पानी है, उसको लाने के लिए, केस को री-ओपन करवाकर हमारी भरसक कोशिश होगी कि गंगा का पानी लायें।	सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 15.1.2002 को अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले के अनुसार पंजाब को सतलुज यमुना लिंक नहर के शेष निर्माण कार्य को एक वर्ष के अन्दर-2 पूरा करने के आदेश दिये गये हैं। यदि पंजाब द्वारा इस नहर का निर्माण कार्य निर्धारित एक वर्ष की अवधि में पूरा नहीं करवाया जाता है तो केन्द्र सरकार को अपनी एजेन्सियों द्वारा इस कार्य को यथा शीघ्र पूरा करवाने के आदेश दिये गये हैं। शारदा यमुना लिंक परियोजना के निर्माण का मुद्दा हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 1 अप्रैल, 2002 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उठाया गया। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (10-7-2002)

64. कैप्टन अजय सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या यह तथ्य है कि जे०एल०एन० उठान नहर तथा महेन्द्रगढ़ उठान नहर के पम्प अपनी मूल क्षमता के अनुरूप पानी नहीं निकाल रहे हैं तथा तुरन्त मुरम्मत / बदलने की आवश्यकता है; तथा (ख) यदि हाँ, तो ऊपर यथानिर्दिष्ट पम्पों को कब तक मुरम्मत करने/बदले जाने की सम्भावना है?	11-11-96 (क) जी हां। (ख) जे०एल०एन० उठान नहर के कुछ पम्प 30-11-96 तक कार्य करने योग्य बना दिए जाएंगे। जे०एल०एन० उठान नहर/महेन्द्रगढ़ नहर सिस्टम के बाकि पम्पों की भी, जिनकी ज्यादा मरम्मत होनी है या तबदीली होनी है, फण्ड मिलने के आधार पर 31-3-98 तक कर दी जाएगी।	जे.एल.एन. उठान नहर पर कुल 27 पम्प हाऊस बने हुए हैं जिन पर 5 से 150 क्यूसिक क्षमता के 246 पम्प लगे हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार पानी चलने की वजह से लगभग सभी पम्पों की क्षमता कम हो चुकी है। 78 पम्प 20 से 150 क्यूसिक क्षमता वालों को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि इनकी पाईप एम्पेलर बिल्कुल खराब हो चुके हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 29वीं मीटिंग के अनुसार 15 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी जिससे 5 पम्प मुरम्मत करवाए जा सके। वर्ष 1999-2000 में कुल 45 लाख रुपये की धन राशि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 30वीं मीटिंग के अनुसार यह राशि दी गई जिससे 10 लाख मास जून 99 में प्राप्त हुई और 2 पम्प हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप निगम से रिपेयर करवाए गए और 35 लाख रुपये की राशि 29.12.99 को प्राप्त हुई जिससे 7 पम्प मुरम्मत के बाद पम्प हाऊस जे.एफ.-I और जे.एफ.-II में लगाए जा चुके हैं। तीन और पम्प खोलकर	सांमित इस बारे लेटस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (10-7-02)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			एच.एस.एम.आई.टी.सी. वर्कशाप में भेजे हुए थे, वे मुरम्मत के बाद आ चुके हैं तथा उनको पम्प हाऊस जे.एफ.-I, जे.एफ.-II में लगाए जा चुके हैं। नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. V भाग-II के अन्तर्गत 272 लाख रुपये का एक परियोजना अनुमान स्वीकृत हो चुका है जिससे 3 लाख रुपये प्राप्त हुए और इसके तहत एक पम्प (पी.15) 125 क्यूसिक पम्प घर जे.एफ. I का रिपेयर करा दिया गया और पम्प घर जे.एफ.-I पर लगा दिया गया है। उसके पश्चात नाबार्ड-Vभाग-II के तहत 26 लाख रुपये प्राप्त हुए और पहले के 3 लाख रुपये इस प्रकार कुल 29 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं इनमें से 14 लाख रुपये एच.एस.एम.आई.टी.सी.पेमेंट कर दी गई है। और विभिन्न पम्प हाऊसों पर लगा दिये गए हैं। मुरम्मत किये गए पम्पों की डिटेल	

निम्नलिखित है :—

1. जे एफ.-I	4 नं. 150 क्यूसिक	
	1 नं. 50 क्यूसिक	
2. जे.एफ.-II	3 नं. 150 क्यूसिक	
	3 नं. 50 क्यूसिक	
3. जे.एफ.-I	8 नं. 125 क्यूसिक	
जे.एफ.-II महेन्द्रगढ़ की साईड	5 नं. 150 क्यूसिक	
जे.एल.एन. कैनाल साईड	1 नं. 150 क्यूसिक	
	3 नं. 50 क्यूसिक	

बाकि पम्प राशि प्राप्त होने पर ठीक करा दिये जाएंगे।

जहां तक महेन्द्रगढ़ उठान नहर प्रणाली का सम्बन्ध है इस पर 84 पम्पों को ठीक करवाया जाना था जिसमें से 17 पम्पों को वर्ष 1997–98 के दौरान ठीक करवा दिया गया था। 10 पम्पों की मुरम्मत का एजेण्डा जोकि 35 लाख रुपये अनुमानित लागत का था, को वर्ष 1999–2000 की बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 30वीं मीटिंग में मंजूर हुआ था उनमें से 8 पम्पों जिनकी क्षमता 150 क्यूसिक थी 24 लाख रुपये की लागत से हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप निगम की कार्यशाला से

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			ठीक करवा लिये गए थे और बाकि बचे 11 लाख रुपये जोकि 2 बड़े पम्पों के लिए थे उन में से 11 पम्प जोकि 5 से 10 क्यूसिक के थे को 2 लाख रुपये तथा 20 पम्प जोकि 10 से 50 क्यूसिक के थे को 9 लाख रुपये की लागत से विभागीय कार्यशाला से मुरम्मत करवा ली गई। बाकि बचे पम्पों को आर.आी.डी.एफ. 5 भाग-2 द्वारा धन उपलब्ध कराने तथा विस्तृत लागत अनुमान (डिटेलड वेस्ट एस्टीमेट) पास होने पर 31-3-2004 तक ठीक करा दिये जाएंगे। (9-7-2002)	position in this regard (10-7-2002)
65.	वर्ष1998-99 का बजट	21-7-98 *** विभिन्न सिंचाई अधीन क्षेत्रों जैसे कि भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के सुधार की कई योजनाएं स्वीकृत होने पर भी एक दशक से अधिक समय से लम्बित पड़ी थी। इसके लिए नाबार्ड ने 61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता		

		आर०आई० डी० एफ०-II के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई है और इनमें से बहुत सी योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। वार्षिक योजना 1998-99 में सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण की विभिन्न योजनाओं के लिए 550-81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 23-7-98		
66.	श्री नफे सिंह राठी द्वारा तारांकित प्रश्न सं० 702 के उत्तर में— "क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला झज्जर में गांव टांडा हेड़ी से गांव लावा खुर्द, नूना माजरा तक एक रजवाहे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?"	"हां, श्रीमान जी।"	1-आर नूना माजरा माइनर की स्कीम 50.65 लाख रुपये की लागत से नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत दिनांक 25-2-2002 को पारित हुई है। भूमि अधिग्रहण कागजात धारा 4 व 6 सरकार द्वारा 16-4-2002 को अनुमोदित हो चुके हैं। 34.90 लाख रु० भूमि अधिग्रहण मुआवजा हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास दिनांक 31-3-2002 को जमा करवा दिये हैं। इस योजना का संशोधित अनुमान 116.64 लाख रु० का सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अनुमोदन पश्चात कार्य शीघ्र ही शुरु कर दिया जाएगा। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard (24-7-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
67.	तारांकित प्रश्न संख्या —785 के संदर्भ में श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस काम (गोच्छी तथा सेरिया के बीच से बरसाती पानी के निकास के लिए उचित निकास प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए) पर कुल कितना पैसा खर्च होगा और यह स्कीम कब तक पूरी हो जाएगी इसके साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि डीघल तथा गंगटान के साथ साथ लगते गांव हैं उन गांवों में जब भी ज्यादा बरसात होती है तो बरसात का पानी खड़ा होने की समस्या हो जाती है क्या उन गांवों से बरसात का पानी निकालने के बारे में महकमें की तरफ से कोई योजना अंडर कंसीड्रेशन है?''	28-7-98 * * * * माननीय सदस्य ने इस योजना पर कुल कितना खर्च करने के प्रावधान के बारे में पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस योजना पर 21.15 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है और 17.4.98 को बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से इस योजना को स्वीकृत करवाया जा चुका है। हम इस योजना के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि यह योजना 30-6-99 तक पूरी हो जाएगी। * * * उसके बारे में भी (डीजल और गंगटान गांवों में से बरसात का पानी निकालने बारे) हम सर्वे करवा रहे हैं। जब उसकी अलाइनमैंट निश्चित हो जाएगी तो इस योजना को भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।''	श्रीमान जी, गोच्छी हाऊस लिंक ड्रेन के लिए भूमि अभिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि अभिग्रहण अधिकारी ने 17.7.2002 को अवार्ड घोषित कर दिया है। कार्य के अनुमान (एस्टीमेट) व टैण्डर भी स्वीकृत हो चुके हैं। अतः यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा जोकि 31.12.2002 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस स्कीम पर लगभग 30.54 लाख रुपये खर्च होंगे। गांव डीघल तथा गंगटान और साथ-साथ लगते गांवों के लिए एक डीघल-दोच्छी लिंक ड्रेन सरकार द्वारा हरियाणा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 28वीं मीटिंग में मंजूर हो चुकी है। डीघल गांव की इस्तेमाल (कन्सोलिडेशन तो हो चुकी है लेकिन मौके पर सिविल प्रशासन द्वारा इसे लागू नहीं किया गया जिसके कारण यह संभव नहीं है कि भूमि अभिग्रहण के कागजात व केस उपायुक्त झज्जर को	(समिति इस आश्वासन के बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (24-7-2002)

		अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जा सके। आगे की कार्यवाही इस्तेमाल के लागू होने के बाद की जायेगी। (9-7-2002)	
68. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन—	2-2-99 अब रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जिस पर 40-45 करोड़ के लगभग पैसा खर्च होना है उसका फाउंडेशन स्टोन रख कर आया हूँ और उसको हम दो साल में बना कर तैयार कर देंगे। * * * * * * * रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन के लिये नाबार्ड से 39 करोड़ 60 लाख रुपये का ऋण मंजूर कराया है जिससे हम 78 हजार 790 एकड़ भूमि में पानी पहुंचाएंगे। और पूरे अहीरवाल में 99 गांवों को इससे फायदा होगा। *	यह स्कीम 39.60 करोड़ रुपये की लागत से आर०आई०डी०एफ० 4 के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित है। इसके तहत 15 नहरों का निर्माण होना है। जिसमें से 7 नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनसे पानी अभी चलना शुरू नहीं हुआ है। पटौदी डिस्ट्रीब्यूट्री पर लगभग 5 कि०मी० तक तथा 4 नहरों पर 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष चार नहरों दौलताबाद, डिक्ट्री, मुजफरा माईनर, खेड़ा सब माईनर तथा फरीदपुर माईनर के लिए भूमि मुआवजा हेतु लगभग 381 लाख रुपये भूमि अधिक ग्रहण अधिकारी के पास दिनांक 31.3.2002 को जमा करवा दिये हैं। सभी नहरें सम्भवत: 31.3.2003 तक पूरी हो जाएगी। (9-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (24-7-2001)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
69.	वर्ष 2000-2001 का बजट।	14-3-2000 कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा जिला की जल-निकास समस्या के स्थाई समाधान हेतु हिसार-घग्घर नाले के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिस पर लगभग 770 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस स्कीम को डब्ल्यू०आर०सी०पी० में सम्मिलित करवाने हेतु विश्व-बैंक प्राधिकारियों से आग्रह किया जा रहा है।	775 करोड़ रुपये लागत की हिसार घग्गर नाले के निर्माण योजना को विश्व बैंक ने एच०डब्ल्यू०आर०सी० परियोजना के अन्तर्गत 31.12.2001 के बाद नामन्जूर कर दिया था। यह परियोजना 3266 क्यूसिक क्षमता के लिए तैयार की गई थी। अब यह परियोजना 500 क्यूसिक क्षमता के लिए लगभग 168.77 करोड़ रुपये लागत की तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 109 कि०मी० लम्बी हिसार घग्गर ड्रेन योजना लगभग 85 करोड़ रुपये की लागत से, बास हांसी ड्रेन लगभग 36 करोड़ रुपये की रंगोई खरीफ नाला लगभग 30 करोड़ रुपये घरौंदी तथा सुन्दरपुर नाला लगभग 14 करोड़ रुपये, गतौली करेला नाला लगभग 2 करोड़ रुपये तथा निजाम पुर भैरों खेड़ा नाला लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं का निर्माण होना है। इस	Committee would like to know the latest position in this regard. (24-7-2002)

F-O 27.8.03

परियोजना के लिए नाबार्ड से ऋण लेने हेतु सरकार के विचाराधीन है।

दृष्टिकोण से निम्न शर्तों के साथ मंजूर कर दी गई :—

1. यह परियोजना केवल मानसून मौसम में ही कार्य करेगी।
2. जब घग्गर नदी में ओटू बीयर से नीचे पानी की क्षमता 30,000 घन फुट से अधिक होगी तब इस परियोजना का पानी घग्गर नदी में प्रवाहित किया जाएगा।
3. घग्गर नदी के संग्रहण क्षेत्र में बाहर का पानी हिसार घग्गर ड्रेन में नहीं डाला जाएगा।

तथापि यह परियोजना तकनीकी स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विभागों में विचाराधीन है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने के लिए इस परियोजना पर दो सलाहकार विश्व बैंक के आदेशानुसार प्रस्तावित किये जा रहे हैं। उनकी प्रगति रिपोर्ट पर विचार विमर्श के पश्चात् ही विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना पर प्रस्तावित धन राशि 245.00 करोड़ रुपये 7286 एकड़ भूमि अभिग्रहण पर राज्य सरकार

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			को खर्च करने होंगे क्योंकि विश्व बैंक की जल संसाधन एकीकरण परियोजना पर जारी समीक्षा में यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली थी क्योंकि विश्व बैंक भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। (9-7-2002)	
70.	श्री धर्मपाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 731 :— क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव निगद में ड्रेन खोदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?	8-11-2001 हां, श्रीमान् जी। गांव निगद् के लिए पुण्डरी ड्रेन नं० 1 की बुर्जी नं० 55000 से 89000 तक के निर्माण के लिए एक योजना सरकार एवं नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ०-6 परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है।		

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

POWER DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
71.	राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर में -- एग्रीमेंट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह काम जल्दी शुरू होने वाला है। पत्थर रखा गया है। एक इन्होंने हिसार व फरीदाबाद के बारे में भी कहा। उसका बाकायदा एम.ओ.यू. साईन हो गया है। उस पर भी एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। इसी तरह से इन्होंने फरीदाबाद गैस बेस्ड प्रोजैक्ट का भी जिक्र किया। इसको जापान गवर्नमेंट बनाएगी। तकरीबन सारा मामला तय हो चुका है और काम शुरू होने जा रहा है।	31-8-93 फरीदाबाद में प्राकृतिक गैस पर आधारित 432 मैगावाट क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 143 मैगावाट की 2 ईकाइयां एवं 146 मैगावाट की एक ईकाई जुलाई, 1999, अक्तूबर, 1999 एवं जुलाई, 2000 में चालू कर दी गई थी। इस पूर्ण परियोजना से राज्य को प्राय: 90 से 100 लाख यूनिट प्रतिदिन मिलती रही है। यमुनानगर ताप बिजली को दो चरण में पूरा करने का फैसला लिया गया है। चरण-1 के तहत कोयले पर आधारित 500 मैगावाट की क्षमता के प्लान्ट निजी क्षेत्र में लगाने के लिये प्रस्ताव जुलाई, 1998 में मांगे गये थे। कुछ कम्पनियों को फौरी तौर पर छांटा गया था और उनसे विस्तृत प्रस्ताव मांगने का कार्य शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज तैयार किये गये थे और उन्हें हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया। आयोग ने कुछ मूलभूत प्रश्न किए थे जिनको ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों में संशोधन किया गया है। इस संशोधित दस्तावेजों पर राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित है जिसके उपरांत इन्हें दोबारा आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। इस		समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (2-5-2002)

परियोजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के चरण-2 में सरकारी क्षेत्र में (स्टेट सैक्टर में) 2×250 यानि कि 500 मैगावाट क्षमता का कोयले पर आधारित ताप विद्युत घर लगाने के लिए राज्य सरकार ने 22.7.2002 को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 1107 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1983-86 के दौरान किया गया। इस परियोजना पर अभी तक लगभग 22 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा चुका है जिसमें भूमि अधिग्रहण की कीमत, एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए कार्य व सलाहकार कम्पनियों को दिए गए खर्चे शामिल हैं।

हिसार ताप बिजली परियोजना के लिए वांछित ईंधन तथा अन्य मूल विकल्पों जैसे वित्तीय प्रबन्ध, प्रबन्ध विधि, आदि बारे विमर्श चल रहा है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य की बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए पानीपत में 250 मैगावाट (प्रत्येक) की इकाई 7 एवं 8 के कार्य को प्राथमिकता दी गई है ताकि कम से कम समय में व कम से कम लागत से राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। इस परियोजना का निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार की कम्पनी भारत हैवी इलैक्ट्रीकल

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		(भेल) को सौंपा गया है। कांट्रैक्ट के मुताबिक इस परियोजना का निर्माण 31/35 महीनों में पूरा किया जाना है। (7-9-2002)		
72.	वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 राज्य सरकार सभी उपभोक्ताओं को वर्ष 2000 तक 24 घंटे तथा कृषि नलकूपों को लगातार 8 घंटे अच्छी वोल्टेज की एवं बिना बाधा के सुनिश्चित बिजली सप्लाई करने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 1998-99 में 899.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।	240 करोड़ रुपये की प्रथम ऋण की स्वीकृति राशि में से 131.21 करोड़ रुपये मिल चुके हैं जिससे सब-स्टेशन तथा लाइन के कार्य हो रहे हैं। अब तक एक नया सब-स्टेशन तथा 36.59 कि.मी. नई लाइन बन चुकी है तथा 33 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। (25-8-2000)	The Committee would like to orally examined the department in one of its subsequent. (14-9-2000)
73.	वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 **********विश्व बैंक ने कुल 2400 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। जिसमें से 240 करोड़ रुपये के प्रथम ऋण की स्वीकृति राज्य को प्राप्त हो गई है। विश्व बैंक के ऋण से विभिन्न क्षमताओं के 86 नए सब-स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा एवं 73 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त	वर्ष 1997-98 में विश्व बैंक द्वारा 2400 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था। वस्तुत: ए.पी.एल.-1 योजना के अंतर्गत, दिसम्बर 2000 तक 227.81 करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई। विश्व बैंक की शर्तों को ध्यान में रखते हुए दूसरे वित्तीय स्रोतों	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (27-9-2002)

68,000 कि.मी. नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी तथा 30,000 कि.मी. लाइनों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

से ऋण लेने बारे बातचीत की गई और लगभग 700 करोड़ रुपए की ऋण राशि पी.एफ.सी., आर.ई.सी., नाबार्ड, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, ए.पी.डी.पी. संस्थाओं से मंजूर करवाई गई। इस ऋण राशि से 75 नए उपकेन्द्रों का निर्माण, 55 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं अन्य सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है।

पिछले 3 वर्षों में 27 नए उपकेन्द्र बनाए जा चुके हैं और 117 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है। लगभग 600 किलोमीटर लम्बी हाई टैंशन लाइनों का निर्माण किया गया है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण से मुख्यतया निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :--

* 220 केवी उपकेन्द्र पल्ला का निर्माण एवं 220 केवी पल्ला-पल्ली-समयपुर, यमुनानगर-शाहाबाद लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।
* 49 ट्रांसफार्मर 33 केवी उपकेन्द्रों पर लगाए जा चुके हैं।
* 14 बड़े ट्रांसफार्मरों को मरम्मत के लिए निकाल कर नए ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं एवं मरम्मत किए गए ट्रांसफार्मरों को भी सिस्टम में जोड़ दिया गया है।
* 11 के.वी. के 50 अधिक भार वाली

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			लाइनों को 143 लाइनों में बदल दिया गया है। इसके अलावा 24 और फीडरों पर कार्य चल रहा है और 14 नई लाइनें चालू की जा रही हैं। * 8087 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। * 8400 किलोमीटर लम्बी एल.टी. की केबलों को बदला जा चुका है। * दो लाख से अधिक नए मीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा वितरण प्रसारण एवं वितरण प्रणाली में अनेक सुधार के कार्य किए गए हैं ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की बेहतर बिजली दी जा सके। (9-9-2002)	
74.	बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान	27-7-98 ***** अध्यक्ष महोदय, हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट पानीपत की आयल रिफायनरी से हो गया है वह हमें अल्टीमेटली मार्च, 2001 तक 301 मैगावाट बिजली देगी***	**31 मार्च, 2002 की स्थिति** भारत सरकार के उपक्रम, मैसर्ज इंडियन आयल कारपोरेशन ने जापान की कम्पनी मैसर्ज मारूबैनी के साथ मिलकर एक नई कम्पनी स्थापित की है जिसका मैसर्ज इंडियन	Committee would like to know the latest position in this regard (27-9-2002)

			आयल पानीपत पावर कम्पनी लिमिटेड/आई.पी.पी.सी.एल./रखा गया है। इस कम्पनी ने हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/एस.सी.ई.बी./के साथ 27-3-98 को एक ज्ञापन पत्र/मेमोरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग/ पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत पानीपत में लगने वाली 360 मैगावाट/ पूर्व प्रस्तावित 301 मैगावाट/ क्षमता की रिफाईनरी रैजीडयू से बिजली परियोजना से उत्पन्न होने वाली सारी बिजली हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम/एच.वी.पी.एन./ को दी जाएगी। इस ज्ञापन पत्र की अवधि हाल में 30-9-2002 तक बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ आई.पी.पी.सी.एल. इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जुटा रही है, वहीं इस परियोजना से मिलने वाली बिजली की दर निर्धारण पर भी विचार विमर्श चल रहा है। आशा है कि इस परियोजना को वर्ष 2006-07 में पूरा कर लिया जाएगा। (9-9-2002)	
75.	तारांकित प्रश्न संख्या 956 के संदर्भ में श्री जगदीश नायर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब मेरे हल्के हसनपुर में 17 जनवरी, 1998	4-2-99 अध्यक्ष महोदय, हसनपुर का केस हम चैक कर लेंगे। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसी घोषणी की है तो उसे जरूर टेक-अप किया जाएगा।	हसनपुर में 66 के.वी. उपकेन्द्र बनाने एवं उसके लिए 66 के.वी. लाइनों का निर्माण करने के लिए 6.15 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से समुचित ऋण राशि मंजूर कराई गई है और निर्माण कार्य	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (27-9-2002)

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	1998 को गए थे तो हमने उनसे हसनपुर में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन लगाने की प्रार्थना की थी। उन्होंने वहां घोषणा की थी कि हसनपुर में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन लगाया जाएगा लेकिन आज तक उस सब-स्टेशन का काम चालू नहीं किया गया। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के का यह प्रोजैक्ट पीछे क्यों डाल दिया गया है ?		चल रहा है। इस उपकेन्द्र के लिए कंट्रोल रूम का निर्माण पूरा किया जा चुका है व अन्य सिविल कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इस उपकेन्द्र को चालू वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। (9-9-2002)	
76.	बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन	12-3-2001 *******राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में समयबद्ध सुधार के पक्ष में इसी उद्देश्य से हमने हाल ही में केन्द्र सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे हमें केन्द्रीय सरकार त्वरित विद्युत कार्यक्रम (Accelerated Power Development Programme) कोष से विभिन्न प्रकल्पों के लिए सहायता मिलेगी जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान और शेष राशि सस्ते ऋण के रूप में होगी। इस समझोता-ज्ञापन में केन्द्र सरकार ने हमारे विद्युतप्रसारण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं मौजूदा ताप बिजली घरों में सुधार केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 से 436 मैगावाट के फरीदाबाद ताप बिजली घर के द्वितीय चरण के लिए	हरियाणा सरकार व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच हुए मैमोरैंडम आफ एग्रीमैंट/ज्ञापन/के तहत हरियाणा बिजली निगमों को ए.पी.डी.पी. कोष में से वर्ष 2001-2002 में 49.63 करोड़ की ऋण सहायता भारत सरकार द्वारा दी गई जिसमें से आधी राशि अनुदान के रूप में थी व आधी राशि ऋण थी। इस राशि में से लगभग आधी राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा चुकी है और बाकी के कार्य प्रगति पर हैं। इसके अंतर्गत मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं :- (ए) करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद एवं हिसार परिचालन मंडलों में बिजली वितरण	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (27-9-2002)

तथा पांच-पांच सौ मैगावाट के यमुनानगर और हिसार ताप बिजली घरों के लिए गैस मुहैया करने का भी आश्वासन दिया है। *****2001-02 में प्रसारण को उन्नत बनाने के लिए 475 करोड़ रुपये की नई योजनाएं लागू की जायेंगी। इसके लिए विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कुल 256 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर हुआ है। अगामी वर्ष में 60 अत्याधिक लोड़ वाले ग्यारह के.वी. फीड़रों का भी निर्माण किया जायेगा।

प्रणाली को सुदृढ़ करना व नए ट्रांसफार्मर लगाना, मीटर लगाना, कैपिस्टर लगाना इत्यादि शामिल है।

(बी) फरीदाबाद ताप बिजली घर में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य करना।

इन सभी कार्यों पर निर्माण कार्य अग्रिम स्थिति में है।

चालू वित्त वर्ष के लिए भी 270 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं जिनके तहत अब तक 18.23 करोड़ रुपये के अनुदान एवं ऋण के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। राज्य सरकार नं. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इन चार परिचालन मंडलों के अलावा छः और नए मंडलों में सुधार कार्यक्रम लागू करने बारे धन राशि प्रदान की जाए।

साथ ही बिजली उत्पादन की नई परियोजनाओं एवं स्रोतों बारे भी केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है।

(9-9-2002)

77. डॉ. जय प्रकाश शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 359 : क्या मुख्य मंत्री कृपया

13-3-2001

(प्रथम बैठक)

यमुनानगर ताप बिजली परियोजना को दो चरण में पूरा करने का फैसला लिया गया है। चरण-1 के

समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।

(27-9-2002)

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	बताएंगे कि यमुनानगर ताप बिजली संयंत्र परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है तथा इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा भूमि को अर्जित करने पर कितनी राशि खर्च की गई तथा उक्त भूमि किस तिथि से अर्जित की गई है ?	तहत कोयले पर आधारित 500 मैगावाट की क्षमता के प्लांट निजी क्षेत्र में लगाने के लिए प्रस्ताव जुलाई 1998 में मांगे गये थे। कुछ कम्पनियों को फौरी तौर पर छांटा गया था और उनसे विस्तृत प्रस्ताव मांगने का कार्य शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज तैयार किए गए थे और उन्हें हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया। आयोग ने कुछ मूलभूत प्रश्न किए थे जिनको ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों में संशोधन किया गया है। इन संशोधित दस्तावेजों पर राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित है जिसके उपरांत इन्हें दोबारा आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। इस परियोजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के चरण-2 में सरकारी क्षेत्र में/स्टेट सेक्टर में/500 मैगावाट क्षमता लगाने के लिए वित्तीय स्रोतों का चयन जारी है। इस परियोजना को भी 10वीं पंचवषीर्य योजना में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरांत परियोजनाओं के लिए 1107 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1983-86 के दौरान किया गया। इस परियोजना पर अभी तक लगभग 22 करोड़ रुपये का खर्चा किया जा चुका है जिसमें भूमि अधिग्रहण की		

कीमत, एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए कार्य व सलाहकार कम्पनियों को दिए गए खर्चे भी शामिल हैं।

(9-9-2002)

78. तारांकित प्रश्न संख्या 650 के संदर्भ में श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा दया अनुपूरक प्रश्न-- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय ने बताया कि 1977 में सर्विस रूलज बराबर थे परन्तु 1993 में बिजली बोर्ड के रूलज में अमैंडमैंट की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरैक्शंज जारी की है कि डेट आफ ज्वाइनिंग को मुख्य मानकर कोई प्रमोशन की जाये न कि डिग्री पास करने की तिथि को मानकर प्रमोदन दी जाये। जैसे "ए" अधिकारी सीनियर है परन्तु "बी" अधिकारी न उससे पहले डिग्री पास कर ली है तो बी अधिकारी को प्रमोशन दे दिया जाता है इस तरह जुनियर अधिकारी की तो प्रमोशन कर दी जाती है और सीनियर अधिकारी उससे पीछे रह जाता है परन्तु दूसरे विभागों में आज भी पहले के रूलज लागू हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को एग्जामिन करके फिर से इस पर विचार किया जाये।

12-6-2001

स्पीकर सर, जब इंसट्रक्शंज जारी की थी और उससे जो लोग इफैक्ट हुए थे उनमें से एक अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह ने कोर्ट में केस दायर किया था और माननीय न्यायधीश महोदय ने यह फैसला दिया था कि जो इंसट्रक्शंज जारी की गई हैं वे रूलज से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए माननीय सदस्य के दिमाग में इस तरह की कोई बात है तो वे हमारे नोटिस में लायें हम उसको एग्जामिन करवा देंगे अगर उस अधिकारी का राईट बनता होगा तो उसको जरूर मिलेगा।

Orally Examine.
26-5-03

LP
11-8-03

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		8-11-2001		
79.	श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 737 :--. क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि-- (क) क्या राज्य में इस समय बिजली की मांग तथा सप्लाई के बीच की कमी है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कमी को दूर करने के लिए क्या पग उठाये गये या उठाये जाने प्रस्तावित हैं ; तथा (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 तक बिजली की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?			
		8-11-2001		
80.	तारांकित प्रश्न संख्या 737 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज हरियाणा में बिजली की कितनी डिमांड है और कितनी बिजली	अध्यक्ष महोदय, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन पानीपत की 210 मेगावाट की छठी यूनिट का काम 20-9-2001 को शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पावर एन.टी.पी.सी. से परचेज की जाती है। इसी तरह से		

सप्लाई की जा रही है। इस बारे में कैटेगिरीकली बताने का कष्ट करें।

डब्ल्यू. वाई.सी. हाइड्रा इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट 14.4 मैगावाट को 2003 से पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पानीपत थर्मल पावर प्लांट की सातवीं और आठवीं यूनिट की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गई है। तीस प्रतिशत को जो शेयर इक्विटी स्टेट ने देनी थी उसके बारे में भी एक एम. ओ. यू. हो गया और पी. एफ.सी. ने इसकी फाइनेंशिंग के लिए हां कर दी है। इसी तरह से पानीपत में मैसर्ज आई.पी.पी.सी.एल. के साथ सारी पावर परचेज करन के लिए भी एक एम.ओ.यू. साईन किया है। उनसे 360 मेगावाट बिजली ली जाएगी। इसी तरह से यमुनानगर थर्मल प्लांट फेज वन और टू भी एक हजार मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसी प्रकार से हिरमां थर्मल पावर प्रोजैक्ट उड़ीसा में लगेगा जो 2006 ओर 2007 में कम्पलीट होगा। इसी तरह से एन.टी.पी.सी. का 704 मेगावाट का प्रोजैक्ट रेनीसांस स्टेज में सैकिंड स्टेज में नार्थ करणपुर में लगेगा। इसी प्रकार से गहलोग कौल डैम प्रोजैक्ट असपैक्टिड है। इसी तरह से एच.पी.एस.ई. का दादुशाही हाईडल इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट जम्मू-कश्मीर में है। हिमाचल के हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को दसवें और ग्यारहवें प्लांन में पूरा किया जाएगा। इस तरह से हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरा प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को और कज्यूमर्ज को पूरी बिजली देने के लिए प्रयासरत हैं और दे रही है।

16.0
12-5-03

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
81.	तारांकित प्रश्न संख्या 737 के संदर्भ में श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से पूछना चाहता हूं कि पानीपत थर्मल प्लांट का 110 मेगावाट का सैकिण्ड यूनिट जनवरी, 1999 से बन्द है उसका लोड फैक्टर 110 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट करने का ठेका जर्मनी को ए.बी.बी. कम्पनी को दिया गया था और यह ठेका 350 करोड़ रुपये में दिया गया था। आज यह बंद है एक मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए एक चार से साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च आता है और सिर्फ 8 मेगावाट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए ठेका 350 करोड़ रुपये में दिया गया था उसके बावजूद यह यूनिट पिछले दो साल से बंद है यह यूनिट प्रति दिन 25 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करती थी पर वह आज के दिन बन्द है। क्या सी.पी.एस. महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी कम्पनी को इसके लिए टाइअप किया है यदि हां तो उसका ब्यौरा दें इसके	8-11-2001 अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की 7वीं और 8वीं यूनिट कब काम करना शुरू कर देंगी। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हरियाणा का नाम इंडिया सुपर थर्मल पावर प्लांट में नहीं है। जब ये दोनों यूनिट आ जाएंगी, ढाई तीन वर्षों में यह यूनिट आ जाएंगी तब यह हरियाणा प्रदेश का पहला सुपर थर्मल प्लांट बन जाएगा। इसका काम ढाई तीन वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा।	F.O / 12.5.03	

साथ ही यह भी बताएं कि क्या पानीपत थर्मल प्लांट की 7वीं और 8वीं यूनिट 250-250 की टोटल इरा गांच सौ मेगावाट के नए प्लांट लगाने से क्या उस थर्मल पावल प्लांट की कोई नई एचीवमैंट होगी, उसका भी ब्यौरा दें ?

9-11-2001

82. श्री पदम सिंह दहिया द्वारा पूछा अतारांकित प्रश्न संख्या 748 क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान रोहतक सर्कल में नये पावर सब-स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

9-11-2001

83. तारांकित प्रश्न संख्या-748 के संदर्भ में श्री सूरज मल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न कि जिस प्रकार चौधरी बंसीला जी की सरकार के समय टयूबवैल्ज के रेट स्लैब प्रणाली के आधार पर बढ़ाये गये थे कि एक टयूबवैल जो 500 फीट की गहरी पर है उसका रेट कुछ था और उसके साथ का टयूबैल जो कम फीट की गहराई पर है उसका रेट अलग था। क्या उस प्रणाली में सुधार कर रहें हैं और उसमें जो अनियमिततायें पाई गई थी उनको ठीक कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये स्लैब प्रणाली की बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर वास्तव में बात यह है कि वहां पर एक पटवार सर्कल को यूनिट मान लिया गया है जिसकी वजह से दूसरी पटवार सर्कल दूसरे गांव की सरहद पर होती है। एक जगह से दूसरी पटवार सर्कल दूसरे गावं की सरहद पर होती है। एक जगह स्लैब प्रणाली है और दूसरी जगह नहीं है। इस समस्या को लेकर कई लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास आए तथा विधायकों ने भी इस समस्या को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा । इसके लिए प्रो. सम्पत सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है वह पूरे प्रदेश में इस समस्या

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		को तथा दूसरी समस्याओं को निपटाने के लिए लोगों को बुलाएंगे और लोगों के जो नए सुझाव आएंगे उनको इक्ट्ठा करके क्रियान्वित किया जाएगा।		
84.	तारांकित प्रश्न संख्या 748 के संदर्भ में श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- कि राज्य में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए जो हाईडल प्रोजैक्टस, थर्मल पावर प्रोजैक्ट हैं उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पूरे प्रदेश में बिजली सुधार के लिए जो स्टेशनज और सब स्टेशनज लगाए जा रहे हैं और जो नई लाइनें बिछाई जा रही हैं उनकी जिलावार संख्या क्या है ?	9-11-2001 अध्यक्ष महोदय, बिजली के सुधार के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 129 सब-स्टेशनज पर काम चल रहा है जिसमें से 220 के.वी.ए. के 7 नए सब-स्टेशनज हैं और 8 पर आगुमैंटेशन हो रहा है। 132 के.वी.ए. के 27 नए सब-स्टेशनज बनने जा रहे हैं तथा 6 पर आगुमैंटेशन हो रहा है। 66 के.वी.ए. के 23 नए सब-स्टेशनज बनने जा रहे हैं तथा 6 पर आगुमैंटेशन का काम चल रहा है। 33 के.वी.ए. के 8 नए सब-स्टेशनज बनने जा रहे हैं तथा 34 का आगुमैंटेशन का काम हो रहा है। इसी प्रकार मेरे योग्य साथी ने इसकी जिलावार रिपोर्ट मांगी है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जितना सुधार बिजली के मामले में इस सरकार के साथ में हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ। अम्बाला जिले में टेपला गांव में 220 के.वी.ए. का नया सब-स्टेशन बनने जा रहा है और यह 2002 तक पूरा हो जाएगा। अम्बाला में 66 के.वी.ए. का सब-	F.O 12-5-63	

स्टेशन दुखेड़ी में नया बनने जा रहा है और यह 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा। अम्बाला में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन मुलाना में नया बनने जा रहा है और इसके 30-9-2002 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसी प्रकार अम्बाला में ही 66 के.वी.ए. का सब स्टेशन लायलपुर बस्ती में बनने जा रहा है यह 2002-03 तक पूरा होने की सम्भावना है। अम्बाला में ही 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन चौड़ मस्तपुर में आगुमैंटेशन होने जा रहा है और यह 2002-2003 तक पूरा हो जाएगा। अम्बाला में ही बरनाला में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन आगुमैंटेशन होने जा रहा है और यह 2001-2002 तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत ही नजदीक जिला पंचकूला में 220 के.वी.ए. सब-स्टेशन का आगुमैंटेशन होने जा रहा है और यह काम 2002 तक पूरा हो जाएगा। कालका में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन नया बनने जा रहा है और यह काम 2002-03 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार पंचकूला में मनसा देवी में 66 के.वी.ए. का नया सब-स्टेशन बनने जा रहा है और यह 30-6-2002 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। यमुनानगर में 220 के.वी.ए. का नया सब-स्टेशन बनेगा और यह काम 2002-03 तक पूरा कर लिया जाएगा। यमुनानगर में ही 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन रायपुर रानी में नया बनेगा और यह काम 30-11-2002 तक पूरा होने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यमुनानगर में ठाणा में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		बनने जा रहा है और यह काम 2002-03 तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार यमुनानगर में ही गुलाबनगर में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन नया बनने जा रहा है और यह काम 2002-03 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह यमुनानगर जिले के बंसतपुर गांव में 66 के.वी.ए. का सब-स्टेशन आगुमैंट किया जायेगा जो वर्ष 2002-2003 तक काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त यमुनानगर के छछरोली गांव में भी 66 के.वी का सब-स्टेशन आगुमैंट किया जायेगा जो वर्ष 2001-2002 में काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र के चीका गांव में भी 220 के.वी. का न्यू सब-स्टेशन बनने जा रहा है जो 29-1-2003 से काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कैथल के पडला गांव में भी 132 के.वी. का न्यू सब-स्टेशन बनने जा रहा है जो 29-1-2003 से काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कैथल के कंगथाली गांव में भी 132 के.वी. का न्यू सब-स्टेशन बनने जा रहा है। जो 29-1-2003 से काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कैथल के चाक्कू, लडाना गांव में भी 132 के.वी. का न्यू सब-स्टेशन बनने जा रहे हैं जो 29-1-2003 से काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कैथल के भागल गांव में भी 132 के.वी का		

नयू सब-स्टेशन बनाने जा रहे हैं जो 29-1-2003 से काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कुरूक्षेत्र के लाडवा और रादौर गांव में 66-66 के.वी. के सब-स्टेशन आगमैंट किये जायेगें जो वर्ष 2002-2003 तक काम करना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त कुरूक्षेत्र के धंगाली और कल्साणी गांवों में भी 66-66 के.वी. के दो न्यू सब-स्टेशन बनाने जा रहे हैं जो वर्ष 2002-2003 तक काम करना शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके अतिरिक्त करनाल जिले के अन्दर 132 के.वी. के न्यू सब-स्टेशन नेवल, इसराना, जलमाना और मटलोडा गांवों में लगाये जायेंगे जो वर्ष 2002-2003 तक काम करने शुरू हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त करनाल के निर्सींग गांव में 220 के.वी. का सब-स्टेशन आगमैंट किया जायेगा (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के भाइयों की पूरी तसल्ली करवायेंगे कि हमारी सरकार बिजली में सुधार लाने के लिए क्या-क्या विकास कर रही है या करने जा रही है। इनके अतिरिक्त 220 के.वी. का सब-स्टेशन सोनीपत में आगमैंट किया जाएगा जो 31-12-2001 को काम करना शुरू कर देगा। इनके अतिरिक्त सोनीपत के अंदर ही इसराना कलां और खरखौदा में 132-132 के.वी. के सब-स्टेशन लगाये जा रहे हैं जो अप्रैल, 2003 तक काम करना शुरू कर देंगे। इनके अतिरिक्त सोनीपत जिले में मुरथल के अंदर 132 के.वी. का न्यू सब-स्टेशन लगाया जा रहा है जो 31-12-2001 तक काम करना शुरू कर देगा। इनके

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		अतिरिक्त सोनीपत जिले के अंदर कुण्डली में 132 के.वी. का सब-स्टेशन आगमैंट किया जायेगा जो वर्ष 2002-2003 तक काम करना शुरू कर देगा। जींद में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। जींद जिले के गांव गढ़ी के 132 के.वी. सब-स्टेशन को आगमैंट किया जाएगा। जींद जिले के गांव खेड़ी तलोड़ा में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। जींद जिले के धमतान साहिब में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। जींद ज़िले में ही नरवाना के 132 के.वी. सब-स्टेशन को आगमैंट किया जाएगा। इसी तरह से रोहतक के 220 के.वी. सब-स्टेशन को आगमैंट किया जाएगा। रोहतक जिले में महम के अन्दर नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। रोहतक जिले में साम्पला में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। रोहतक में एम.डी.यू. में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। गुड़गांव जिले में चकरपुर में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। गुड़गांव में आई.एम.टी. मानेसर में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। गुड़गांव जिले में भोड़ा कलां में नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। गुड़गांव में ही 55/56 सैक्टर्ज में नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। गुड़गांव		

में ही 33/34 सैक्टर्ज में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। गुड़गांव में ही 40/45 सैक्टर्ज में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। गुड़गांव में ही सैक्टर 29 में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। एच.एल.एफ. गुड़गांव में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। उद्योग बिहार, गुड़गांव में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। डी.एल.एफ. फेस- गुड़गांव में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इसी तरह से फरीदाबाद के गांव पाली में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। फरीदाबाद जिले के गांव छांयसा में 66 के.वी. सब-स्टेशन नया बनया जाएगा। फरीदाबाद के सैक्टर 31 में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। फरीदाबाद जिले के गांव हसनपुर में एक नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। फरीदाबाद जिले के गांव अलावपुर में नया 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। महेन्द्रगढ़ में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। महेन्द्रगढ़ जिले के गांव मुण्डिया खेड़ा में 132 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। महेन्द्रगढ़ जिले के गांव सतनाली में 132 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। महेन्द्रगढ़ जिले के गांव नांगलचौधरी में 132 के.वी. सब-स्टेशन आगमैंट किया जाएगा। फतेहाबाद में 220 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। फतेहाबाद जिले के गांव अहरवान में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। भिवानी के 220 के.वी. सब-स्टेशन को आगमैंट

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		किया जाएगा। भिवानी जिले में लौहारू में 132 के.वी. सब-स्टेशन नया बनाया जाएगा। भिवानी में ही इंडस्टरियल एरिया में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। भिवानी जिले में तोशाम में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। भिवानी जिले में अटेला कलां के 132 के.वी. सब-स्टेशन को आगमैंट किया जाएगा। सिरसा जिले में रानियां में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। सिरसा जिले में ऐलनाबाद में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। सिरसा जिले में माथसिघांन में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। सिरसा जिले में केहरवाला में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। सिरसा जिले में आढ़ा में नया 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इसी तरह से मैं जहां-जहां पर 33 के.वी. सब-स्टेशंज अक्तूबर, 2002 तक कम्पलीट हो जाएंगे। वह भी बता देता हूं। करनाल जिले में पाडा और मंजूरा। पानीपत जिले में जी.टी. रोड पानीपत, कुतानी रोड पानीपत और दिवाना। कुरुक्षेत्र जिले में झांसा, नैसी और मुरथल। कैथल जिले में जाखोली क्योड़क। सोनीपत जिले में खेवड़ा। ये 33 के.वी. सब-स्टेशन हैं। जो अक्तूबर, 2002 तक कम्पलीट हो जाएंगे।		

9-11-2001

85. श्री मूला राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 724

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि---

(क) क्या नारनौल सर्कल में पारेषण तथा उप-पारेषण प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या नारनौल सर्कल में नए सब-स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो उनके नाम तथा अनुमानित लागत क्या है ; तथा

(ग) इनके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

12-5-03

विवरण-I

क एवं ख वर्तमान समय में बिजली की उपलब्धता तथा मांग में कोई विशेष अंतर नहीं है परन्तु जब कभी सिस्टम में आऊटेसिज हों तो बिजली इकाईयों को कभी-कभी अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत के 16वें विद्युतीय बिजली सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2001-2002 से 2004-2005 के दौरान बिजली की वार्षिक मांग निम्न प्रकार से अनुमानित की गई है।

वर्ष	अनुमानित बिजली की आवश्यकता/ यूनिट करोड़ों में	अनुमानित शिखर मांग मेगावाट में
2001-2002	1746	3322
2002-2003	1890	3596
2003-2004	2044	3888
2004-2005	2209	4203

बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्य में निम्नलिखित मुख्य नई बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है :—

1. पश्चिमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना का दूसरा चरण 14.4 मेगावाट मार्च, 2003 तक पूर्ण किया जाना है।

2. ताऊ देवी लाल थर्मल स्टेशन पर प्रत्येक 250 मेगावट की दो यूनिटें जोड़कर विस्तार करने तथा 2004-2005 तक चालू करने के लिए 30 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

3. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने मैसर्ज आई.पी.पी.सी.एल. के साथ इस परियोजना से उत्पादित 360 मेगावाट सारी बिजली क्रय करने के लिए एक मैमोरेण्डम ऑफ अन्डर स्टेंडिंग पर दिनांक 24-10-01 को हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2005-06 तक पूर्ण होनी सम्भवित है।

4. यमुनानगर थर्मल परियोजना चरण-1 एवं 2/1000 मेगावाट/को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जाना सम्भावित है।

5. 500 मेगावाट हिरमा थर्मल परियोजना उड़ीसा से वर्ष 2006-2007 तक बिजली का क्रय किए जाने की सम्भावना है।

6. 704 मैगावाट बिजली एन.टी.पी.सी. परियोजनाओं अर्थात् हिन्द चरण-2 नार्थ करणपुरा बारह कडल गांव तथा कोले डैम परियोजना से 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जानी सम्भावित है।

7. एन.एच.पी.सी. परियोजनाओं अर्थात् दुलहट्टी हाईडल पावर परियोजना टिहरी स्टेज-1, धौली गंगा जलीय विद्युत परियोजना तथा नाथपा झाकड़ी परियोजना से 100 मैगावाट बिजली 10वीं तथा 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण

की जानी सम्भावित हैं।

8. हिसार थर्मल परियोजना/500 मैगावाट/11वीं योजना अवधि के शुरू में प्रारम्भ किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य राज्यों में निजी बिजली उत्पादन करने वालों द्वारा विभिन्न वन-बिजली परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे 10वीं योजना अवधि के दौरान भी फायदा होगा। एन.टी.पी.सी. के फरीदाबाद के गैस पर आधारित बिजली घर का दूसरा चरण 432 मैगावाट को 10वीं योजना में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-II

रोहतक परिमण्डल में बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए निम्नलिखित नये बिजली उपकेन्द्र सहायक प्रसार लाइनों के साथ 31.83 करोड़ रुपये की लागत से नियोजित किए गए हैं/आरम्भ किए जा रहे है :-

क्रम संख्या	उपकेन्द्र का नाम	ट्रान्सफार्मर की क्षमता	अनुमानित लागत रुपए करोड़ों में	पूर्ण होने की संभावित अनुसूची
1	2	3	4	5
	नये उपकेन्द्र			
1.	132 के.वी. उपकेन्द्र महम एसोशियेटिड प्रसार लाइनों सहित	1×10/16 एमवीए 132/11 के.वी.		जून, 2003
2.	132 के.वी. उपकेन्द्र सापला एसोशियेटिड प्रसार लाइनों सहित	2×10/16 एमवीए 132/11 के.वी.		जून, 2003
3.	132 के.वी. उपकेन्द्र महम एसोशियेटिड प्रसार लाइनों सहित	2×20/25 एमवीए 132/33 के.वी.	31.83	जून, 2003
4.	220 के.वी. पी.टी.पी.पी., रोहतक लाइन का दूसरा सकर्ट-62.5 कि. मी. योग/1/			जून, 2003
			31.83	

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त 5.05 करोड़ रुपए की लागत से प्रसार तथा उप-प्रसार की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू करने की योजना है :--

1.	220 के.वी. उपकेन्द्र रोहतक	अतिरिक्त 100 एमवीए 220/132 के.वी.	31.83 करोड़ रुपए लागत में शामिल	जून, 2003
2.	132 के.वी. उपकेन्द्र	10/16 एमवीए के स्थान पर अतिरिक्त 10/16 एमवीए	1.54	मार्च, 2002
3.	132 के.वी. उपकेन्द्र कलानौर	16/8/8 एमवीए 132/33/11 के.वी. के स्थान पर 10/16 एमवीए, 132/11 के.वी.	0.71	मार्च, 2002

1	2	3	4	5
4.	33 के.वी. उपकेन्द्र जसिया	2×4 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 6.3.+4 एमवीए	0.40	मार्च, 2002
5.	33 के.वी. उपकेन्द्र एच.एन.जी. बहादुरगढ़	2x5+4 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 2×5+6.3 एमवीए	0.40	दिसम्बर, 2002
6.	33 के.वी. उपकेन्द्र हुड्डा वाणिज्यक कम्पलैक्स रोहतक	2×5 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 2×5+6.3 एमवीए	0.40	जून, 2003
7.	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.आई.ई. बहादुरगढ़	4+6.3 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 2×6.3 एमवीए	0.40	जून, 2003
8.	33 के.वी. उपकेन्द्र आई.डी.सी.हिसार रोड, रोहतक	6.3+5 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 2×6.3+5 एमवीए	0.40	जून, 2003
9.	33 के.वी. उपकेन्द्र झज्जर रोड, रोहतक	2×5 एमवीए 33/11 के.वी. के स्थान पर 2×5+6.3 एमवीए	0.40	जून, 2003
10.	33 के.वी. उपकेन्द्र झज्जर रोड, रोहतक	2×6.3 एमवीए 33/11के.वी. के स्थान पर 2×6.3 एमवीए	0.40	जून, 2003
	योग		5.05	

विवरण-III

(क) 35.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नारनौल क्षेत्र में प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा क्षमता वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है।

(ख एवं ग) नारनौल परिमण्डल में प्रसार तथा उप-प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए है :

क्रम संख्या	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता	अनुमानित लागत रुपए करोड़ों में	पूर्ण होने की संभावित अनुसूची
1	2	3	4	5
1.	नये उपकेन्द्र			
1.	सहायक प्रसार लाइन सहित 220 के.वी. उपकेन्द्र महेन्द्रगढ़	2×100 एमवीए 220/132 के.वी.		2002-03
2.	सहायक प्रसार लाइन सहित 220 के.वी. उपकेन्द्र सतनाली	1×10/16 एमवीए 132/11 के.वी.	28.68	2002-03
3.	सहायक प्रसार लाइन सहित 220 के.वी. उपकेन्द्र मुंडियाखेड़ा	1×10/16 एमवीए 132/11 के.वी.		2002-03
4.	33 के.वी. उपकेन्द्र डबलाना तथा सहायक लाइन	1×6.3 एमवीए 33/11 के.वी.	0.95	मार्च, 2002
5.	33 के.वी. उपकेन्द्र बावनिया तथा सहायक लाइन	1×6.3 एमवीए 33/11 के.वी.	0.92	मार्च, 2002
	योग (1)		30.95	
उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त क्षमता वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :--				
2	क्षमता वृद्धि			
1.	220 के.वी. उपकेन्द्र नारनौल	1×8/4/4 एमवीए, 132/33/11 के.वी. के स्थान पर अतिरिक्त	1.54	दिसम्बर, 2002
		1×10/16 एमवीए, 132/11 के.वी.	0.71	दिसम्बर, 2002
2.	132 के.वी. उपकेन्द्र नांगलचौधरी	अतिरिक्त 1x10/16 एमवीए	1.30	मार्च, 2002
3.	132 के.वी. उपकेन्द्र बडौली	अतिरिक्त 1×10/16 एमवीए 132/11 के.वी.	1.77	दिसम्बर, 2002
	योग (2)		5.32	

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(B & R) BRANCH

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
86.	तारांकित प्रश्न संख्या 1122 के संदर्भ में कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पुन: जानना चाहता हूं कि जब यह स्वीकृति (रिवाड़ी-झज्जर और रिवाड़ी-नारनौल रेलवे लाईन पर ऊपरी पुल) 1986 में मिल गई थी तो इसको बनाए जाने में अब देरी क्यों है?"	29-9-90 इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे पुलों के लिए 50 परसैन्ट पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से 50 परसैन्ट पैसा रेलवे की तरफ से दिया जाना होता है। इन पुलों के बनाए जाने के लिए हमने रेलवे वालों के साथ अब तक 18 लैटर्ज का आदान-प्रदान किया है। जब रेलवे वाले अपना सैक्शन कर देंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है और न ही कोई कमी है। F-O 20/10/03	1. रिवाड़ी-झज्जर लाईन की ऊपरी पुल की स्थिति। यह रेलवे ऊपरी पुल 203.96 लाख रुपए की लागत से प्रशासकीय अनुमोदित किया गया था जो कि बाद में आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार के यादी क्रमांक 6/20/85-2 बी०एण्ड आर० दिनांक 13-8-90 द्वारा 306.45 लाख रुपए की लागत से संशोधित अनुमोदित किया गया था यह प्रस्ताव रेलवे ऊपरी पुल का पहला स्थान (रेलवे क्रासिंग नं० 57 बी के नजदीक) शहर के बीचों-बीच या जहां पहले ही बहुत भीड़ रहती है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर बहुत से रिहायशी और व्यापारिक भवनों को गिराना पड़ता था और भूमि अभिग्रहण भी करना पड़ता था तथा पहुंच मार्ग की अलाईनमैंट	समिति इस बारे में लेटैस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (18-8-98)

के लिए जगह की कमी के कारण सब स्टैण्डर्ड कर्व देने पड़ते थे। मूल स्थान में उपर्युक्त कमियों के कारण और लोगों की मांग को उनके उम्मीदवारों के माध्यम से मद्दे नजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि रेलवे ऊपरी पुल को रिवाड़ी बाईपास के (नजदीक रेलवे क्रासिंग नं० 57-सी 2) कि०मी० 79/15 पर बनाया जाए। 252.10 लाख रुपए की लागत का एक कच्चा अनुमान बाईपास के निर्माण के भूमि अधिग्रहण करने हेतु सरकार को इस कार्यालय के यादी क्रमांक 2175 एन०एच० दिनांक 2-6-94 को प्रशासकीय अनुमति प्रदान करने के लिए भेजा गया था। यह अनुमान सरकार द्वारा 11/94 में वापिस कर दिया गया। सरकार की यह टिप्पणी थी कि विभिन्न गांवों में जगह की कीमत एक जैसी की जा रही है। रिवाड़ी शहर का मास्टर प्लान जो कि टाऊन एण्ड कण्टरी प्लानिंग विभाग द्वारा बनाया जा रहा था उसमें उपर्युक्त रेलवे ऊपरी पुल को भी

Committee would like orally Examine.
26-5-03

20/10/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			सम्मिलित किया जाना था। यद्यपि यह मामला लोक निर्माण विभाग द्वारा टाऊन एण्ड कण्टरी प्लानिंग के साथ उठाया गया है फिर भी अन्तिम फैसला होना अभी शेष है। उपर्युक्त रेलवे ऊपरी पुल (नजदीक रेलवे क्रासिंग नं० 56-सी-2) का संशोधित अनुमान बाईपास की अलाईनमैंट का अन्तिम फैसला होने के बाद भेजा जाएगा। बाईपास की अलाईनमैंट बारे प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त हो चुका है जिसका निरीक्षण किया जा रहा है तथा उक्त अलाईनमैंट के निर्णय के पश्चात् ही आर०ओ०बी० के निर्माण का विचार किया जाएगा। 2. रिवाड़ी नारनौल लाईन पर ऊपरी पुल की स्थिति। इस लाईन पर ऊपरी पुल बनाने का भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि इस पुल की फिजीबिलिटी चैक करवा ली	

			गई है और अधीनस्थ कार्यालय से सर्वे का पूर्ण ब्यौरा स्टैण्डर्ड फारमैट पर मांगा गया है ताकि रेलवे अधिकारियों के साथ कार्यवाही हेतु पत्र-व्यवहार किया जा सके। (8-7-98)	
87.	तारांकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि बाईपास का एक्सटैंशन वर्क तो कम्पलीट हो गया है लेकिन इसमें बाईपास के इन्टरसैक्शन पर खड़े वृक्ष बाधा बने हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये वृक्ष कब तक हटा कर इस को पूरा कर दिया जाएगा।"	26-2-93 "* * * * *" सरकार ने जीन्द, नारनौल, झज्जर, रिवाड़ी तथा पानीपत में अन्य बाईपासिज बनाने का प्रस्ताव किया है। जीन्द बाईपास के लिये भूमिग्रहण हेतु 2.08 करोड़ रु० का अनुमान विचाराधीन है। अन्य बाईपासों के विकास तथा निर्माण के लिये इनको चुंगी सड़क की तरह बनाने की संभावनाओं का मामला आई०एल०एफ०एल० के साथ उठाया गया है।	जीन्द बाईपास के भूमि अभिग्रहण के लिए 2.00 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसी प्रकार नारनौल बाईपास के लिए भूमि अभिग्रहण के लिए 1.43 करोड़ रुपये का अनुमान है। इनकी स्वीकृति करने के केस अभी विचाराधीन है। वार्षिक योजना में बाईपास के लिए केवल 50 लाख रुपये का ही प्रावधान होता है अतः इतनी बड़ी राशि बाईपास के बनाने के लिए अभी नहीं है। बाईपासिज के विकास तथा निर्माण के लिए इनको तरह बनाने की संभावना का मामला आई०एल० एफ०एस० द्वारा भी लिया गया था। परन्तु यह बात अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची। जैसे ही इन बाईपासिज को चुंगी सड़क की तरह बनाने की योजना कोई प्राईवेट पार्टी द्वारा दी जाती है तो इनका निर्माण भी कराया	The Committee would like to know the latest position. (17-1-95)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			जायेगा। अतः इस आश्वासन का पटाक्षेप कर दिया जाये। (3-1-95)	
88.	तारांकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में श्री हरिसिंह नलवा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 1993-94 में पानीपत में कोई बाईपास बनाने की योजना है और साथ ही 1993-94 में हरियाणा के कौन-कौन से ऐसे और शहर हैं जहां पर बाई-पास बनाने की योजना है।	26-2-93 अध्यक्ष महोदय, सरकार का जीन्द, नारनौल, झज्जर, रिवाड़ी और पानीपत में बाईपास बनाने का प्रावधान है।	सरकार द्वारा जीन्द, नारनौल, झज्जर, रिवाड़ी और पानीपत में बाईपास बनाने का विचार है। पानीपत — जिसमें पानीपत-असंध रोड़ का पानीपत गोहाना रोड़ से मिलाने का कार्य है, यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रिवाड़ी — रिवाड़ी बाईपास का कार्य रिवाड़ी-गुड़गांव रेलवे लाईन पर पुल से सम्बन्धित है। यह कार्य रेलवे विभाग के साथ तालमेल करके किया जाना है तथा कोशिश की जा रही है कि इसको शीघ्र ही शुरू कर दिया जाए। जीन्द बाईपास की भूमि अधिग्रहण के लिए 2.08 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसी प्रकार नारनौल बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के	The Committee would like to know the latest position in this regard. (18-7-95)

लिए 1.43 करोड़ रुपये का अनुमान है। इनकी स्वीकृति करने के केस अभी विचाराधीन है। वार्षिक योजना में बाईपास के लिए केवल 50 लाख रुपये का ही प्रावधान होता है, अतः इतनी बड़ी राशि बाईपासिज के बनाने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। बाईपासिज के विकास तथा निर्माण के लिए इनको चुंगी सड़क की तरह बनाने की संभावना का मामला आई० एल० एफ०एस० द्वारा भी लिया गया था परन्तु यह बात अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची। सरकार द्वारा यह भी चाहा गया है कि इरकान से भी इन बाईपासिज को चुंगी सड़क की तरह बनाने की संभावना का मामला लिया जाये। इस विषय में इरकान को लिखा जा रहा है।

जैसे ही जीन्द, नारनौल, झज्जर बाईपासिज को चुंगी सड़क की तरह बनाने की योजना कोई प्राईवेट पार्टी द्वारा दी जाती है तो इनका निर्माण भी कराया जायेगा। अतः इस आश्वासन का पटाक्षेप कर दिया जाये।

(22-3-95)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		3-3-94		
89.	तारांकित प्रश्न संख्या के संदर्भ में श्री जय पाल सिंह आर्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अभी 10 दिन पहले नाहरी गांव में एक शादी में गए थे। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नाहरी से नाहरा और नाहरी से नरेला के बीच की सड़क टूटी पड़ी है और यह गांव सड़क से कटा हुआ है। वहां पर कोई भी बस ठीक नहीं चल सकती। अभी मुख्य मंत्री महोदय भी वहां पर जलसा करके आये थे। इन्होंने कहा था कि इस सड़क को जल्दी बना दिया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने नाहरी से खरखोदा के बीच 18 फुट चौड़ी सड़क बनाने की बात कही थी। वही 18 फुट तो क्या 2 फुट चौड़ी भी नहीं बनायी जा रही है। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी ही पूरा कर दिया जाए	* * * आज माननीय सदस्य ने यह बात कही है और मुख्य मंत्री द्वारा जनता में आश्वासन दिया गया है इसलिए धन की उपलब्धता पर अगले साल इन सड़कों को बनाने की कोशिश करेंगे।		

ताकि बच्चे बसों से स्कूल आ जा सकें।"

		8-3-94		
90.	तारांकित प्रश्न संख्या 768 पर श्री मनीराम (दड़बा कलां) द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि आप ने मुझे एक साल के बाद बोलने का मौका दिया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे हल्के में जो सड़क मंजूर की थी उस पर मिट्टी भी पड़ गई थी लेकिन वह सड़क आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। यह सड़क दड़बा कलां खुर्द से भोडिया तक 10 या 12 किलोमीटर लम्बी है। इस पर दो बार मिट्टी भी पड़ चुकी है और 1.5 किलो मीटर तक इस पर पत्थर भी पड़ चुका है, लेकिन फिर भी यह आज तक नहीं बन पाई है। मुख्य मंत्री जी ने यह सड़क अपने पिछले राज के दौरान मंजूर की थी अब वे इसको कब तक पूरी करवा देंगे?	अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ठीक ही कहा कि यह सड़क मैंने अपने पिछले राज के दौरान मंजूर की थी लेकिन बाद में इन लोगों का राज आ गया और जो भी मिट्टी वगैरह इस सड़क पर पड़ी थी वह भी बह गई। हम फिर इस पर मिट्टी डलवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वह दोबारा बन जाए। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा जिन सड़कों की मुरम्मत नहीं की गई है इसके लिए जैसा कि मैंने दो दिन पहले ही कहा था कि हम पहली अप्रैल से एक साल के अन्दर टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत करवा देंगे।	दड़बा कलां से मोड़िया खंडा सड़कों की कुल लम्बाई 16.23 कि॰मी॰ है तथा इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिनांक27-10-83 को 47.46 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सड़क पर मिट्टी डालने का काम 14.00 कि॰मी॰ की लम्बाई में पूरा हो चुका है। तथा 1.00 कि॰मी॰ की लम्बाई में पत्थर भी बिछाया जा चुका है। धन के अभाव के कारण बाकी कार्य नहीं किया जा सका। जैसे ही धन उपलब्ध होगा तो सड़क का काम पूरा कराया जाएगा। (20-7-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (25-7-2001)
		9-3-94		
91.	तारांकित प्रश्न संख्या 658 पर श्री राम भजन अग्रवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक	श्री अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट में शामिल किया गया है और इस को 24	हरियाणा राजमार्ग उन्नयन परियोजना के लिए विश्व बैंक प्राधिकरण के साथ	The Committee would like to know

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, इस सड़क (हिसार से नारनौल) पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है और जो ट्रैफिक बंबई और राजस्थान वगैरह को जाता है, वह इसी सड़क से गुजरता है। इस बात को देखते हुए क्या इस सड़क को टाप प्रायरिटी देकर चौड़ा किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि अगर सरकार इस सड़क को जल्दी चौड़ा नहीं कर पा रही है तो क्या सैन्ट्रल गवर्नमैंट से प्रयास करके इसको नेशनल हाई-वे बनाने की कोशिश करेंगे?	फुट चौड़ा करना विचाराधीन है। अगले महीने वर्ल्ड बैंक के साथ डिपार्टमैंट की मीटिंग फिक्स की गई है अगले साल इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जहां आबादी वाले एरिया आते हैं वहां इसकी वाइडनिंग कर के फोर लेनिंग करने का प्रावधान है। हमें आशा है कि आने वाले साल में कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसको चौड़ा कर दिया जाएगा।	वाशिंगटन में 13 से 17 अप्रैल1998 को विचार विमर्श हुआ था। विश्व बैंक को बोर्ड ऑफ डायरैक्टरस द्वारा 28 मई 1998 को इस ऋण की स्वीकृति दी जानी ती परन्तु भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप इसको लम्बित कर दिया गया। विश्व बैंक द्वारा ऋण बारे विचार विमर्श करने के उपरांत इस योजना में शामिल कुछ सड़कों को 'राष्ट्रीय उच्च मार्ग' घोषित कर दिया गया था और भारत सरकार ने नये घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर आनुपातिक खर्चा वहन करने की सहमति नहीं दी। अंतत: विश्व बैंक ने अगस्त 2000 में घटाई गई हरियाणा राजमार्ग उन्नयन परियोजना (डाऊन साईजड) को वित्तीय सहायता न देने का निर्णय लो लिया था। अत: इस आश्वासन का पत्याक्षेप कर दिया जाए। (19-6-2001)	the latest position in this regard. (20-6-2001)

92.	वित्त मंत्री का बजट भाषण।	6-3-96 * * * फरीदाबाद और रिवाड़ी के 2 ओवर ब्रिजों सहित 11 पुलों का निर्माण के लिए परियोजनाएं वर्ष 1996-97 में क्रियान्वित की जाएंगी। डबवाली में ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रस्ताव थल परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन है * * * * *। हमारा झज्जर, रिवाड़ी, नारनौल, सोनीपत, सोहना तथा पलवल में निर्माण, परिचालन तथा अन्तरण आधार पर बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। * * * * * पानीपत तथा फरीदाबाद में ऊंचे राज मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन है।	मण्डी डबवाली रेलवे ओवर ब्रिज बारे दिनांक 11-09-1998 की जनरल अरैंजमैंट ड्राईंग भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली जा चुके हैं। जब से इस कार्य को वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए कई बार अनुरोध किया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (31-10-01)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (21-11-2001) F.G 26-5-03 20/10/03
93.	श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या, 370—क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या जहाजगढ़ पालड़ा सड़क पर ड्रेन नं० 8 के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण/मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; (ख) यदि हां, तो उक्त पुल को कब	17-3-97 (क) जहाजगढ़ पालड़ा सड़क पर नये पुल का निर्माण कार्य दिनांक 18-2-97 से शुरू हो चुका है। (ख) इस पुल का निर्माण कार्य दिनांक 15-7-97 तक पूरा हो जाने की योजना है।	Transferred to Irrigation Deptt. Vide Enc. P.W.D. B&R R.No. 1561 Dated 6-6-03.	

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	तक निर्मित/मरम्मत किये जाने की संभावना है ?			
94.	तारांकित प्रश्न सं० 349 के संदर्भ में श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नारनौल से नरवाना वाया दादरी, भिवानी तथा जीन्द सड़कें तथा रिवाड़ी से पानीपत वाया झज्जर तथा रोहतक सड़कें राष्ट्रीय राज मार्ग के स्टैण्डर्ड पैटर्न पर बनाई जाएंगी या नहीं? क्या ये सड़कें भी निधि की उपलब्धता पर बनाई जाएंगी ?"	19-3-97 "अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्ल्ड बैंक से इस बारे में बातचीत चल रही है। कोटपुतली से नारनौल, नारनौल से महेन्द्रगढ़-महेन्द्रगढ़ से दादरी, दादरी से भिवानी, भिवानी से जीन्द और जीन्द से नरवाना तक सड़क बनाने के लिए जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि रिवाड़ी से झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से गोहाना और गोहाना से पानीपत की सड़क को भी वाईडनिंग करने के लिए वर्ल्ड बैंक से बातचीत चल रही है और फाइनेलाईज होने वाली है। हम जल्दी ही काम शुरू कर देंगे।"		
95.	तारांकित प्रश्न संख्या 349 के संदर्भ में श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "* * * *अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे सम्बन्धित सरकार से इस मार्ग (अम्बाला-चण्डीगढ़	19-3-97 "अध्यक्ष महोदय, रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का मामला तो कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन सड़क वाया मीडिया यह है कि पंचकूला से शाहबाद वाया शाहा एस नया रोड़ तैयार किया जाए जिसका स्टेटस करीब करीब नेशनल हाईवे जैसा हो इसके बारे मामला विचाराधीन है और इस बारे में भी		

	रोड़) को फोर लाईनिंग में बदलने के लिए तथा डेराबस्सी के पास जो रेलवे फाटक है उस पर ओवर-ब्रिज बनाने की कोई बातचीत करने जा रहे हैं अगर कोई बातचीत नहीं चल रही है तो आप क्या ऐसी कोई बातचीत करने का प्रयास करेंगे?"	वर्ल्ड बैंक ने ही फाईनैंस करना है जैसा कि अभी मैंने व्याख्या की है।'		
96.	तारांकित प्रश्न सं॰ 406 के संदर्भ में श्री राजकुमार सैनी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी में जानना चाहता हूं कि जब पंचकुला से यमुनानगर जाते शहजादपुर व सढौरा जाते हैं तो उस सड़क पर रास्ते में एक पुल बनाया जाना बाकी रहता है। यदि वह बना दिया जाए तो वहां का 20 कि॰मी॰ का फासला कम हो सकता है क्या मंत्री जी इस पुल को बनाए जाने पर कोई रोशनी डालने का कृपा करेंगे?"	19-3-97 "अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि अभी तक इस तरह का कोई एस्टिमेट पास नहीं हुआ है। लेकिन यह मामला विचाराधीन है।"	कांडी प्रोजैक्ट के तहत हरबौन सादिकपुर सड़क पर बेगना नहदी के ऊपर 176.45 लाख रुपये की लागत से पुल बनाना प्रस्तावित है। जिसकी स्वीकृति अभी वांछित है। (19-6-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (20-6-2001)
97.	तारांकित प्रश्न संख्या 240 के सम्बन्ध में श्री सतनारायण लाठर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न—स्पीकर साहब, मैं मंत्री	20-3-97 (1). बुआना से बुरा डैहर सड़क इस सड़क का लम्बाई 3.55 कि॰ मी॰ है इस सड़क पर 3.00 कि॰मी॰की	क्योंकि यह देहरा मार्ग है अब इस वर्ष के बजट में इस सड़क के लिए कोई धनराशि नहीं मांगी गई। पिछले वर्षों में	The Committee would like to know the latest

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	जी का धन्यवाद करता हूं और उसके साथ-साथ यह भी जानना चाहूंगा कि इनमें से एक सड़क/डैहर से भवाना पर मिट्टी डाली हुई है और दूसरी सड़क भवाना से इगराह पर मिट्टी डालने का काम बकाया है तो इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कब तक बना दिया जाएगा।	लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य पूरा कर दिया गया है। अब इस सड़क को 1999-2000 के वित्तीय वर्ष के वर्क प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है तथा 1.00 कि० मी० में सोलिंग और 1.00 कि० मी० की लम्बाई में पक्का करने का प्रस्ताव है; (2) इगराह से बुआना सड़क इस सड़क की लम्बाई 6.33 कि० मी० है। इस सड़क पर 2.00 कि० मी० की लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य पूरा कर दिया गया है और 1.00 कि० मी० की लम्बाई में सोलिंग तथा पक्का करने का कार्य कर दिया गया है। दूसरे कि० मी० में सोलिंग तथा पक्का करने का कार्य इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा कर दिया जाएगा। (19-8-99)	भी मिट्टी डालने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य इस सड़क पर नहीं किया गया। इस सड़क पर 2.00 कि०मी० की लम्बाई में (जिस पर मिट्टी डाली गई थी) सड़क बनाने का कार्यपत्थर बिछाई का कार्य पूरा हो चुका है इन दो किलोमीटर लम्बाई में एक कि०मी० में तारकोल का कार्य भी पूरा हो चुका है तथा शेष 1.00 कि०मी० तक तारकोल बिछाने का कार्य वर्ष 2001-2002 में पूरा कर दिया जाएगा। (19-6-2001)	position in this regard. (27-6-2001)
98.	श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 350—क्या लोक निर्माण	20-3-97 वर्तमान जींद बाई-पास की गोहाना सड़क से पटियाला सड़क तक की बढ़ौतरी का प्रस्ताव		

(भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्तमान जीन्द बाई-पास का गोहाना सड़क से पटियाला सड़क तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

विचाराधीन है।

21-3-97

99. श्री बलवंत सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 266—क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या जिला रोहतक में गांव हसनगढ़ से गांव खुरमपुर तक एक नई सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

(क) हां, श्री मान जी।

(ख) इस सड़क को धन की उपलब्धता पर 31-3-98 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

22-1-98

100. तारांकित प्रश्न सं० 561 के संदर्भ में श्री अशोक कुमार द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लाडवा से करनाल वाली रोड़ जो बुरी तरह से टूटी हुई है क्या उसको भी

अध्यक्ष महोदय, लाडवा से करनाल वाली सड़क को भी हम अवश्य ही ठीक व चौड़ा करेंगे।

लाडवा से करनाल वाली कुल 32.82 कि०मी० लम्बी सड़क पर पैच द्वारा 3/98 तक मरम्मत कर दी गई थी। इसके बाद11.70 कि०मी० कारपेट, 4.5 कि०मी० मजबूती करण 0.09 कि०मी० रेजिंग व 0.25 कि०मी० सीमेंट कंकरीट

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन/	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	ठीक करने व चौड़ी करने की कोशिश करेंगे?		बिछाई गई है। इस सड़क को चौड़ा व मजबूत करने का प्रावधान एच०एच०यू०पी० फेज-3 के अन्तर्गत किया गया है। जिस पर 470-35 लाख रुपये खर्च होंगे। (19-6-2001)	
101.	तारांकित प्रश्न संख्या 618 के संदर्भ में श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या नारनौल में बाईपास के निर्माण का सरकार का कोई इरादा है और अगर है तो यह निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? सर, अब तो शराबबंदी का निर्णय वापस लेने के बाद सरकार के पास फंड्ज भी एवेलेबल हो चुके होंगे।	21-7-98 अध्यक्ष महोदय, नारनौल के बाई पास के निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मैं समझता हूं कि इस बारे में सैक्शन चार के नोटिस इशु जल्दी ही हो जाएंगे और उसके बाद लगभग इस काम पर साल लग जाएगा।	नारनौल बाईपास बनाने बारे हरियाणा सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति केवल भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने बारे आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क शाखा के पत्र क्रमांक 9/155/95 दिनांक 5-12-95 द्वारा प्राप्त हुई है। जमीन का मुआवजा देने बारे राशि उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति इस समय निरस्त हो चुकी है। इस बाईपास की लम्बाई 7.25 कि०मी० है तथा इसके निर्माण पर लगभग रुपये 7 करोड़ का खर्चा आएगा। (19-6-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (29-6-2001)

102. वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 हरियाणा सरकार ने राज्य के 627 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों के सुधार तथा शेष राजमार्गों के रख-रखाव के लिए विश्व बैंक से 1408 करोड़ रुपये के कर्जे के बारे में बातचीत की है। 52.65 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण, 216 किलोमीटर लम्बी मौजूदा सड़कों के सुधार एवं 5 नए पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से 11.92 करोड़ रुपये की ऋण सहायता ली है। सांपला के बाई पास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा नारनौल ऐलनाबाद, हिसार, जीन्द, सोनीपत और झज्जर के लिए 6 नए बाई पास स्वीकृत किए गए हैं।	नाबार्ड की ऋण योजना के अन्तर्गत 5 पुलों में से 2 पुलों का निर्माण करना शेष है। 3 पुलों का कार्य पूरा किया जा चुका है। धन के अभाव के कारण बाई-पासिज बनाने का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल सका तथा आज के दिन झज्जर व ऐलनाबाद बाई-पास पर कार्य चल रहा है। सोनीपत बाई-पास का कार्य अलाट किया जा चुका है परन्तु हिसार-जीन्द-नारनौल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। (31-10-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (21-11-2001)
103. श्री रामजी लाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 768—क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या जिला यमुना नगर की निम्नलिखित बुरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार	22-7-98 (क) हां, श्री मान जी। (ख) जून, 1999 तक		

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	के विचाराधीन है— (i) छछरौली से नंगली; (ii) छछरौली से कोट; (iii) बिलासपुर से छछरौली; (iv) बिलासपुर से धनौरा; (v) बिलासपुर से जगाधरी; (vi) बिलासपुर से सढौरा; (vii) सढौरा से काला अम्ब; (viii) सढौरा से नारायणगढ़ वाया अम्बली; (ix) अम्बली से गधौली; (x) अम्बली से जौली; (xi) अम्बला से फतेहपुर; (xii) अम्बली से शाहपुर वाया बेर खेड़ी; (xiii) अम्बली से शहजादपुर वाया हैडपान; तथा (ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त सड़कों की मुरम्मत कब तक किये जाने की संभावना है ?			

104. तारांकित प्रश्न संख्या 617 के संदर्भ में श्री देव राज दीवान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में माहरा से सितौली तक की सड़क टूटी पड़ी है, उसको कब तक ठीक करवाएंगे ?

27-7-98

अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है, इसका ऐस्टीमेट पास कर दिया गया है, अध्यक्ष महोदय इस सड़क को हम मार्च, 1999 से पहले ठीक करवा देंगे।

105. तारांकित प्रश्न संख्या 617 के संदर्भ में श्री बलवन्त सिंह मायना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाऊस में बताना चाहूंगा कि पिछले सैशन में भी मैंने हसनगढ़ से खुर्मपुर रोड के लिए सवाल पूछा था और माननीय मंत्री जी ने इसको बनवाने का आश्वासन दिया था । अब यह दूसरा सैशन आ गया है। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानकारी चाहूंगा कि इस सड़क को कब तक बना कर तैयार कर देंगे ?

27-7-98

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मायना साहब को बताना चाहूंगा कि वे मुझ से मिले थे और मैंने उनके सामने ही एक्सीयन को टेलीफोन कर दिया था । उन्होंने स्वयं मुझ से यह कहा था कि काम शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, हम इस सड़क का काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
106.	श्री बीरेन्द्र पाल अहलावत द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 783—क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या यह तथ्य है कि जिला झज्जर की निम्नलिखित सड़कें, जो 1995 की बाढ़ में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, की मरम्मत अब तक नहीं की गई है— (i) डीघल से बरहाना; (ii) बरहाना से छोछी; (iii) बेरी कलानौर सड़क से गांव धराना तथा चिमनी ; (iv) धांडलान से गोच्छी; तथा (v) जहाजगढ़ से दुबलधनं वाया पालड़ा; तथा (ख) यदि हां, तो इन सड़कों की	27-7-98 (क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इस सड़क की मरम्मत जून, 1999 तक कर दी जाएगी।		

	मरम्मत कब तक किये जाने की संभावना है?			
107.	तारांकित प्रश्न संख्या 652 के संदर्भ में श्री खुर्शीद अहमद द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—''मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रपोजल बनाकर के सैंटर गवर्नमैंट को भेजेंगे कि सोनीपत की शुगर मिल के पास रेलवे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज का आधा खर्च हम देने को तैयार हैं अगर आप आधा खर्चा दें दे?	29-7-98 स्पीकर सर, इंडियन रोड्ज कांग्रेस के स्तर के मुताबिक उसका सर्वे करवा लिया जाएगा और इसके हिसाब से एक प्रस्ताव इसका रेलवे विभाग को भेज दिया जाएगा।	अभी तक इस बारे कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। फिर भी सर्वे के लिए कार्यवाही की जा रही है। (31-10-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (21-11-2001)
108.	बजट भाषण - 1999-2000	3-2-99 * * * उत्तम यातायात सुविधाओं के महत्त्व को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने 9वीं योजना में 2,800 किलोमीटर सड़कों में सुधार करने और 450 किलोमीटर नयी सड़कें बनाने पर बल दिया है और सड़कों और पुलों के लिए 1,130 करोड़ रुपये का खर्च रखा है। राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिये चालू वर्ष में व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य की सड़कों में संतोषजनक स्तर तक सुधार करने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। वर्ष 1998-99 दौरान नवम्बर तक 1931 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुधार किया गया है और		

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		35.30 किलोमीटर नयी सड़कें बनाई गई हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान विभिन्न योजनागत तथा गैर-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये के प्रावधान से 65 किलोमीटर नई सड़कें बनाने और लगभग 2,520 किलोमीटर सड़कों में सुधार करने का प्रस्ताव है। सड़क व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये बिल्ड, आपरेट तथा ट्रांसफर प्रणाली के अन्तर्गत प्रथम परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत फरीदाबाद में रेलवे-ओवर ब्रिज के निर्माण की परियोजना है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम करने में सहायता मिलेगी। बिल्ड, आपरेट और ट्रांसफर सिद्धांत पर और परियोजनाओं को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा इससे राज्य में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार की गति अधिक तेज होगी। राज्य सरकार के प्रयत्नों से अम्बाला-पेहोवा-हिसार राजगढ़ सड़क, जो कि एक राज्य राजमार्ग था, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 घोषित कर दिया गया है और इस सड़क को उन्नत करने के लिये अनुमान तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, कुल 448		

किलोमीटर लम्बे पांच राज्य राजमार्गों को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बहादुरगढ़–रोहतक के क्षेत्र को चार मार्गी बनाने के लिये केन्द्र सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कुण्डली से समालखा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में घोषित एक्सप्रैसवेज़ परियोजना के अन्तर्गत छः मार्गी बनाया जाना है। यह देश में शुरू की जा रही प्रथम 20 ऐसी परियोजनाओं में से एक है। झज्जर में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बाईपास निर्माणाधीन है और इसके 1999–2000 में मुकम्मल हो जाने की संभावना है। रिवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और यमुनानगर में लघु सचिवालय निर्माणाधीन हैं।

(34)

109. तारांकित प्रश्न संख्या 975 के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश जैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"* * * अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो पहले की सरकार ने वहां पर (पानीपत में) सर्विस लेन बनाई थी वह भी बिना बनी जैसी हो गयी है। क्या मंत्री जी उसको भी रिपेयर करवाएंगे

10-2-99

* * * जहां तक इन्होंने पेड़ों को काटने की बात कही है पेड़ों को काटने के लिए हमें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है अगर वहां पर सड़कें बनाने में पेड़ रुकावट बनते हैं तो हम उनको काटने के लिए अनुमति लेंगे। इसके अलावा इनके शहर में जो सर्विस लेन टूटी हुई पड़ी है उसको भी हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

Dropped on 21/7/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	या नहीं करवाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, पानीपत शहर बहुत भीड़ वाला शहर है वहां पर कोई बाईपास नहीं है जिस वजह से वहां बहुत ही दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, गोहाना से असंध तक एक सड़क जाती है और वह गोहाना रोड से जाकर आगे जी.टी. रोड पर मिल जाती है। उसके लिए नाबार्ड से 50 लाख रुपये आ चुके हैं। इस रोड की वाइडनिंग के लिए वहां पर कुछ पेड़ कटने हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विभाग ने वहां पर पेड़ कटवाने के लिए कोई परमिशन ली है, क्या कोई कार्यवाही इस बारे में की है यदि नहीं की है तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह परमिशन ली जाए ताकि उस रोड पर 50 लाख रुपये खर्च हो सकें और वहां पर एक मिनी बाईपास बनाया जाए ? * *''			
110.	श्री बन्ता राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 978—क्या लोक निर्माण	10-2-99 गुंदियाना से कश्यप भाजरा तक संपर्क सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि गुढ़ा से गुढ़ी		

	(भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या निम्नलिखित गांवों की सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है:— (i) गुढ़ा से गुढ़ी तक; (ii) गुंदियाना से कश्यप माजरा तक; तथा. (iii) हड़ताल-सिकन्दरा से हिरण छप्पड़ तक?	और हडताल-सिकन्दरा से हिरण छप्पड़ तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। 16-3-2000		
111.	श्री अजय सिंह यादव द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2—क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या रेवाड़ी शहर में दिल्ली-जयपुर रेलवे लाईन के आरपार रेवाड़ी-झज्जर तथा रेवाड़ी-नारनौल सड़कों पर ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	इस समय केवल रेवाड़ी नारनौल ऊपरगामी पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि बी.ओ.टी. के आधार पर होगा है * * * वह बड़ा जरूरी पुल है और हम इसको प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। चूंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने सोर्सिज से इस पुल को बना सके। इसलिए बी.ओ.टी. के माध्यम से हम बहुत जल्दी इस कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए सोच रहे हैं।	रिवाड़ी शहर में, रिवाड़ी-नारनौल सड़क पर (दिल्ली-जयपुर रेलवे लाईन के आर-पार) रेलवे उपरी पुल 1418 लाख रुपये की लागत से बी०ओ०टी० को माध्यम से बनाने की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस कार्य की निविदाएं 3.8.2002 को प्राप्त की गई थीं। न्यूनतम उद्यमी ने अपनी निविदा वापिस ले ली और उसकी धरोहर राशि जमा कर ली गई। इस कार्य के लिए निविदाएं पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। रिवाड़ी में रिवाड़ी-झज्जर सड़क पर रेलवे ऊपरी पुल बनाने का अभी प्रस्ताव नहीं है। (20-7-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (14-8-2001)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
112.	श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 27-क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या निकट भविष्य में राज्य में विशेषकर पलवल अलीगढ़ सड़क पर पुल बनाकर हस्तांतरित करने के आधार पर (बिल्ट ओपरेट ट्रांसफर बेसिस) रेलवे ऊपरी पुल (आर०ओ०बी०) को निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि ऐसा है, तो उसकी सूची क्या है?	14-3-2001 प्रथम बैठक × × × × × निकट भविष्य में निम्नलिखित ऊपरी पुल निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण प्रणाली के आधार पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है :— (1) कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त दो मार्गीय रेलवे ऊपरी पुल। (2) रिवाड़ी में रिवाड़ी-नारनौल सड़क पर रेलवे ऊपरी पुल।	postponed w 20/10/03	
113.	श्री राम कुमार कटवाल द्वार पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 686; क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राजौंद निर्वाचन क्षेत्र में गांव सांपटा से अलेवा तक एक सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?	12-6-2001 (प्रथम बैठक) हां श्रीमान् जी। गांव सांपटा से अलेवा तक की लगभग 5.5 कि०मी० लम्बी सड़क लगभग 48 लख रुपये की लागत से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है। इस सड़क का निर्माण अक्तूबर 2001 में शुरू किए जाने की संभावना है।	Chief Administrator, Haryana State Agriculture Marketing Board - 6 PKL Relating 26/6/03 F.O. 17-11-03	

9-11-2001

114. तारांकित प्रश्न संख्या 722 के संदर्भ में राव दान सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न ×××××× कि महेन्द्रगढ़ से मालड़ा चौक को जाने वाली एक सड़क है जिस पर महेन्द्रगढ़ शहर का गंदा पानी एकत्रित हो जाता है और उस सड़क पर एक-डेढ़ फीट पानी इक्ट्ठा हो जाता है। ×××××× मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़ की जनता की इस समस्या का समाधान कब तक किया जायेगा?	अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का एक निर्णय है कि जहां कहीं भी प्रदेश में पानी खड़ा रहेगा, चाहे वह गांव का एरिया हो या शहर का ऐरिया हो वहां पर सीमेंटिड सड़क बनाई जायेगी, यदि इस सड़क पर भी पानी खड़ा होता होगा तो इसे बनवा दिया जायेगा।

Related to
Urban Development Department.
13-6-03

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(PUBLIC HEALTH)

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
115.	तारांकित प्रश्न संख्या 358 के संदर्भ में श्री रामपाल माजरा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—स्पीकर सर, गांव में औरतें मटके लेकर खड़ी रहती हैं और पीने के पानी के लिए झगड़ा होता है और कभी इसकी चोटी उसके हाथ और कभी उसकी चोटी उसके हाथ में होती है तो मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हर गांव में टूटियों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार सरकार के विचाराधीन है ?''	21-3-97 सर, आवश्यकता अनुसार हम हर क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे हरियाणा के अंदर हमारी कोशिश यह है कि कम से कम चालीस लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबको पानी मिले। लेकिन हरियाणा के अन्दर 1626 गांव ऐसे हैं जहां चालीस लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी नहीं मिलता है। 550 गांवों में तो चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी देने का प्रावधान इस साल किया जा रहा है बाकी के जो गांव बच गये हैं उनके लिये अगले साल यह काम कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचे तो उनके लिये बाद में पानी की पूर्ति कर दी जाएगी।	वर्ष 1992-93 में भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार एक सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि राज्य के 6759 गांवों में से 3623 गांव में पीने के पानी की कमी है। राज्य सरकार ने इन गांवों में जल स्तर में बढ़ौतरी को प्राथमिकता दी और वर्ष 2001 तक 3623 गांवों में से 3452 गांवों में पेयजल स्तर में बढ़ोतरी कर दी गई और शेष 171 गांव रह गए। जून 2001 में एक नया सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि राज्य के कुल 6745 गांवों में से 3245 गांव ऐसे हैं जिनमें पेयजल स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है। इन 3245 गांवों में उपरोक्त 171 गांव भी शामिल हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान 550 गांवों में पेयजल बढ़ौतरी की गई तथा 1.4.2002 को 2695 पानी की कमी वाले गांव शेष रह गए। वर्ष 2002-	The Committee would like to know the latest position in this regard. (18-9-2002)

			2003 के दौरान 650 गांवों में पेयजल बढ़ौतरी करने का लक्ष्य है जिस पर लगभग 111 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जलापूर्ति की बढ़ौतरी के कार्यों में तीव्रता लाने के लिए नाबार्ड द्वारा 145.43 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिससे 519 गांव 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने 5.9.2002 की बैठक में लगभग 27 करोड़ रुपये की नई बढ़ौतरी योजनाएं जिला सिरसा, जींद व पंचकूला के लिए स्वीकृत की हैं जिनकी स्वीकृति शीघ्र ही नाबार्ड द्वारा दी जाएगी। (6-7-2002)	
116.	श्री अनिल विज द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 562 के संदर्भ में—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) अम्बाला छावनी में चल रहा सीवरेज प्रणाली का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; तथा (ख) क्या पूर्वोक्त शहर के शेष क्षेत्र	22-1-98 (क) 31-3-1998 (ख) रक्षा विभाग से मिल्ट्री भूमि में बड़ी सीवर की लाईन लगाने की स्वीकृति आने तथा इस काम के लिये धनराशि उपलब्ध होने पर सीवरेज व्यवस्था के आगामी विस्तार पर विचार किया जाएगा।	(क) अम्बाला सदर में सीवरेज प्रणाली का कार्य 134.08 लाख रुपये के अनुमान के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस योजना पर 134.78 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और स्थाई डिस्पोजल बनाकर योजना चालू कर दी गई है। (ख) पूर्वोकत शहर के शेष क्षेत्र, जैन विहार, महेश नगर तथा बाकी बचे क्षेत्र	The Committee would like to know the latest position in this regard. (18-9-2002)

F.O. 22/9/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	में सीवरेज प्रणाली बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?		में सीवरेजप्रणाली बिछाने का प्रोजैक्ट घग्गर एक्शन प्लान के अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है जिसकी अनुमानित राशि 50 करोड़ रुपये है। यह प्रोजैक्ट केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। प्रशासनिक स्वीकृति और आवश्यक धनराशि मिलने पर सीवरेज बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। (6-7-2002)	
117.	वर्ष 1998-99 का बजट।	21-7-98 * * * * शहरी त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की बराबर-बराबर आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा है, के अन्तर्गत 7 कस्बों, सोहना, पटौदी, नारनौंद, कनीना, तावडू, बवानी खेड़ा व खरखौदा में कार्य अनुमोदित किये हैं। इस कार्यक्रम पर 7.50 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इनमें से चार कस्बों सोहना, पटौदी, नारनौंद व कनीना में निर्माण कार्य पूरा होने के अन्तिम चरण में है। वर्ष 1998-99 में शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम जो कि भारत सरकार द्वारा 50:50 की सांझेदारी से चलाया जा रहा है, के अन्तर्गत अब तक 27 शहरों की योजनाएं 4628.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई है। इनमें से 8 शहरों, सोहना, पटौदी, नारनौंद, कनीना, बवानी खेड़ा, असंध, नूह तथा फिरोजपुर झिरका में जलापूर्ति का कार्य 1012.32 लाख रुपये की अनुमानित लागत के	The Committee would like to know the latest position in this regard. (18-9-2002)

		बढ़ाने पर 13.90 करोड़ रुपये व मल निकाल सुविधाओं को सुधारने पर 4.47 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।	तहत पूरा किया जा चुका है। 7 शहरों, तावडू, रतिया, उचाना, नारायणगढ़, सढौरा, इन्द्री व हेलीमण्डी, में 700.87 लाख रुपये की लागत के तहत कार्य मार्च, 2003 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 10 शहरों, खरखोदा, कलानौर, महम, महेन्द्रगढ़, कलांवाली, बेरी, पिंजौर, लोहारू, समालखा व पुन्हाना में 2406.36 लाख रुपये की लागत से तथा 2 शहरों, फारुख नगर व हसनपुर में 508.05 लाख रुपये की लागत से कार्य क्रमशः मार्च 2004 व 2005 में पूरा करना प्रस्तावित है। (6-7-2002)	
118.	तारांकित प्रश्न संख्या 623 के संदर्भ में श्री धीरपाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके नोटिस में कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि हर गांव में लोगों ने पीने के पानी के अवैध कनैक्शन लगाए हुए हैं जिसके कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है? क्या सरकार उन अवैध पीने के पानी के कनैक्शन हटाने	22-7-98 अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल जी ने ठीक कहा है कि काफी लोगों ने नाजायज कनैक्शन ले रखे हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास आती हैं। हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जहां से पाईप गुजरती है उसमें नाजायज नल के लगा लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वे अवैध नलके न लगें।	पीने के पानी के अबैद नलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन गांवों में पेयजल आपूर्ति दर 55 लिटर प्रति व्यक्ति या इससे अधिक है उनमें पानी के पानी के कनैक्शन दिए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है कि पीने के पानी के लिए लगाए गए अवैध कनैक्सनों को 500/- रुपये फीस लेकर जोकि साधारण नार्मज से	The Committee would like to know the latest position in this regard. (10-10-2001)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	के बारे में कोई कदम उठाएगी ?		अधिक है, को नियमित कर दिया जाए और नाजायज लगाए गए पानी के कनैशनों को हटाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। (12-9-2001)	
119.	श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 853— "क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या राज्य में नगरों को विशेषकर अम्बाला छावनी को नहर आधारित जलापूर्ति योजना की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?"	1-2-99 (क) जी हां। (ख) योजना को प्रारम्भ करने की संभावना थल सेना द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु 70 एकड़ भूमि नगर पालिका को स्थानान्तरण करने पर निर्भर करती है।	अम्बाला सदर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 1500 लाख रुपये की नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजना स्वीकृत है। इस योजना पर 409.00 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इस योजना की प्रगति इस प्रकार है :— 1. मुख्य जलघर के लिए 35 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, जिसकी चारदीवारी का कार्य हो गया है। स्टोरेज सैडीमैन्टेशन टैंक का कार्य अलाट कर दिया गया है तथा फिल्टर बैड व साफ पानी के टैंक के लिए टैंडर काल कर लिए गए हैं। 2. नहरी पानी के लिए राईजिंग मेन	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2001)

		के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुकी हैं। 3. वाटर वर्क्स से 12-कास रोड़ पर भूमिगत बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य हो गया है। 4. 12-कास रोड़ पर पम्प चैम्बर का निर्माण कार्य अलाट हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य मार्च, 2004 तक पूरे होने की संभावना है। (6-7-2003)	
120. श्री देव राज दीवान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 802— (क) सोनीपत शहर के आदर्श नगर में सीवरेज बिछाने का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; तथा (ख) क्या सोनीपत शहर के प्रेम नगर में सीवरेज बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	2-2-99 (क) आदर्श नगर में सीवरेज बिछाने का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2000 तक पूरा होने की आशा है। (ख) जी हां। ***** प्रेम नगर, सोनीपत में सीवरेज बिछाने का काम दिसम्बर, 1999 तक पूरा हो जायेगा।	(क) सोनीपत शहर के आदर्श नगर में लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर डाल दिया गया है। बाकी का कार्य प्रगति पर है। (ख) सोनीपत शहर के प्रेमनगर में सीवरेज बिछाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। (6-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
121.	तारांकित प्रश्न संख्या 971 के संदर्भ में श्री जगदीश नेयर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि होडल और हसनपुर दो ऐसे कस्बे हैं, जहां पर आबादी दिनों-दिन बढ़ती ही चली जा रही है परन्तु वहां पर पानी की निकासी की समस्या है। मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे इन शहरों की समस्या का कोई विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे?"	5-2-99 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि होडल के लिए तो हम एक 5-6 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी स्कीम मंजूर करने जा रहे हैं और उसके लिए जल्दी ही मुख्य मंत्री महोदय इसका नींव पत्थर भी लगाने वाले हैं, उस मौके पर श्री हर्ष कुमार और श्री जगदीश नेयर भी उपस्थित होंगे।	होडल एवं हसनपुर शहरों के अनुमान क्रमशः 546 लाख एवं 152.50 लाख का बना कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 88 एवं 86 दिनांक 13-1-2000 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर काम शुरु कर दिया जाएगा। (6-7-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)
122.	श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 874—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) राज्य में कितनी सीवरेज प्रणाली हैं जिनमें मलशोधन संयन्त्रों की व्यवस्था की गई है; तथा (ख) क्या राज्य में विशेषकर अम्बाला	9-2-99 (क) राज्य के 13 शहरों में मल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है। (ख) दूसरे शहरों में भी मल शोधन संयंत्र निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय तौर पर विचाराधीन है। मल शोधन संयंत्र बहुत महंगा होने पर भी पर्याप्त धन राशि का प्रबन्ध करने हेतु	शहरों के नाम जिनमें कार्य सम्पन्न किया गया है:- 1. यमुना नगर 4. गुड़गांव 7. करनाल 2. जगाधरी 5. सोनीपत 8. गोहाना 3. फरीदाबाद 6. पानीपत शहरों के नाम जिनमें कार्य प्रगति पर है:—	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)

	छावनी में शेष सीवरेज प्रणालियों पर मल-शोधन संयन्त्रों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	प्रयत्न किये जा रहे हैं।	1. पलवल 3. छछरौली 5. इन्द्री 2. रादौर 4. घरौंडा 6. कालका शहरों के नाम जिनका प्रशासकीय अनुमोदन हो चुका है तथा कार्य शुरु किया जाना है :— 1. जींद 3. रिवाड़ी 5. बहादुरगढ़ 2. भिवानी 4. झज्जर 6. अम्बाला शहर इसके अतिरिक्त 30 शहरों में मल शुद्धिकरण संयत्र लगाने हेतू यमुना एक्शन प्लान के दूसरे चरण व घग्गर एक्शन प्लाने के अन्तर्गत भारत सरकार को परियोजनाए भेजी गई हैं। (6-7-2002)	
123.	तारांकित प्रश्न सं० 874 के संदर्भ में श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा के कितने शहरों में इस वक्त सीवरेज ट्रीटमैंट सिस्टम वर्किंग कंडीशन में हैं। उनके अलावा क्या सरकार बाकी शहरों में भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में विचार करेगी? अगर विचार कर लिया है तो वह किस हद तक विचार किया जा चुका है । अध्यक्ष	9-2-99 अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद सात बड़े शहरों में यह योजना चल रही है और 6 छोटे शहरों में जिनमें छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौंडा, गोहाना और पलवल आते हैं, में भी यह योजना चल रही है। फरीदाबाद में 3 ट्रीटमैंट प्लांटस हैं। गुड़गांव में काम पूरा हो गया है बाकी जगहों पर जून-जुलाई में काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी शहर हैं उनमें काम सन् 2000 तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रीटमैंट प्लांटस 40 करोड़ रुपये के	यमुनानगर प्लान के अन्तर्गत हरियाणा के छः बड़े शहरों यमुनानगर जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व गुड़गांव में 11 मल शुद्धि यन्त्र लगाये जाने थे और सभी 11 संयन्त्र चालू किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 6 छोटे शहरों में से गोहाना शहर में दो मल सुधार संयंत्र चालू हो चुके हैं। शेष 5 शहरों छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौंडा व पलवल में मल सुधार संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा 10/2003 तक	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	महोदय, आज समय-समय पर इंवायरनमैंट के बारे में विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी जगहों पर कब तक ट्रीटमैंट प्लांट लगा लिए जाएंगे?	लगेंगे लेकिन अभी हमें पैसा नहीं आया है। जब हमें पैसा मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। जींद और रोहतक में ट्रीटमैंट प्लाट की जरूरत है इसलिए इसको हम पहले पूरा करेंगे और अम्बाला के बारे में भी सोच सकते हैं।	पूर्ण होने की आशा है। पलवल के अतिरिक्त इन सभी 6 छोटे शहरों में सीवरेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। पलवल में शेष 50 प्रतिशत कार्य रुका है। क्योंकि इसके दोहराये हुए अनुमान की स्वीकृति अभी भारत सरकार से अपेक्षित है। गुड़गांव शहर में मल शुद्धिकरण संयंत्र लगा दिया है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। विस्तृत यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 20.8 किलोमीटर सीवर की लाईन लगा दी गई है। (6-7-2002)	
124.	वर्ष 2000-2001 का बजट	14-3-2000 आगामी वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 15 करोड़ रुपये की सहायता से 150 और गांवों में जल-सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव है।	वर्ष 2000-2001 के दौरान सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1450 लाख रुपए का प्रावधान था जबकि भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल 19 लाख रुपये की राशि ही प्रदान	The Committee would like to know the latest position in this regard. (27-8-2002)

की गई जिसके कारण इस कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा झटका लगा लेकिन फिर भी प्रगति कार्यों को राज्य सरकार ने चालू रखते हुए 86 गांवों की पेयजल आपूर्ति में 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढोतरी की। यह मामला भारत सरकार से बार-बार उठाने उपरांत वर्ष 2001-2002 में 1275.92 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई जिससे अतिरिक्त 100 गांवों में पीने के पानी का जल स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया गया है।

वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार से 1000 लाख रुपए उपलब्ध होने की संभावना है जिससे 50 गांव लाभान्वित होंगे।

(6-7-2002)

125. डा० सीताराम द्वारा पूछा गयी तारांकित प्रश्न संख्या 295 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला सिरसा के डबवाली तथा कालांवाली कस्बों में सीवरेज प्रणाली सुधारने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि हां	8-3-2001 (प्रथम बैठक) जी हां, श्रीमान्। डबवाली शहर की सीवरेज प्रणाली के सुधार की योजना पर जिसकी अनुमानित राशि 241.25 लाख रुपये है, कार्य प्रगति पर है। जी नहीं श्रीमान्। फिर भी कालांवाली शहर में सीवरेज की व्यवस्था के लिए 135.00 लाख	डबवाली शहर की सीवरेज प्रणाली के सुधार की योजना पर जिसकी अनुमानित राशि 238.00 लाख रुपये हैं। डबवाली शहर की सीवरेज प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। कलांवाली शहर में सीवरेज की व्यवस्था के लिए 135.00 लाख रुपये	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (27-8-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	तो उसका ब्यौरा क्या है?	रुपये का अनुमान अनुमोदित किया गया है जिस कार्य को शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।	का अनुमान अनुमोदित किया गया है और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। (6-7-2002)	
126.	श्री उदयभान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 356 : (क) क्या होडल के नगरपालिका क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; तथा (ख) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक में हो, तो उपरोक्त प्रस्ताव का कितना कार्य अब तक पूरा हो चुका है जबकि उक्त कार्य सरकार द्वारा 31.12.2000 तक पूरा किया जाना था?	12-3-2001 (क) जी हां श्री मान्। (ख) यह योजना दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अब भारत सरकार द्वारा कार्य पूर्ण करने की सीमा अवधि 31-3-2001 तक बढ़ा दी गई है। कार्य पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार से वित्तीय सहायता शीघ्र प्राप्त होने पर निर्भर है।	होडल शहर का वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है। आज तक 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 31-3-2003 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। (6-7-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (27-8-2002)
127.	बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन	14-3-2000 राज्य सरकार पेयजल सुविधा को एक बुनियादी जरूरत मानती है। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में 3,335 ऐसे गांव हैं, जहां 40 लिटर		

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से कम पेय आपूर्ति होती है। × × × × × हमने चालू वर्ष के दौरान 500 कम आपूर्ति वाले गांवों में 55-70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई है। इनमें से दिसम्बर, 2000 तक 300 गांवों में यह काम पूरा हो चुका है तथा इस वर्ष के अन्त तक शेष गांवों भी यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इन कार्यों के लिए राज्य "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" और "केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान 4780 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे।

8-11-2001

128. तारांकित प्रश्न संख्या 754 के संदर्भ में श्री रमेश कुमार खटक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दर्शाया है कि पांच स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं वे कौन-कौन सी हैं और जो तीन योजनाएं मार्च, 2002 तक पूर्ण होंगी वे स्कीमें कौन-कौन सी हैं तथा जो योजनाएं 2003 तक पूर्ण होने वाली हैं, वे कौन-कौन सी हैं, क्या मुख्य मंत्री

जल वितरण योजना, तावडू की बढ़ौतरी, जल वितरण योजना, असंध, जल वितरण योजना, रतिया, ये योजनाएं सन् 2002 तक पूरी हो जाएंगी। जो योजनाएं 2003 तक पूरी होंगी उनका विवरण भी मैं इनको बता देता हूँ। जल वितरण योजना, उचाना, जल वितरण योजना कलानौर, जल वितरण योजना, नारायणगढ़,, जल वितरण योजना, खरखौदा, जल वितरण योजना नारायणगढ़, जल वितरण योजना साढौरा, जल वितरम योजना इन्द्री सन् 2003 तक पूरी हो जायेंगी। इसी प्रकार से महम, फिरोजपुर झिरका, महेन्द्रगढ़, हेली मंडी, कालांवाली, बेरी और पिंजौर सन् 2003 तक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	महोदय इन स्कीमों के नाम बताने की कृपा करेंगे।	पूरी हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, यह वस्तु स्थिति है।		
129.	तारांकित प्रश्न संख्या 741 के संदर्भ में श्री रघुबीर सिंह कादियान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न कि जो ठेकेदार प्रति घर के हिसाब से तीन हजार रुपये महीने का वसूल कर रहे हैं क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन प्राईवेट ठेकेदारों से इन पानी के टयूबवैल्ज का टेक ओवर करके लोगों को पानी की सप्लाई खुद करे।	9-11-2001		
130.	तारांकित प्रश्न संख्या 741 के संदर्भ में श्री भागी राम द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— कि जब पहले बार प्रदेश में वाटर वर्क्स लगाये गये तो उस समय सरकार की एक स्कीम थी कि फिरनी पर 5-5, 7-	9-11-2001 ×××× क्योंकि अब गांवों की आबादी बढ़ गई है इसलिये पानी की डिमांड भी पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब अगमैंटेशन द्वारा इस समस्या का हल निकाला जा रहा है। जहां पर बूस्टिंग स्टेशन लगाने की जरूरत है वहां बूस्टिंग स्टेशन लगाये		

7 और 10-10 पानी के कनैक्शन दे दिये जायें और वहां से गांव के लोग अपने घरों को पानी ले जायें। नगोंधि। अब सरकार ने 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से देने की योजना बनाई है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई स्कीम है कि जो पहले 4 इंच के पाईप गांव की फिरनी पर लगाये गये थे उन पाईपों को चौड़ा करे और उनकी जगह 6-6 या 8-8 इंच के पाईप लगायें।

जा रहे हैं और जहां अगमैंटेशन की जरूरत है वहां अगमैंटेशन की जा रही है।

131\. तारांकित प्रश्न 741 के संदर्भ में श्री रामफल कुण्डू द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

×××× कि जीन्द जिले में इन दो सालों के अर्से में वाटर सप्लाई की कितनी नई स्कीमें आी तथा कितनी बार आगमैंटेशन का काम चल रहा है।

9-11-2001

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी सिरकल डिवैल्पमैंट है। मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जहां हर महकमें में विकास के कार्य हुए हैं तो यह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट भी इससे अछूता नहीं रहा। मेरे साथी ने जानना चाहा कि जीन्द जिले में वाटर सप्लाई की कितनी स्कीमें आई हैं तो मैं सारे जिले की वाटर सप्लाई की स्कीमों के बारे में बताना चाहूंगा। जीन्द जिले में वाटर सप्लाई की 69 स्कीमें चल रही है और नई स्कीमों पर काम चल रहा है। जिन पर 20 करोड़ 60 लाख 93 हजार रुपये खर्च होने

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		जा रहे हैं। भिवानी में 54 स्कीमें हैं जिन पर 7 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च होने जा रहे हैं। फतेहाबाद में 19 स्कीमें हैं जिन पर 9 करोड़ 30 लाख 35 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। गुड़गांव में 96 स्कीमें हैं जिन पर 9 करोड़ 30 लाख 35 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। हिसार में 65 नई वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं जिन पर 20 करोड़ 41 लाख 31 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। झज्जर में 31 स्कीमें हैं जिन पर 20 करोड़ 44 लाख 21 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। कैथल में 44 स्कीमें आगुमैंटेशन की भी हैं और नई स्कीमें भी है जिन पर 8 करोड़ 49 लाख 25 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। करनाल में 38 स्कीमें हैं जिन पर 4 करोड़ 38 लाख 32 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 62 स्कीमें हैं जिन पर 13 करोड़ 59 लाख 37 हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। महेन्द्रगढ़ में 51 स्कीमें हैं जिन पर 11 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च होने जा रहे है। इसी प्रकार वाटर सप्लाई की पानीपत में 22, पंचकूला में 19, रिवाड़ी में 31 रोहतक में 32, सिरसा में		

88, सोनीपत में 62 और यमुनानगर में 22 स्कीमें हैं। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा प्रदेश में 901 स्कीमें हैं जिनमें बहुत सी नई स्कीमें हैं और बहुत सी आगुमैंट होने जा रही हैं।

विवरण— I

स्पीकर सर, वैसे तो यह ठीक है कि इन गांवों में पानी की सप्लाई प्राईवेट ठेकेदार कर रहे हैं। इस सप्लाई को उन गांवों के लोग इसलिए भी इन प्राईवेट ठेकेदारों से ले रहे हैं क्योंकि सरकार तो गांवों के घरों में सप्लाई वहीं पर दे रही है जहां पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा रही है। जहां तक इन गांवों का प्रश्न है कि मैं कादियान साहब को बताना चाहूंगा कि महरा गांव को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई देने की योजना मंजूर कर दी गई है जिस पर 110 लाख रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार जडराणा गांव के लिए भी नई योजना बनाई गई है जिससे इस गांव को भी पानी की सप्लाई की जायेगी। इस गांव को शैल्पे/टयूबवैल्ज द्वारा सप्लाई करने के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रदिदिन के हिसाब से पानी की सप्लाई के लिए एक योजना बनाई गई है। इसी प्रकार से चौंची के तीन गांवों की एक समूह योजना बनाई गई है जिस पर 82 लाख/27 हज़ार रुपये की लागत आयेगी उस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। इसी प्रकार से गांव गूढ़ा को जल आपूर्ति करने के लिए भी एक योजना बनाई गई हैं। वहां पर प्राईवेट ठेकेदारों से सप्लाई इसी कारण ली जा रही है क्योंकि सरकार तो उन घरों को सप्लाई नहीं दे रही है। इसलिए सरकार किसी के द्वारा इस प्रकार के टयूबवैल्ज लगे हुए हैं उनको फोरफिट तो नहीं कर सकती परन्तु सरकारी तौर पर एक प्रोपोजल जरूर बनायी जा रही हैं ताकि इन गांवों को जल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन ही नहीं बल्कि मंजूर कर दी गई है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

EDUCATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
132.	चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 85—"क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) राज्य में इस समय मुख्याध्यापकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; तथा (ख) क्या इन पदों की सीधी भर्ती/विभागीय पदोन्नति से भरने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि ऐसा है, तो इन के कब तक भरे जाने की संभावना है?"	3-3-93 (क) इस समय राज्य के विभिन्न राजकीय उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 435 रिक्त पद पड़े हैं। (ख) हां, उपरोक्त खाली स्थानों को सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।	रिक्ति की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। इस समय कुल 663 पद मुख्याधापको के रिक्त है जिसमें से पद पदोंन्नति द्वारा भरे जाने है। 446 पदोन्नति के पदो के विचाराधीन है। 140 पद सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग का मांग पत्र भेजा गया है। (7-8-2002)	समिति इस बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (7-8-2002)
133.	श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 240—"क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि गांव जैन्दापुर, तहसील पलवल में परिचालित "ब्लैक	8-2-95 (क) * * * * * * * * * * * * * * * * * * (ख) संबंधित विभाग (विकास तथा पंचायत विभाग) द्वारा जिम्मेवारी निर्धारित करने बारे जांच की जा रही है और जांच पूरी होना पर दोषी पाए गए कर्मचारियों /	निदेशक पंचायत विभाग ने सूचित किया है कि श्री अब्दुल रज्जाक कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध आरोपों की जांच कार्यकारी अभियंता (पं०रा०) गुड़गांवा से करवाई गई जांच का निरीक्षण करने उपरांत कर्मचारी को भविष्य में सतर्क की चेतावनी	समिति इस बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (7-8-2002)

	बोर्ड'' योजना के अधीन निर्मित किए गए कमरे गिर गए हैं; तथा (ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?''	अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी	देते हुए मामला फाईल कर दिया गया है। (7-8-2002)	
134.	तारांकित प्रश्न संख्या 1024 के संदर्भ में डा० राम प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—''अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल का अच्छा परीक्षा फल निकालने के लिए हैड का होना आवश्यक है। जहां हाई स्कूलज, 10+2 स्तर के स्कूलज और प्राईमरी स्कूलज में प्रिंसीपल्ज/हैड्ज नहीं हैं, क्या सरकार इनको भरने की कोशिश करेगी; यदि हां, तो ये पद कब तक भरे जाएंगे?''	15-3-95 अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी स्कूल प्रिंसिपल के बिना न रहे। इनको लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरैक्ट लगते हैं और दूसरे बाई प्रोमोशन लगते हैं। के लिए तो हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है और प्रोमोशन डायरेक्ट के लिए एस०एस०एस० बोर्ड को और पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजीशन भेज रखी है। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिकोमैंडेशन नहीं आई है हमें आशा है कि हम इसे अगले सत्र तक पूरा भर पाएंगे।	विद्यालय में मुख्याध्यापक न होने से परीक्षा फल पर कुप्रभाव पड़ता है यह बात सत्य है। मुख्याध्यापकों के रिक्त पद भरने के लिये हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 140 पदों हेतु साक्षात्कार लिये जा रहे है तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 446 पदों का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होते ही पदोन्नति के पद भर दिये जायेगें। प्राचार्यों के सीधी भर्ती कोटे के 112 पदों बारे मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है और उन द्वारा इस बारे साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सिफारिशे शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति	समिति इस बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहती है। (7-8-2002)

(53) Dropped 27/10/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			कोटे से 13 पदों के समक्ष पदोन्नति कर दी गई है तथा पोस्टींग आर्डर शीघ्र ही कर दिये जायेंगे। (7-8-2002)	
135.	जिला कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अध्यापकों की संख्या के बारे में साथी लहरी सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में।	20-3-95 अतारांकित प्रश्न संख्या 250 का संबंध जिला यमुनानगर एवं कुरूक्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों व उनमें छात्र संख्या अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने बारे विस्तृत सूचना से है। यह सूचना सरकार के स्तर पर उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करने में कांफी समय लगेगा। * * * * * * * * * * * *अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार को 30 दिन का समय देने की कृपा करें।	हरियाणा में जे०बी०टी० अध्यापकों की छात्र संख्या के आधारा पर वैज्ञानिकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है जिसके आधार पर जिला कुरुक्षेत्र में 99 अध्यापकों की तथा जिला यमुनानगर में 190 अध्यापकों की अतिरिक्त मांग बनती है। इन पदों को भरने हेतु संबंधित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को जहां अध्यापक अधिक है उनसे शपथ पत्र लेकर स्थानान्तरण करने हेतु लिखा जा चुका है तथा इस पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी तथा शीघ्र ही इन पदों को भर लिया जायेगा। (7-8-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (7-8-2002)

136. राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर हुई चर्चा के संदर्भ में ।	23-5-96 * * * * ''उस समय जिस विद्यालय में 8 बच्चे पंजाबी पढ़ने वाले थे तो उनके बारे में आपने कहा कि वहां पर पंजाबी अध्यापक लगाने के बारे में विचार किया जाएगा। स्पीकर साहब, हमने वह 8 की संख्या घटाकर 4 कर दी है और 4 की संख्या भी एक क्लास की बात नहीं है, पूरे विद्यालय में अगर 10 विद्यार्थी पंजाबी पढ़ने वाले हैं, चाहे वे एक-एक क्लास में एक-एक हैं, हम वहां पर पंजाबी अध्यापक अवश्य लगाएंगे। हमारा यह संकल्प है। इसमें कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है।	पंजाबी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर वर्ष 2001 के आरम्भ में नियुक्तियां कर दी गई है। विभाग द्वारा पुनः रैशनाजैशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिससे अगर इस विषय की कोई मांग होती तो वह सामने आ जायेगी तथा तदानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (7-8-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (21-8-2002)
137. कैप्टन अजय सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 808—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 1998-99 के दौरान हुई जे०बी०टी० प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है; यदि हां, तो उक्त लीक के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?	2-2-99 हां, श्रीमान इस विषय में जांच चल रही है और इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।	डी०एड० पेपर की लिकिज के बारे में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार पेपर लीक होने की सम्भावना से इन्कार किया है। (17-8-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (21-8-2002)
138. तारांकित प्रश्न संख्या 808 के संदर्भ में कैप्टन अजय सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—मैंने यह पूछा था कि	2-2-99 अध्यक्ष महोदय, पेपर लीकेज की जब सूचना मिली उसी रात को एक बजे कमिशनर एवं सैक्रेटरी एजुकेशन विभाग ने इन्कवायरी शुरू की है और	डी०एड० पेपर की लिकिज के बारे में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार पेपर लीक होने	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (21-8-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	यह इन्कवायरी कब आर्डर हुई, इसको कौन कंडक्ट कर रहा है, यह इन्कवायरी कब तक चलेगी अगर जस्टिस समय पर नहीं होगा तो इस इन्कवायरी का क्या फायदा होगा। आपको इस इन्कवायरी की कोई समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि कम्पलेंट करने वाले को समय पर इन्साफ मिल सके।	उसी हिसाब से हमने एग्जाम पोस्टपोन किया है पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी सूचना के आधार पर बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है यह रिपोर्ट हमारे पास पिछले महीने के आखिर में आई थी और इस इन्कवायरी को हम एक महीने में पूरा कर देंगे।	की सम्भावना से इन्कार किया है। (17-8-2002)	
		7-3-2001 (प्रथम बैठक)		
139.	तारांकित प्रश्न संख्या 287 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अहीरवाल में रीजनल सैंटर के बारे में जानकारी दी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सैंटर रिवाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्था माना जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अगर वहां के लोग सरकार को इस सैंटर के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा	यह रीजनल सैंटर वहां पर किराये के भवन में चल रहा है भवन बनाने के लिए यदि कोई जमीन मिल जाएगी तो इस बारे में विचार किया जा सकता है।	इस विषय में सूचित किया जाता है कि मीरपुर (रिवाड़ी) रिजनल केन्द्र के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता बारे उच्चतर शिक्षा आयुक्त, रिवाड़ी तथा एम०डी०यू० के अधिकारियों द्वारा मीरपुर सैन्टर का निरीक्षण किया गया है तथा एम०डी० विश्वविद्यालय से दुबारा इस बारे में उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव भेजा जाना है। इस हेतु महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को इस कार्यालय के यादी क्रमांक 1/8—2002—यू०एन०पी०-1 दिनांक	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (21-8-2002)

सके तो क्या सरकार अपने स्तर पर कोई भी प्रयास जमीन एक्वायर करके इस रीजनल सैंटर को बनाने में विचार करेगी। इसके अलावा रिवाड़ी से सोहाना या रिवाड़ी से पलवल की तरफ यदि जमींदार जमीन देने को तैयार हों तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस रीजनल सैंटर को वहां पर बदलने के लिए तैयार होंगे?

4-7-2002 के अन्तर्गत जमीन उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक ने अपने पत्र दिनांक 1-8-2002 के अन्तर्गत निदेशक, पी०जी०आर०सी० रिवाड़ी को भमि उपलब्ध करवाने बारे नया प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु लिखा है।

(7-8-2002)

140. श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अंतारांकित प्रश्न संख्या 58: क्या शिक्षा राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) क्या जिला पानीपत के निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उच्च विद्यालय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :—

(i) राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, भाऊपुर ;
(ii) राजकीय प्राथमिक पाठशाला, पाथरी;
(iii) राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, मंडी;
(iv) राजकीय कन्या प्राथमिक

8-11-2001

(क) सामान्यत: प्राथमिक विद्यालयों को केवल माध्यकि स्तर तक ही स्तरोन्नत किया जाता है न कि सीधे ही उच्च स्तर तक निम्नलिखित विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(i) राजकीय प्राथमिक पाठशाला, पथेड़ी;
(ii) राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, मंडी;
(iii) राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, सींक;

(ख) विधिवत औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	विद्यालय, सींख; (v) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उरलाना खुर्द; तथा (vi) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहमदपुर; तथा (ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?			
141.	श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अंतारांकित प्रश्न संख्या 60: क्या शिक्षा राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि: (क) क्या जिला पानीपत के निम्नलिखित माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उच्च विद्यालय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :— (i) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चंदोली ; (ii) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बलाना;	8-11-2001 (क) जी हां, श्रीमान जी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंदोली, अहर, बलाना, नौहरा, बांध तथा दीवाना का स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। (ख) विधिवत औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही इन विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जाएगा।		

(iii) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नौहरा;
(iv) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ब्राहमण माजरा;
(v) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अहर;
(vi) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बांध; तथा
(vii) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दिवाना; तथा
(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

8-11-2001

142. श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अंतारांकित प्रश्न संख्या 61: क्या शिक्षा राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) क्या जिला पानीपत के निम्नलिखित उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :—
(i) राजकीय उच्च विद्यालय, भंडारी;
(ii) राजकीय उच्च विद्यालय, डाहर;

(क) जी हां, श्रीमान जी। राजकीय उच्च विद्यालय नौलथा, सींक तथा शाहपुर का स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विधिवत औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही इन विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	(iii) राजकीय उच्च विद्यालय, नौलथा; (iv) राजकीय उच्च विद्यालय, भादोड; (v) राजकीय उच्च विद्यालय, सींख; (vi) राजकीय उच्च विद्यालय, परढ़ाना; (vii) राजकीय उच्च विद्यालय, बुआना लाखू; (viii) राजकीय उच्च विद्यालय, शाहपुर; (ix) राजकीय उच्च विद्यालय, कालखा; तथा (x) राजकीय उच्च विद्यालय, उरलाना कलां; तथा (ख) यदि हां, तो इनका दर्जा कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?			
143.	श्री रामबीर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 783: (क) क्या पटौदी निर्वाचन क्षेत्र में पटौदी तथा भोडा कलां के राजकीय उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर 10+2 विद्यालय करने का कोई प्रस्ताव	9-11-2001 (क) जी हां, श्रीमान जी। विधान सभा क्षेत्र पटौदी में राजकीय उच्च विद्यालय पटौदी एवं राजकीय उच्च विद्यालय भोड़ा कलां को 10+2 विद्यालय में स्तरोन्नत करने का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।		

सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त विद्यालयों का दर्जा कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?

(ख) विधिवत औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही इन विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

४९

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

HEALTH DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
144.	तारांकित प्रश्न संख्या 1428 पर श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"औरंगाबाद का कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर कब स्थापित हुआ था और इसको अपग्रेड करने का मामला कब से विचाराधीन है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि नांगल जाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब खोला गया था और इसकी इमारत कब तक बनकर तैयार की जाएगी?" F.O 3/9/03	11-3-91 भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अनुसार प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य (केन्द्रों) के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें 30 बिस्तर तथा शल्य चिकित्सा/फिजिशियन, स्त्री रोग, बाल रोग एवं दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे, स्थापित किए जाएंगे। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा इन 4 पी०एo सीज० में से होडल को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है।	ग्राम पंचायत नंगल जाट द्वारा भवन निर्माण हेतु 2.5 एकड भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है जो स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है। इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतू सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 20/68/97-5-एच०बी० III दिनांक 28.3.2000 द्वारा 31.58 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा 31.3.2002 तक निर्माण पर 1.02 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। टैण्डर अण्डर प्रोसैस है। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)
145.	श्री जय सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 228 का भाग (क) तथा (ख)— (क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरावड़ी की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा	17-3-1992 (क) हां (ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती। F.O 3/9/03	सरकार के पत्र क्रमांक 20/8/96-5-एच०बी० III दिनांक 6.11.2001 द्वारा इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 89.42 लाख रुपए की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण हेतु	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)

(ख) यदि ऐसा है, तो पूर्वोक्त इमारत का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?		टैंडर काल किए गए हैं। (17-6-2002)	
146. श्री राम पाल सिंह कंवर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 449 के उत्तर में— (क) क्या जिला करनाल में घरौंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि ऐसा है, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ किए जाने/पूरा होने की संभावना है ? (ग) इस कार्य के आरम्भ करने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि नहीं दी सकती जैसा कि ऊपरलिखित स्पष्ट है। (15-9-98)	25-2-93 (क) जी हां। (ख) वर्तमान समय में सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं क्योंकि यह धन उपलब्धि पर निर्भर है।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरौण्डा के भवन निर्माण हेतु म्यूनिसीपल केमटी द्वारा 31 कनाल 11 मरले भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है जो स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है। इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतू मुख्य वास्तुक वास्तुकला विभाग द्वारा ड्राईंग्ज़ तैयार की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण हेतु 163.40 लाख रुपये के अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। जो कि प्री-प्लानिंग मीटिंग की प्रोसिडिंग प्राप्त होने पर सरकार को भेज दिए जाएँगे। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)
147. चौधरी अजमत खां द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न नं० 465—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या उटावड़ तथा नांगल जाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की	26-2-93 (क) जी हां। (ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह धन उपलब्धि पर निर्भर है।	सिविल सर्जन, फरीदाबाद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत उतावड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 2.5 एकड भूमि का प्रस्ताव दिया है। सिविल सर्जन, फरीदाबाद को निर्देश दिए	The Committee would like to know the latest position in this regard. (19-6-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि ऐसा है, तो उक्त इमारतों पर कार्य कब तक आरम्भ/पुरा होने की संभावना है ?		गए है कि पहले जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानान्तरण करवा ले और यदि यह भूमि निर्माण के लिए उचित है तदानुसार साईट प्लान बनाकर भेजें। (ख) ग्राम पंचायत नंगल जाट द्वारा भवन निर्माण हेतु 2.5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है जो स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है। इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 20/68/ 97-5-एच०बी० III दिनांक 28.3.2000 द्वारा 31.58 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा 31.3.2002 तक निर्माण पर 1.02 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। टैण्डर अण्डर प्रोसैस है। (17-6-2002)	
148.	श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 183— (क) क्या सिविल अस्पताल, करनाल	12-9-94 (क) जी हां।	दानवीरकर्ण राजकीय अस्पताल, करनाल के बी० ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। धन के अभाव के कारण ए	The Committee would like to know the latest position

	के ब्लाक "ए" का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि ऐसा है, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त ब्लाक के निर्माण के लिए कोई राशि मंजूर की गई है तथा इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?		ब्लाक का निर्माण कार्य अभी टेकअप नहीं किया गया है। इसी अस्पताल के प्रांगण में ट्रोमा सेंटर के भवन का निर्माण कार्य 63 लाख रुपए की लागत से भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता से करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। (17-6-2002)	in this regard. (19-6-2002)
149.	तारांकित प्रश्न संख्या 1016 के संदर्भ में श्री कृष्ण लाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—* * * * "अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहिन जी से जानना चाहूंगा कि बारिश के दिनों में यह बिल्डिंग (जिला पानीपत के गांव मडलौडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) झील बन जाती है, उसमें पानी भर जाता है जिससे मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या इसका भरत करवा कर ठीक करवाएंगे; यदि हां, तो यह काम कब तक पूर्ण हो जाएगा?"	7-3-95 झील को भरने के लिए पैसा चाहिए तथा चार दीवारी के लिए भी पैसा चाहिए। इन कामों के लिए नए बजट में पैसे का प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।	सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मतलौडा की बाउंड्री वाल तथा भूमि का भरत मिट्टी से करवाने के 3,37,700/- रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 20/5/99-5-एच०बी० III दिनांक 2.1.2002 द्वारा जारी की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अप्रैल, 2002 में कार्य अलाट कर दिया गया है। (17-6-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (19-6-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
150.	तारांकित प्रश्न संख्या 1016 के संदर्भ में साथी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गूडा और टाटका दो गांव हैं जिनमें पी०एच०सीज० चल रही है उन पी०एच०सीज० की बिल्डिंग कब बनानी शुरू करेंगे और वे कब तक पूरी हो जाएंगी?"	7-3-95 ****** वैसे पिछले बजट में पी०एच०सीज० के लिए जितने पैसों का प्रावधान था, हमने उससे ज्यादा ही खर्च किया है। अगले बजट में उन दो पी०एच०सीज० का ध्यान रखेंगे।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाटका (कुरुक्षेत्र) : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाटका के भवन निर्माण हेतु 2 एकड़ भूमि ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क दी गई है। भूमि निदेशक, पंचायत हरियाणा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है। मुख्य वास्तुक वास्तुकला विभाग द्वारा दिनांक 7.3.2002 को भवन के निर्माण हेतु ड्राईगज़ तैयार की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग हरियाणा को भेजी जा चुकी हैं। अनुमान लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ़ा के भवन निर्माण हेतु 2 एकड़ भूमि ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क दी गई है। भूमि निदेशक पंचायत हरियाणा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है। मुख्य वास्तुक वास्तुकला विभाग द्वारा दिनांक 18.2.2002 को भवन	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)

F.O. 3/7/03

		के निर्माण हेतु ड्राईग्ज़ तैयार की जा चुकी हैं जो अनुमान तैयार करने हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग हरियाणा को भेजी जा चुकी है। अनुमान लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित हैं। (17-6-2002)	
151. तारांकित प्रश्न संख्या 1016 के संदर्भ में श्री सूरज भान काजल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''अध्यक्ष महोदय, जुलाना के अन्दर एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर है इसको बने हुए 50 साल से हो गए हैं। इसकी कोई भी बिल्डिंग नहीं है लेकिन इसकी 25 बैडज की कैपेस्टी दिखा रखी है जबकि इसमें 10 बैडज भी नहीं आ सकते हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या उस बिल्डिंग को बनाने का विचार है और अगर हां तो कब तक उसको बनवा दिया जाएगा?''	7-3-95 अध्यक्ष महोदय, वहां पर बैड्ज का प्रावधान है। वह पुरानी ब्लाक स्तर की पी०एच०सी० थी, इसकी पूरी बिल्डिंग न बना करके इसके साथ कुछ एडीशनल बनाने की सरकार की योजना है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम जो बजट पास करेंगे और उसमें जो प्रावधान होगा, उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाएगा।	वर्तमान समय में सी०एच०सी० जुलाना की वर्तमान इमारत 9 कनाल 4 मरले में बनी हुई है। इस केन्द्र के नए भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि अभी उपलब्ध नहीं है। सी०एच०सी० के भवन निर्माण हेतु 4 एकड भूमि की आवश्यकता होती है। सिविल सर्जन, जीन्द द्वारा ग्राम पंचायत जुलाना से वांछित भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वांछित भूमि उपलब्ध होने पर आगामी कार्यवाही कर ली जाएगी। (17-6-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (19-6-2002)
152. तारांकित प्रश्न संख्या 1269 पर श्री अजमत खां द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—''अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि मेवात में लड़कियों को	29-2-96 स्पीकर साहब मैंने यह नहीं कहा कि हम उस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। मैंने यह कहा था कि अगर वह सरकारी बिल्डिंग है तो जल्दी टेक ओवर करके काम शुरू करवाएंगे।	दिनांक 18.7.2001 को मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई मेवात डवलपमैंन्ट बोर्ड की बैठक में मुख्य मंत्री महोदय ने चाहा है कि ए०पी०डब्ल्यू०	The Committee would like to know the latest position in this regard. (19-6-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	तालीम नहीं है इस वजह से यहां ए०एन०एम० नहीं लग सकी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेवात की लड़कियों को आज ए०एन०एम० का कोर्स करने के लिए दाखिला नहीं मिलता। वहां पर लड़कियां बी०ए० और एम०ए० तक पढ़ी हुई हैं। न उनको नौकरियां मिलती हैं और न ही उनको ट्रेनिंग के लिए दाखिला मिलता है। आप उनको मेवात बोर्ड की तरफ से या सरकार की अपनी तरफ से दाखिला दिलवाने का बन्दोबस्त करवाएं। उसके बाद देखें कि पढ़ी-लिखी लड़कियां हैं या नहीं। जहां तक सिलाई की बिल्डिंग की बात है तो सच यह कि इस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं किया गया है। यह बिल्डिंग स्कूल के नजदीक है। अगर आप उसे टेक ओवर नहीं करना चाहते तो हमें यह बिल्डिंग दस जमा दो स्कूल की क्लासों के लिए दे दें।	जहां तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है, गुड़गांव के अन्दर इस एरिया के लिए स्पैशल स्कूल खोला गया ताकि वहां पर मेवात की लड़कियों को एडमिशन मिल सके और उसके बाद वे उस इलाके की सेवा कर सकें।	(एफ) ट्रैनिंग स्कूल नूह में स्कूल के लिए पर्याप्त सथान ना होने के कारण यह स्कूल नवनिर्मित मांडी खेड़ा अस्पताल गुड़गांव में स्फिट किया जाए। सरकार के पत्र क्रमांक 6/2002/98-2 HB-III दिनांक 29.1.2001 स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ट्रैनिंग स्कूल को नूंह से माण्डी खेड़ा में शीघ्र शिफट क दिया जाएगा। (17-6-2002)	

153. बजट भाषण।	6-3-96 ***चालू वर्ष के दौरान तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं व एक अन्य ऐसा केन्द्र खोलने की योजना बनाई जा रही है।** ***मैडीकल कालेज, रोहतक का दर्जा बढ़ाकर उसे स्नातकोत्तर संस्थान बनाया जा रहा है तथा नर्सिंग स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे नर्सिंग कालेज बनाया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान इस संस्थान में एक ट्रामा खंड, एक 50 बिस्तर वाला राजकीय मानसिक रोग रिहैबिलिटेशन सैन्टर व मानसिक रोगियों के रिहैबिलिटेशन के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जा रहा है।*** (17-6-2002)		समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)
154. श्री श्री कृष्ण हुड्डा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर में— क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या यह तथ्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किलोई की इमारत क्षतिग्रस्त अवस्था में है; तथा (ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत का पुनः निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के	18-11-96 "(क) जी हां। (ख) जी हां, भवन के पुनर्निर्माण हेतु सरकार तत्परता से प्रस्ताव पर विचार कर रही है तथा आगामी वित्त वर्ष में भवन का निर्माण किए जाने की संभावना है।"	इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा दिनांक 24.3.2000 को 129.80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। टेण्डर काल कर लिए गए हैं तथा अण्डर प्रोसेस हैं। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	विचाराधीन है, तथा उक्त इमारत का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ/पूरा किए जाने की संभावना है?			
155.	तारांकित प्रश्न संख्या 247 के संदर्भ में श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—''अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि नारनौल हस्पताल की हालत बहुत खराब है। वहां पर जो पोस्टमार्टम रूम है वह खस्ता हालत में है और दूसरे वह काफी नीचे जाकर है। वर्षा में वहां पर पानी खड़ा हो जाता है वहां पर चार दिवारी न होने की वजह से भी पोस्टमार्टम ठीक तरह से नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि या तो उसको ठीक करवाया जाए या उसको गिराकर और उसे ऊपर उठाकर नए सिरे से बनाया जाए ताकि पोस्टमार्टम	11-3-97 अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम उसकी जल्दी ही जांच करके फौरी तौर पर ठीक करवा देंगे।	सरकार के पत्र क्रमांक 20/1/2002-5-एच०बी० II दिनांक 22.2.2002 द्वारा सामान्य हस्पताल तथा टी०बी० हस्पताल नारनौल की बाउंडरी वाल के लिए 3.96 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। चारदीवारी बन चुकी है। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)

वहां पर ठीक प्रकार से हो सके।"

156. श्री जय सिंह राणा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 379—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरावड़ी की इमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (ख) यदि हां, तो ऊपर के भाग (क) में यथानिर्दिष्ट इमारत का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ/पूरा किए जाने की ससंभावना है?	13-3-97 (क) जी हां। (ख) निर्माण कार्य 1997-98 में आरम्भ होने की सम्भावना है तथा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के पूर्ण होने में सामान्यत: आढ़ाई से तीन वर्ष का समय लग जाता है।	सरकार के पत्र क्रमांक 20/8/ 96-5-एच०बी० III दिनांक 6.11.2001 द्वारा इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 89.42 लाख रुपए की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण हेतु टैंडर काल किए गए हैं। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (19-6-2002)
157. श्री भागी राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 388—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या सरकारी अस्पताल, ऐलनाबाद की इमारत की मुरम्मत / पुन: निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा	20-3-97 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की विशेष मरम्मत 1994-95 में की जा चुकी है। भवन का पुन: निर्माण करने की बजाए नए स्थान पर एक 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है जो कि 3 वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है।	सरकार द्वारा सामु० स्वा० केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 193.30 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.2.2000 को पहले ही जारी कर रखी है। मार्च, 2002 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा 68.09 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। मुख्य भवन का निर्माण कार्य 67 प्रतिशत तक हो चुका है और पहली	The Committee would like to know the latest position in this regard. (19-6-2000)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो उक्त इमारत का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ/पूरा किए जाने की संभावना है ?		मंजिल की रूफ सलैब डाल दी गई है। (17-6-2002)	
158.	श्री जय सिंह राणा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 729—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरावड़ी के लिए एक इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?	22-7-98 जी हां।	सरकार के पत्र क्रमांक 20/8/96-5-एच०बी० III दिनांक 6.11.2001 द्वारा इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 89.42 लाख रुपए की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण हेतु। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (26-6-2002)
159.	श्री धर्मवीर गावा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 827—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या वर्ष 1998 के दौरान राज्य सरकार ने मेवात क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; तथा	1-2-99 (क) जी हां। (ख) गांव माण्डी खेड़ा तथा मानेसर (जिला गुड़गांव) के दो अस्पताओं का निर्माण प्रक्रिया में है।	माण्डी खेड़ा अस्पताल निर्माण पूर्ण हो चुका है। दिनांक 30.1.2002 को सिविल सर्जन, गुड़गांव द्वारा भवन को टेक ओवर करके कार्य शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत मानेसर द्वारा इस अस्पताल के निर्माण के लिए जो भूमि उपलब्ध करवाई गई थी वह झगड़े वाली है तथा इस भूमि पर कोर्ट केस चला रहा है।	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (26-6-2002)

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?		हरियाणा राज्य औद्यौगिक विकास निगम लिमिटेड को अलटरनेटिव भूमि उपलब्ध करवाने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। पुन: स्मरण पत्र जारी किए जा रहे हैं। (17-6-2002)	
160. श्री ओम प्रकाश जैन द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 974—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या सिविल अस्पताल, पानीपत में प्राईवेट वार्ड, लिफ्ट तथा शव गृह की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	9-2-99 प्राईवेट वार्ड का निर्माण सरकार के विचाराधीन है। इस अस्पताल में लिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य अस्पताल, पानीपत में शव गृह की सुविधा पहले ही उपलब्ध है परन्तु अपर्याप्त है। अतिरिक्त शवगृह भवन के बारे में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। *** जहां तक प्राईवेट वार्ड का ताल्लुक है, 10 कमरों के लिए चीफ आर्किटैक्चर, चण्डीगढ़ को हमनें लिखकर भेजा हुआ है और वे उसकी ड्राईंग्ज बना रहे हैं। ड्राईंग बनने के बाद ऐस्टमेट्स बन जाएंगे और मेरे ख्याल से वे दस कमरे अवश्य बना दिए जाएंगे। इसके अलावा जहां तक शवगृह की बात है वहां पर पहले ही एक कमरा बना हुआ है। सरकार चाहती भी है कि उस कमरे को और बड़ा किया जाए। इस कमरे की ड्राईंग का मामला भी आर्किटैक्ट के पास गया हुआ है और इसको भी हम जल्दी करवा देंगे।	सामान्य अस्पताल, पानीपत के प्राईवेट वार्ड, ब्लड बैंक तथा मौरचरी के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2001-02 में 43.47 लाख रुपे के अनुमान बनाए गए थे। धन के अभाव के कारण इनका निर्माण संभव नहीं हो पाया। मौरचरी के भवन निर्माण बारे इण्डियन ऑयल रिफायनरी, पानीपत से भी विचार विमर्श चल रहा है। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (26-6=2002)

F.O 15/9/03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
161.	वर्ष 2000-2001 का बजट।	14-3-2000 लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए यूरोपियन कमीशन से अनुदान प्राप्त करने हेतु एक परियोजना तैयार की जा रही है। पूरे देश में 21 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से तीन जिले हरियाणा के होंगे। यूरोपियन कमीशन द्वारा देश में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी, जिसमें से हरियाणा को आनुपातिक राशि मिलने की संभावना है।	यूरोपियन कमीशन के अन्तर्गत हरियाणा के 3 जिलों अम्बाला, यमुनानगर तथा करनाल में यह योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत जिला एक्शन प्लान जनवरी 2001 तथा स्टेट एक्शन प्लान अप्रैल 2001 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 474 लाख रुपे की राशि स्टैट एक्शन प्लान के तहत स्वीकृत की गई है। अम्बाला जिला के लिए 136.3 लाख रुपए, यमुनानगर को 166.32 लाख रुपए तथा करनाल को 60.30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्टेट व जिला एक्शन प्लान के तहत राज्य को अब तक भारत सरकार से 4.68 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। एक्शन प्लान अनुसार स्वीकृत एक्टिवीटिज पर कार्य किया जा रहा है। (17-6-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (26-6-2002)

162.	श्री जसबीर सिंह मल्लौर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 313 : क्या स्वास्थ्य राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नग्गल निर्वाचन क्षेत्र के गांव माजरी में उक्त गांव को पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित की गई बताई जाने वाली 4 एकड़ भूमि पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के प्रायोजन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की सम्भावा है?	13-3-2001 (प्रथम बैठक) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण शिवालिक विकास बोर्ड अम्बाला द्वारा करवाया जा रहा है। जिसके लिए ग्राम पंचायत माजरी द्वार 32 कनाल भूमि उपलब्ध करवाई गई है। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरण हो चुकी है। शिवालिक विकास बोर्ड द्वारा इस भवन का निर्माण करवाया जाएगा।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु शिवालिक विकास बोर्ड अम्बाला द्वारा 62.82 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.12.2001 को भवन निर्माण हेतु नींव पत्थर रखा जा चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (26-6-2002)
163.	श्री बलवंत सिंह सढौरा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 383 क्या स्वास्थ्य राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि : (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सिविल अस्पताल, सढौरा की इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; तथा (ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त अस्पताल के लिए एक नई इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?	13-3-2001 (प्रथम बैठक) अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य के दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का जवाब ह है कि मुझे ज्ञात है कि सढौरा पी.एच.सी. की बिल्डिंग की हालत जीर्ण-शीर्ण है। दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि इसके निर्माण के लिए सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है।	इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य शिवालिक विकास बोर्ड अम्बाला द्वारा करवाया जा रहा है। प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने इस केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 36,16,600/- रुपये के अनुमान दिनांक 8.4.2002 को भेजे हैं। जो कि निदेशालय द्वारा शिवालिक बोर्ड अम्बाला को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु दिनांक 26.4.2002 को भेजे जा चुके हैं। (17-6-2002)	समिति इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (26-6-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
164.	तारांकित प्रश्न संख्या 960 पर डा० बृज मोहन गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"मेरा एक सवाल तो यह है कि इतने कम किराये की वजह से (जगाधरी नगर-पालिका की इमारत पट्टे पर देने के कारण) कमेटी को जो लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, क्या उसकी रिकवरी कर सकते है? दूसरा यह है कि क्या इसकी लीज कैंसिल कर सकते हैं और अगर कुछ और नहीं हो सकता तो क्या किराया बढ़ा सकते हैं?"	11-9-1989 स्पीकर साहब, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार बन्द करना है। मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा कि यह किस अफसर ने हिमाकत की और इतना नुकसान किया कि एक हजार रुपये की इन्कम के अगेस्ट एक लाख 21 हजार रुपया खर्च हो। घर बैठे बिठाये एक लाख इक्कीस हज़ार रुपये की पैंशन दे दी। मैं इसकी इंक्वारी करवाऊंगा और ला डिपार्टमैंट से पूछकर लीज अगर कैंसिल हो सकेगी तो उसकी कैंसिल करने की भी कार्यवाही की जाएगी।	खेड़ा बाजार जगाधरी में स्थित एक भवन, जिसमें पुराना मुख्य चुंगी दफ्तर था, कि भूतपूर्व विधायक एवं मंत्री डॉ० ओम प्रकाश को दिनांक 21-6-68 से 10 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष नोमिनल किराये की दर से लीज पर दिया गया था। इस भवन का कुल क्षेत्र 1900 वर्ग फुट है जिसमें दो हाल कमरे एक छोटा कमरा, एक छोटा स्टोर, एक स्नानगृह, एक रसोई घर एवं लैटरिन है। इस भवन को लीज पर लेने के समय यह किसी और काम के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था सिवाये इसके कि कुछ पुराना चुंगी रिकार्ड वहां पड़ा हुआ था। इस रिकार्ड को नये चुंगी दफ्तर में बदल दिया गया था। प्रथम बार यह भवन श्री ओम प्रकाश को दिनांक 22-6-68 से 20-6-78 तक लीज पर दिया गया था लीज मनी निश्चित करने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया	The Committee would like to orally examine the departmental representatives in one of its subsequent meetings. (13-11-02)

3-11-03

गया था। यह तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 22-6-68 को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से निश्चित की गई थी, जो कि बाद में सरकार द्वारा 24-6-75 को अनुमोदित कर दी गई।

लीज की अवधि समाप्त होने पर नगरपालिका ने इस भवन को खाली करवाने के लिए उप मण्डल अधिकारी (ना०) जगाधरी के न्यायालय में मुकद्मा दायर किया गया था।

मुकद्में का फैसला नगरपालिका के हक ही में हुआ है परन्तु लीजी ने उपमंडल अधिकारी (ना०) जगाधरी के निर्णय के विरुद्ध आयुक्त, अम्बाला मंडल, अम्बाला के न्यायालय में अपील दायर की। अभी तक अपील का निर्णय नहीं हुआ था कि इसी दौरान 11-5-82 को सरकार द्वारा डॉक्टर ओम प्रकाश को उक्त भवन पिछली शर्तों पर लीज की अवधि दिनांक 22-6-78 से 31-3-83 तक के लिए आगे बढ़ाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात लीजी ने एक हजार रुपये प्रति वर्ष लीज मनी की दर से आगे 25 वर्ष के लिए उक्त भवन की लीज अवधि बढ़ाने हेतु नगरपालिका से अनुरोध किया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			और सरकार द्वारा यह अवधि पहले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने तथा उसे आगे 10 वर्षों के नवीकरण करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पहले 10 वर्ष के लिए लीज मनी 500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति वर्ष की दर से ली जाए तथा तदानुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात लीज मनी 1000 रुपये के 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाये। नगरपालिका जगाधरी द्वारा तदानुसार लीज अवधि बढ़ा दी गई। उक्त भवन अब भी डाक्टर ओम प्रकाश के पास लीज पर है तथा उसके कब्जे में है। नगरपालिका तथा लीजी के मध्य हुए लीज एग्रीमैंट में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके अन्तर्गत नगरपालिका जगाधरी कथित भवन की मरम्मत रख-रखाव के लिये बाध्य हों परन्तु नगरपालिका द्वारा उक्त-भवन के रखरखाव पर वर्ष 1970-71 से 1986-87 की अवधि में कुल	

रुपये 1,21,803.24 पैसे खर्च किये जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

1970-71	60-40
1973-74	4724-31
1976-77	8192-66
1977-78	10666-70
1982-83	28482-96
1983-84	9646-20
1985-86	46198-81
1986-87	13381-20
	1,21,803.24 रुपये

अभिलेखों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका द्वारा इन कार्यों पर किया गया यह खर्चा तत्कालीन विधायक/मंत्री के अनुरोध पर किया गया है।

इस भवन से नगरपालिका को दिनांक 21-6-68 से 30-6-89 तक की अवधि में 16250 रुपये की राशि लीज मनी के तौर पर प्राप्त हुई।

(23-8-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
165.	श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 230— क्या स्थानीय शासन राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या यह तथ्य है कि करनाल में उपायुक्त ने फरवरी 1994 माह में नगरपालिका की भूमि का एक खण्ड मैसर्ज गलोब ट्रैक्टर एजैन्सी, करनाल को मुफ्त में आबंटित किया है;यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; तथा (ख) क्या यह भी तथ्य है कि प्रशासक, नगरपालिका, करनाल ने अप्रैल, 1994 में ऊपर के भाग (क) में यथानिर्दिष्ट भूमि के आबंटन को निरस्त करने के लिए उपायुक्त से लिखित अनुरोध किया है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?	7-3-95 * * * इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए।	तत्कालीन उपायुक्त करनाल द्वारा 350 वर्ग गज भूमि मैसर्ज ग्लोब ट्रैक्टर एजैन्सी करनाल को बिना कीमत अलाट की गई थी, जिसका विवरण पहले भी दिया जा चुका है। इस भूमि को देने में उपायुक्त करनाल सक्षम नहीं थे। यह भूमि मैसर्ज ग्लोब ट्रैक्टर को पार्क तथा पार्किंग प्लेस विकसित करने के लिए दी गई थी। परन्तु यह भूमि ग्लोब ट्रैक्टर द्वारा इस प्रकार से विकसित की गई है कि यह भूमि उनकी फर्म का हिस्सा प्रतीत होती है। नगर परिषद् करनाल द्वारा इस बारे फर्म को नगरपालिका अधिनियम की धारा 181 के अंतर्गत क्रमांक 907/एम.सी.के.एम.ई. दिनांक 28-7-98 द्वारा नोटिस दिया गया परन्तु फर्म द्वारा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस केस में तत्कालीन नगर अभियन्ता ने कोर्ट में ब्यान दिया था कि नगर परिषद् कानून के अंतर्गत कार्यवाही करेगी। इस केस में तिथि	The Committee would like to know the latest position in this regard. (13-11-2002)

F-O 3-11-03

166. बजट भाषण

6-3-96

* * * शहरी गन्दी बस्तियों का सुधार राजस्व अर्जन स्कीमों तथा लघु एवं मध्यम नगरों का समन्वित विकास आदि स्कीमें चलाई जायेंगी।

* * * राज्य के सभी द्वितीय श्रेणी के शहरों में चालू वर्ष के दौरान ''प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक'' नई स्कीम शुरू की गई है।

23.7.2002 नगर परिषद् की गवाही के लिए निश्चित थी। यह केस श्री पी.के. अग्रवाल सिविल जज करनाल की अदालत में चल रहा है।

(23-8-2002)

1. शहरी गन्दी बस्तियों में सुधार (ई.आई.यू.एस.) स्कीम के तहत वर्ष 1997-98 में रिलीज किए गए रुपए 780.00 लाख के तहत 99625 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का फिजीकल टारगेट रखा गया था और इस टारगेट के अधीन 87046 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया। जहां तक लघु तथा मध्यम नगरों का समन्वित विकास स्कीम का प्रश्न है। वर्ष 1997-98 में नहर-परिषद, यमुनानगर तथा नगरपालिका, पेहवा को निम्न राशि इस स्कीम के तहत दी गई :—

	केन्द्रीय सहायता (लाखों में)	राज्य सहायता (लाखों में)	कुल
यमुनानगर	120.00	40.00	160.00
पेहवा	60.00	20.00	80.00
कुल जोड़	180.00	60.00	240.00

2. प्रधानमन्त्री का एकीकृत शहरी

कमेटी इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहती है।

(13-11-02)

Dropped on 3-11-03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 1997-98 में समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक नई योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से 1-12-97 से चालू की गई जिसका संक्षेप विवरण निम्न प्रकार से है :—	
			स्वर्ण जयंती रोजगार योजना गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए राज्यों के सभी शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है। योजना का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 15 प्रतिशत तक अनुदान होता है। वर्ष 1999-2000 में इस योजना के अन्तर्गत 2691 लाभार्थी, वर्ष 2000-2001 में 2066 तथा वर्ष 2001-2002 में 2122 व्यक्ति लाभान्वित हुए।	
			10 गरीब महिलाओं के समूह को	

स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए 2.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत तक अनुदान होता है, वर्ष 1999-2000 में 49 समूह, 2000-2001 में 53 समूह तथा वर्ष 2001-2002 तक 65 समूह बनाये गये। लाभार्थियों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 1999-2000 में 1677 व्यक्तियों को, 2000-2001 में 1392 व्यक्तियों को तथा वर्ष 2001-2002 में 1504 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बजट में राज्य के हिस्से के रूप में 3.30 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा वर्ष 2002-2003 के लिए 55.00 लाख रुपये के राज्य अंश का प्रावधान है।

(23-8-2002)

167. श्री कृष्ण पाल गुज्जर द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर में— क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या फरीदाबाद नगर निगम की सीमा में पड़ने वाले गांवों के धोवन जल की

21-11-96

जी हां। * * * * पल्ला गांव में सिवर का कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूरा होने की संभावना है। सीही गांव के 80 प्रतिशत क्षेत्र में सिवर का कार्य चालू स्थिति (फंक्शनल) में है और गांव के शेष भाग के लिए कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू

फरीदाबाद में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए रैनीबेल स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के अंतगर्त दो रैनीबेल तथा 19 गहरे नलकूप यमुना बैल्ट में लगाये जा रहे हैं। यह कार्य प्रगति पर है

कमेटी इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहती है।

(13-11-2002)

F-0 10-8-03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	निकासी करने के लिए सीवरेज प्रणाली बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।	किया जाएगा। निगम की सीमा में आने वाले शेष गांवों में (6 बे-चिराग गांवों को छोड़कर) सिवर का कार्य फेसिज में धन-राशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जायेगा।	तथा हुड्डा द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 100 लाख गैलन जल की आपूर्ति प्रति दिन कराई जायेगी जिसमें से 50 लाख गैलन पानी का आपूर्ति दिल्ली-मथुरा रोड के पूर्व में हुड्डा के सैक्टरों को कराई जायेगी तथा 50 लाख गैलन पानी की आपूर्ति प्रतिदिन दिल्ली-मथुरा रोड के पश्चिम में एन.आई.टी. क्षेत्र डब्बा कॉलोनी, कपड़ा कॉलीनी, जवाहर कॉलोनी, गांव सारन, पर्वतीय कॉलोनी तथा गांव मुजेसर में कराई जायेगी। इन कॉलोनियों में भूमिगत जल खारा है तथा इन क्षेत्रों में नलकूप नहीं लगवाये जा सकते। इस योजना पर लगभग अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये आयेगी जिसका 50 प्रतिशत नगर निगम व 50 प्रतिशत हुड्डा उपलब्ध करवायेगा। नगर निगम ने अपने हिस्से की 21 करोड़ रुपये राशि में से 16 करोड़ रुपये की राशि एन.सी.आर. से बतौर कर्ज लेकर उपलब्ध करा दी है। यह कार्य पूरे जोरों	

		शोरों से चल रहा है तथा दिसम्बर 2002 तक पूरा होने की आशा है। (23-8-2002)	
168. वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 * * * * * जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि राज्य में फरीदाबाद में ही एक मात्र नगर निगम की स्थापना की गई है। इस नगर निगम ने 1997-98 में विभिन्न विकास कार्यों पर 8.05 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। निगम वर्ष 1998-99 में शहरी विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के सहयोग से रैनी वैल नाम की जल आपूर्ति की एक विशाल परियोजना पर कार्य शुरू करने जा रहा है। रैनी वैल स्कीम एक जल आपूर्ति संवर्धन परियोजना है और उसकी लागत 40 करोड़ रुपये है। इनकी लागत का खर्च नगर निगम, फरीदाबाद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50, 40 व 10 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस स्कीम के तहत नगर को प्रतिदिन 90 लाख गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा।	निगम/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही यमुना बैल्ट में रैनी वैल्ज के आधार 2 नं० रैनी बेल्ज व 19 नं० गहरे नलकूपों पर आधारित स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। यह स्कीम प्रतिदिन दिल्ली-मथुरा रोड के पश्चिमी दिशा में पानी की 100 लाख गैलन मांग की आपूर्ति करेगी। अनुमानित लागत 4200.00 लाख रुपये का 50% लागत अर्थात् 2100.00 लाख रुपये निगम तथा 50% हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा मार्च, 2002 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। (21-5-2001)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (13-11-2002)
169. श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 876 :— क्या स्थानीय शासन मंत्री कृपया	10-2-99 (क) हां, श्रीमान। (ख) व (ग) उपायुक्त, अम्बाला जिन्हें बंटवारा समझौते के अधीन प्राप्त अम्बाला छावनी	राय तथा रंधावा मार्किट में स्थित 236 स्टालों को 4000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से लीज होल्डर/किरायेदारों को	कमेटी इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहती है। (13-11-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	बताएंगे कि— क्या यह तथ्य है कि राई मार्किट तथा रंधावा मार्किट की दुकानों का पट्टा कई वर्षों से समाप्त हो चुका है; यदि हां, तो क्या पट्टे का नवीकरण करने या पूर्वोक्त भूमि को इसके अधिभोक्ताओं को बेचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा यदि हां, तो ऊपर के भाग (ख) में यथानिर्दिष्ट प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?	क्षेत्र की जमीन का सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है, को आयुक्त, अम्बाला मण्डल के माध्यम से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस बारे विचार किया जायेगा। * * * उपायुक्त ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी आयुक्त की रिपोर्ट आनी बाकी है। आयुक्त की रिपोर्ट आने पर इस मामले को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद स्थानीय विधायक के सुझाव भी लिये जाएंगे जैसे ये कहेंगे उसी के अनुसार फैसला कर लिया जाएगा। सरकार की इस मामले में फैसला करने की पूरी रूचि है। हम सरकार को घाटा नहीं देना चाहते और इस मामले में फैसला जल्दी ही कर दिया जाएगा। * * * अगर लीज लेने वाले व्यक्ति इस जमीन को खरीदना चाहते हैं तो मार्किट रेट्स पर उनको बेच भी देंगे तथा जो भी फैसला हमने लिया है, वह 6 माह के	फ्री होल्ड में स्थानांत्रित करने बारे सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है। कथित स्टालों के लीज होल्डरों द्वारा लीज की भूमि के अतिरिक्त स्टालों के पीछे की भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, इस अतिक्रमण की भूमि को भी सम्बन्धित स्टाल होल्डर को बेचने बारे अब मामला सरकार के विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र ही कोई निर्णय होने की सम्भावना है। (23-8-2002)	

अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

170. वर्ष 2000-2001 का बजट

14-3-2000

आगामी वित्त वर्ष के दौरान शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार, राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास, शहरी कचरा प्रबन्धन इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य की 53 नगरपालिकाओं को 18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है।

वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकसित, शहरी कचरा प्रबन्धन इत्यादि निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत 53 पालिकाओं को अनुदान की राशि वितरित की गई थी :—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	235.00
1.	ई.आई.यू.एस.	235.00
2.	ए.आर.ई.एस.	7.00
3.	आई.डी.एस.एम.टी.	208.33
4.	11वां वित्त आयोग	366.40
5.	एन.एस.डी.पी.	188.10
6.	यू.एस.डब्ल्यू.एम.	60.00
7.	कुरुक्षेत्रा विकास बोर्ड	250.00
		1314.83

यहां यह बताना आवश्यक है कि कथित वर्ष के दौरान भारत सरकार से एन.एस.डी.पी. स्कीम के तहत 371.90 लाख रुपये की राशि रिलीज न होने के कारण पालिकाओं को 13.15 करोड़ रुपये

कमेटी इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।

(13-11-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			की राशि अनुदान के रूप में रिलीज की गई थी। (23-8-2002)	
171.	श्री शादी लाल बत्तरा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 521— (घ) क्या इन कालोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है?	8-3-2001 *** *** *** *** *** (घ) जी हां, अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।		

107

6-0
3-11-03

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

SOCIOAL WELFARE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
172.	तारांकित प्रश्न सं० 238 के संदर्भ में चौधरी ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''....... उन्होंने यानी बोर्ड की चेयरमैन ने आर०बी०टी०आई० बेरी के खिलाफ सैंटर को झूठी शिकायत भी भेजी है ताकि चेयरमैन के भाई को ये इंस्टीच्यूशंज खुलवा सकें। क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे?''	3-3-1992 हम इसकी जांच करवाएंगे, सारे सैंटर को देखेंगे और जांच में जो भी कमी पायी जाएंगी उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करवाएंगे।		
173.	तारांकित प्रश्न सं० 338 के संदर्भ में श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इस बोर्ड (राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड) को जो तीन करोड़ रुपये सैंटर और स्टेट का 1983 से 1991 तक दिया गया है, वह किसी भी हरिजन की वैल्फेयर पर खर्च नहीं किया गया बल्कि अपने फायदे के लिए इस पैसे का	13-3-1992 ''अध्यक्ष महोदय हम इसकी जांच करवाएंगे। अब देखना यह है कि भारत सरकार इसकी जांच करेगी या हम करा सकते हैं। हम इसके लिए भारत सरकार को लिखेंगे। जो भी उचित होगा उसी के हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और जिनका भी दोष होगा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ऐक्सन होगा।''		

W. elfare of SC/B.C

मिसयूज किया गया है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि जो जिम्मेदार आफिसर्ज हैं उनके खिलाफ कोई ऐकेशन होगा?''

174.	बजट भाषण	6-3-96 * * * * राज्य के सभी खंडों में समेकित बाल विकास स्कीम लागू की जा रही है। बाहरी सहायता से महेन्द्रगढ़ व रिवाड़ी ज़िलों में समेकित महिला एम्पावरमैंट व विकास परियोजना चलाई जा रही है। उन गांवों में जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। गर्भवती औरतों की उचित देखरेख के लिए प्रशिक्षित दाइयों द्वारा सफाई पूर्वक व सुरक्षित प्रसूति के लिए नवजीवन गृह बनाए जा रहे हैं। * * * * *	यू०एन०एफ०पी०ए० (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा सूचित किया गया है कि मातृ मृत्यु दर को कम करने, बीमारियों की रोकथाम, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने, नवजात शिशुओं में टैटनस को रोकने तथा जन्म के समय स्वच्छ वातावरण एवं एकान्तता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के प्रत्येक गांव में नवजीवन गृह अथवा प्रसूति कक्ष बनाए जाएंगे। ऐसे गृह उन गांवों में बनाए जाएंगे जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उप-स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं। इस नवजीवन गृह में प्रसूति-एक स्नान कक्ष तथा एक बड़ा बरामदा होगा, जहां जागृति मण्डली अपनी बैठक का आयोजन कर सके। उक्त नवजीवन गृह को केवल प्रशिक्षित दाइयों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाने की इजाजत होगी	समिति इस बारे में लेटैस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (4-8-98)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			और इनका रख-रखाव जागृति मण्डलियों द्वारा किया जाएगा। इस समय यह योजना जिला महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी के दो खण्डों के 70 गांवों में प्रचलित है जिला महेन्द्रगढ़ में 249 तथा जिला रेवाड़ी में दो खण्डों तथा खोल में 49 नवजीवन गृह बनाए जाने की योजना है। महेन्द्रगढ़ के 25 गांवों तथा रेवाड़ी के दो खण्डों के 25 गांवों में नवजीवन गृह बनाए जा चुके हैं तथा शेष गांवों में पंचायती राज तथा सड़क तथा भवन निर्माण विभाग को बनाने हेतु आदेश दिए गए हैं। पंचायती विभाग हरियाणा द्वारा 38 गांवों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। (27-3-98)	
175.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा घोषणाओं के संदर्भ में—	8-3-96 * * * * * तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक लड़की को आठवीं कक्षा तक एक सौ रुपये सालाना पुस्तक भत्ता दिया जाए। हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में मिडल, मैट्रिक और दस जमा दो के परीक्षा परिणामों की	प्राथमिक शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि 100 रुपये पुस्तक भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार को इस निदेशालय के यादि क्रमांक 21/33-96 प्रा० शिक्षा दिनांक 31-10-96 द्वारा भेजा गया था।	The Committee would like to know the latest position in this regard. (4-8-98)

Women & Child

मैरिट के आधार पर 50, 75 और 100 रुपये की दर से दो सौ छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ऐसा हमने फैसला किया है। इसके अलावा बोर्ड की आठवीं और दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों के लिए पूर्व कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और उनके परीक्षा परिणामों में सुधार किया जा सके। हमने यह भी फैसला लिया है कि लड़कियों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए आत्म निर्माण और आत्म विश्वास रखने के लिए उन्हें स्कूलों और कालेजों में कराटे और योगा की भी शिक्षा दी जायेगी। किशोर बालिकाओं और विशेष कर ऐसी किशोर बालिकाओं की तरफ ध्यान दिया जाएगा जो अपनी शिक्षा बीच में छोड़ जाती हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, एक ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया जायेगा ताकि उन्हें शादी एवं घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्य बना सकें। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के लिए आवास सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। हम महिलाओं का आत्म सम्मान बढ़ाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। सहकारी समितियों की प्राथमिक शिक्षा जहां कहीं भी सम्भव होगी, पति और पत्नी को संयुक्त रूप में दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन

परन्तु सरकार ने निदेशालय के प्रस्ताव को मानने में असमर्थता प्रकट की है (प्रति संलग्न है)

(अनुबन्ध-2) किशोर बालिकाओं की शिक्षा बारे यह व्यक्त किया जाता है कि पिछले 11 वर्षों में 1185 कन्या प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं। हर साल कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार भी किया जाता है तथा पंचायतों के माध्यम से इनरोलमैंट ड्राईव चलाया जाता है ताकि 6—11 आयु वर्ग का कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रहे तथा कन्याओं की उनकी शिक्षा जारी रखने हेतु विभाग द्वारा कई प्रोत्साहन दिये जाते हैं जैसे मुफ्त वर्दी, उपस्थिति पुरस्कार आदि। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की सूचना मदवार निम्न प्रकार से है—लड़कियों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने एवं उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें स्कूलों तथा कालेजों में कराटे एवं योग की शिक्षा दी जाए। राज्य के सभी राजकीय अराजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कराटे एवं योग की शिक्षा देने हेतु पत्र लिख दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		में भी ऐसे व्यक्तियों को पहल दी जाएगी जो पत्नी के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं। महिलाओं के लिए कृषि, पशु पालन एवं इनसे संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खुम्बी उत्पादन, रेशम के कीड़े पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन व मछली पालन में विशेष तकनीकी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। औद्योगिक सम्पदाओं में प्लाटों की कुछ विशेष पर्सेंटेज महिला उद्यमियों को पहल के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक इकाइयों के लिये महिलाओं को ऋण दिलाने के लिए जिलों में एक ऐसा बैंक स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिनमें केवल महिलाओं का स्टाफ ही नियुक्त हो। "कानूनी सहायता और कष्टों का निवारण" इसके तहत महिलाओं को किसी दुर्भाग्यपूर्ण अहिंसा, विवाह संबंधी विवाद के लिए विशेष सहायता देने के लिए ठोस कदम उठाएंगे जो इस प्रकार हैं, मण्डल स्तर पर एक परिवार न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जिनमें अधिकांश महलिाएं न्यायाधीश होंगी। प्रत्येक मंडल स्तर पर एक ऐसा पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी	2. शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के लिए आवासीय सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाना है। राजकीय महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था प्राचार्यों से आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा विभागीय बजट में व्यवस्थित धनराशि को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से करवायी जाती है। इस समय राज्य में 43 राजकीय महाविद्यालय चल रहे है जिनमें तीन महिला महाविद्यालय है। पांच राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं के लिये आवास सुविधा उपलब्ध है। आगामी वित्त वर्ष में राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव में 60 लड़कियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि गांव और शहरों में यदि कोई महिला अथवा महिला संस्था किसी रिक्त स्थान पर डिपू लेना	

महिलाएं ही होंगी।

''विधवाओं के कल्याण के लिए कदम'' इसके तहत हुड्डा और आवास बोर्ड विधवाओं के लिए प्लाट और मकान आरक्षित करेगा। ''आर्थिक नीति'' विधवाओं के लिए निगमों द्वारा दी जाने वाली सबसिडी में बढ़ोतरी की जाएगी। महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के अवसर बढ़ाएगी ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।* * * * महिलाओं के बैठने के लिए भी हम चाहेंगे कि हर ब्लाक में अगर सारे गांवों में नहीं हो सके तो हर साल दो या तीन गांवों में बैठने के लिए स्थान बनाकर देंगे ताकि वहां पर महिलाएं बैठकर गांव की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर सकें। * * * * अध्यक्ष महोदय, हम हर ब्लाक के दो तीन गांवों में उनके (महिलाओं) बैठने के लिए हर साल स्थान बनाकर देंगे और हो सकता है हम हर साल एक ब्लाक तथा पांच गांव भी कवर कर लें * * * * *

चाहती है तो उन द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों को उचित प्राथमिकता देते हुये विचार किया जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि आप किसी डिपू होल्डर के त्याग पत्र देने या किसी स्थान पर नई डिपू देने की आवश्यकता हो तो ऐसे स्थानों पर डिपू देने के लिए महिला/महिला संगठन से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर यथा उचित जांच होने के बाद उनको योग्यता अनुसार डिपू अलाट किये जायेंगे ताकि विभाग इस कार्य में महिला/महिला संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से इस बात को विशेष ध्यान में रखा जाये कि यह वास्तव में ही महिलाओं द्वारा संचालित है, उनके नाम का प्रयोग कर अन्य व्यक्तियों द्वारा तो अनुचित लाभ नहीं उठाया जाएगा। यदि महिला/महिला संगठनों के अतिरिक्त किसी अन्य को डिपू दिया जाता है तो जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक यह प्रमाणित करेगा कि कोई भी महिला/महिला संगठन डिपू लेने को तैयार नहीं है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित दो इच्छुक महिलाओं को मधु-मक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है :—

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			1. श्रीमती दिया बंसल पत्नी श्री अनिल बंसल मकान नं० 1094, वार्ड नं० 13, रादौर, यमुनानगर । 2. श्रीमती सुखवन्ती पत्नी श्री बलवान सिंह गांव व डा० धगाना (सोनीपत)। औद्योगिक विकास निगम ने यह सूचित किया है कि उनके विभाग द्वारा महिला उद्योग को प्लाटों की अलाटमैंट में एच०एस०आई०डी०सी० द्वारा समान अधिकार प्राप्त हैं। हरको बैंक अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि रोहतक, हिसार, गुड़गांवा तथा करनाल में एसे बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसमें केवल महिला स्टाफ नियुक्त हों अभी केवल रोहतक में ही ऐसा बैंक स्थापित हुआ है जिसका लाईसैंस रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया है, शेष तीन स्थानों का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रयास जारी है विस्तृत विवरण अनुबन्ध पर प्रस्तुत है। (अनुबन्ध 3)	

पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने बारे मामला पंजाब एवं हरियाणा, हाई कोर्ट से टेकअप किया जा रहा है। जिसके लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार किये गये थे और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को इस पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था किन्तु उनकी ओर से रिस्पोंस प्राप्त नहीं हुआ। अतः मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के स्तर पर लम्बित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में गृह विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा पुलिस स्टेशन जिसमें सभी (स्टाफ) महिलाएं हों सोनीपत में स्थापित किया गया है तथा एक पुलिस पोस्ट गुड़गांव में कार्यरत है। प्रत्येक जिले में ऐसे पुलिस स्टेशन स्थापित करने बारे प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त एक "महिला सैल" पुलिस हैड क्वार्टर चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया है कि इस समय कुल ऋण 10 प्रतिशत सबसिडी के रूप में अधिकतम सीमा 5000 रुपये दिया जाता

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			है। यदि सरकार द्वारा पर्याप्त फण्डस उपलब्ध करवाया जाये तो सबसिडी की सीमा बढ़ाई जा सकती है। (27-3-98)	
176.	तारांकित प्रश्न संख्या-353 के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गई जानकारी— क्या आपका विभाग इस बारे में या आप खुद इस बारे में सुओमोटो इन्कवायरी कराएंगी कि किसी गांव की आंगनवाड़ी में किसी दूसरे गांव की या शहर की वर्कर कैसे लगी और क्यों लगी। क्या इस बारे में सुओमोटो इन्कवायरी करके कोई ऐक्शन लेने का आपका कोई विचार है?	20-3-97 अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं आई है लेकिन अब मुझे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में बताया है तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।		
177.	श्री राजेन्द्र बीसला द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 301—क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या राज्य में सूचना बूथ तथा सरली करण केन्द्र बनवाने का	15-3-2001 ***1. राज्य सरकार द्वारा स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं, खासतौर पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ''महिला स्वशक्ति सूचना केन्द्र''		

won't + child

कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है तथा		स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा राज्य के सोनीपत जिले में पांच ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?	2.	हरियाणा सरकार ने हर गांव में एक सुविधा एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है जिसके लिए भारत सरकार एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता मांगी जा रही है।
	3.	राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राईट आफ वे नीती के मार्गाधिकारी नीती के अंतर्गत कोई भी कंपनी जो कि आपटीकल फाइटर बिछाने के लिए मार्गाधिकार के लिए इच्छुक है को 1500 सूचना बूथ/सार्वजनिक सुविधा ,केन्द्र फ्रेंचाईज बिजनैस माडल के रूप में स्थापित करने होंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

FOREST DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
178.	बजट भाषण	1-3-93 * * * ई०ई०सी की सहायता से अरावली वन रोपण परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अरावली पहाड़ों में 85 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1998-99 तक 35,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वन लगाने का प्रस्ताव है।	ई०ई०सी की सहायता से अरावली वन रोपण परियोजना के तहत वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक 98.12 करोड़ रुपये खर्च करके 36000 हैक्टेयर भूमि पर वन लगाये गये हैं। वर्ष 1998-99 में 12.50 लाख रुपये खर्च करके 1000 हैक्टेयर भूमि पर वन लगाने का प्रावधान किया गया है। (17-6-98)	समिति इस बारे लेटैस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (4-8-98)
179.	तारांकित प्रश्न संख्या 143 के संदर्भ में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गई सूचना :— कृषि मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि जो आज हरियाणा में लकड़ियां चोरी हो रही हैं तो क्या हरियाणा सरकार या आपका डिपार्टमैंट हिमाचल प्रदेश की नीति अपनाकर चलाना चाहता है ताकि यह	19-11-96 अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के सत्ता संभालते ही जब यह वन विभाग की समस्या आई तो सबसे पहले उन्होंने यह आदेश किया था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काट कर ले जाती हैं तो वहां पर उन गाड़ियों को कंफिशकेट कर लिया जाता है तो उनके तरीके से हरियाणा में ऐसा ही आदेश उन्होंने दिया था। हरियाणा में पहले ऐसा कानून नहीं था। हम भी जल्दी ही		

चोरी रोकी जे सके?	हिमाचल प्रदेश की तरह का कानून हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं।
	21-7-98
180. वर्ष 1998-99 का बजट।	पंचायती भूमि पर वृक्षारोपण करने व मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से यूरोपियन संघ की सहायता से एक अन्य योजना हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना राज्य में क्रियान्वित की जाएगी। 126 करोड़ रुपये के परिव्यय की यह परियोजना 9 वर्षों तक चलेगी। वर्ष 1998-99 में वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 51.10 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च का प्रावधान किया गया है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
181.	कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 997— ''क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पूर्व सरकार द्वारा नशाबंदी के बदले में लगाए गए सभी करों को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?''	16-11-99 राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति के दौरान अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हेतू लगाए गए करों पर पुनर्विचार और कारोबारियों, व्यापारियों, किसानों व अन्य समाज के वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार के द्वारा एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है। केबिनेट सब-कमेटी इस उद्देश्य को सामने रखते हुए बैठकें कर रही हैं।	राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेद्य निति के दौरान अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हेतू लगाए गए करों पर पुर्नविचार और कारोबारियों, व्यापारियों, किसानों व अन्य समाज के वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतू सरकार के आदेश दिनांक 6.8.99 द्वारा एक सब-कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने पांच बैठकें की। कमेटी की सिफारिशों व उन पर किए गए निर्णय व अमल का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :— **कमेटी द्वारा की गई सिफारिशें** 1. कमेटी ने दिनांक 14.9.99 को हुई अपनी पहली बैठक में सुझाव दिया कि स्वयं कर निर्धारण स्कीम को 50 लाख रुपये सलाना तक की आवर्त रखने वाले सभी व्यवहारियों के लिए लागू कर दिया जाए। **कार्यान्वन** 1. यह स्कीम अधिसूचना संख्या	**Observation** समिति विभाग के जवाब से सन्तुष्ट नहीं है। और समिति ने चाहा है कि नशाबन्दी के दौरान कौन-कौन से टैक्स लगाए गए थे और उनमें से कौन-कौन से टैक्स सरकार ने वापिस लिए हैं। इस बारे डिटेल्ड रिपोर्ट समिति को एक महीने के अन्दर भेजा जाए। (27-11-2001)

सा०का०नि० 112/ह०अ०20/73/धा० 28ग/99 दिनांक 31 दिसम्बर द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है। इसमें संशोधन करते हुए इस स्कीम को एक करोड़ रुपये वार्षिक तक की आवर्त रखने वाले व्यवहारियों के लिए प्रावधान किया गया है। सम्बन्धित अधिसूचना क्र०स०क०नि०66/ह०अ०20/173/धा० 28ग/2000 दिनांक 6.10.2000 को जारी की जा चुकी है।

2. कमेटी ने चुंगी को खत्म करने के मामले पर विचार किया।
3. चुंगी को अधिसूचना संख्या लैज 23/99 दिनांक 1.11.99 के द्वारा खत्म कर दिया गया है।
4. कमेटी ने दिनांक 28.9.99 को हुई दूसरी बैठक में सुझाव दिया कि सरकार द्वारा छपे एस०टी० 14 और एस०टी० 15 फार्मों को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर बिक्री और खरीद की प्रमाणित सूचियां लागू कर दी जाए।
5. सरकार द्वारा छपवाये एस०टी० 14, 15 इत्यादि फार्म अधिसूचना नं०

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			सं०का०नि० 113/ह०अ० 20/73/धा० 64/99, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। 6. कमेटी ने 21.10.1999 को हुई अपनी तीसरी बैठक में सुझाव दिया कि विभाग द्वारा तैयार की गई कर विवाद समाधान स्कीम को अमल में लाया जाये। 7. इस स्कीम को अमल में लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 8. कमेटी ने दिनांक 11.11.99 को हुई अपनी चौथी बैठक में सुझाव दिया कि "प्रवेश शुल्क" द्वारा हुई राजस्व प्राप्तियों को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग किया जाए और इसका नाम बदल कर स्थानीय क्षेत्र विकास कर रख दिया जाए। 9. हरियाणा स्थानीय विकास कर अधिनियम 2000 दिनांक 5.5.2000 से प्रख्यापित कर दिया गया है। इसके एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम	

के तहत राजस्व प्राप्तियों को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए ही प्रयोग किया जायेगा।

10. कमेटी ने दिनांक 8.12.99 को हुई अपनी पांचवी बैठक में सुझाव दिया कि—

(i) निम्न मदों को मार्किट फीस से छूट प्रदान की जाए/मार्किट फीस और एच०आर०डी०एफ० को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाए।

(क) बाजरा, ज्वार, मक्की, जौ, चने की दाल और सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, बिनौला तथा लाल मिर्च को पूर्णतया छूट प्रदान कर दी जाए।

(ख) चने, सभी प्रकार के आयल सीड, गवार, गुड, शक्कर, खण्डसारी पर एच०डी०एफ० को कम करके एक प्रतिशत कर दिया जाए।

(i) बिक्री कर की अदायगी के विरुद्ध प्रवेश शुल्क समायोजित

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			होना चाहिए। (i) कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मार्किट फीस को 2 प्रतिशत घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है और ग्रामीण विकास शुल्क को जनवरी, 2000 से निम्न मदों पर दो प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है— जौ, मक्की, ज्वार, बाजरा, चना, काबली चना, हरा चना, काला चना, मोठ और मसूर; सरसों, तोड़िया, तारामीरा, बिनौला, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज, गवार, लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, खण्डसारी, ऊन। हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अध्यादेश के अधीन जारी अधिसूचना संख्या एस०ओ० 65/ह०अ० 10/2000/धारा/11, 2000 दिनांक 5.5.2000 तदानुसार राहत प्रदान कर दी गई है। (1-10-2001)	

9-11-2001

182. श्री अमर सिंह ढांडे द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 716 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :—

(क) क्या जुलाई, 1996 से मार्च, 1998 तक मद्यनिषेध अवधि के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में सरकार ने कोई जांच आयोग का गठन किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आयोग की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) जांच आयोग की रिपोर्ट दिनांक 4.12.2001 तक प्राप्त होने की संभावना है?

F: 0
18-8-03

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
183.	तारांकित प्रश्न संख्या 632 पर डॉ० राम प्रकाश द्वारा पूछा अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव में लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्य स्मृति में एक देहाती पोलिटैक्निक बनाने का प्रस्ताव पास करके भेजा है, गांव वालों के पास धन राशि भी है। 24-11-1991 को मुख्य मंत्री जी वहां पर पधारे थे और इस बारे में मैंने उनसे चर्चा भी की थी, जैसे उन्होंने निर्देश दिये थे उसी तरह से किया गया है। मैं राज्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव पास कर के भेजा है कि वहां पर पोलिटैक्निक बनाया जाए, उसका क्या बना?	2-9-93 * * * इस बारे में सरकार का पोजिटिव रूख रहेगा। हम जल्दी ही इसको बनाने का विचार करेंगे।	माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा समय-समय पर विभिन्न जिलों में 16 स्थानों पर नये बहुतकनीकी खोलने की घोषणा की गई है। जिसमें राजकीय बहुतकनीकी उमरी जिला कुरुक्षेत्र में सम्मिलित है। इस बहुतकनीकी को स्वर्गीय श्री मदन लाल डिंगरा की स्मृति में समर्पित करते हुये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 17.8.2001 को इसका शिलान्यास किया। निर्माण कार्य केवल राजकीय बहुतकनीकी, लोहारु के अतिरिक्ति किसी भी स्थान पर धन राशि के आभाव के कारण नहीं किया जा सका। (4-6-2002)	समिति ने इस बारे में मौखिक परिक्षण करने का निर्णय लिया (31-7-2002)
184.	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल द्वारा	25-5-96 ****एक सवाल जो चौधरी हीरेन्द्र सिंह जी ने उठाया कि एजुकेशन प्रो० इंडस्ट्रीज होनी चाहिए		

दिया गया उत्तर।	So that people can come up for good job. वह एक बहुत अच्छा सुझाव है। इसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे और कोशिश भी करेंगे।
	9-11-2001
185. श्री सीता राम द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 729 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या डबवाली में एक इंजीनियरिंग कालेज या बहुतकनीकी संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?	डबवाली में एक बहुतकनीकी खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिस पर पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
186.	दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल 92 पर हुई डिस्कशन के संदर्भ में।	25-3-92 * * * * अगर कोई हरिजन ऐसा रह गया है जिसको कि 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, तो उसको 100 गज का प्लाट जरूर देंगे। हर हरिजन को 100 गज का रिहायशी प्लाट देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है।	सरकार की हिदायतें दिनांक 28-1-74 अनुसार हरिजनों पिछड़ी जाति तथा भूमिहीन मजदूरों को प्लाट दिए जाते हैं जिनके अनुसार अब तक 2,83,088 प्लाट दिए जा चुके हैं। (14-9-93)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (4-10-93)
187.	तारांकित प्रश्न संख्या 389 के संदर्भ में श्री रमेश कुमार खटक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "क्या गांव मलिकपुर (सिंगापुर) ब्लाक थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र की पंचायत भूमि पर उक्त गांव के सरपंच द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के बारे में कोई शिकायत सरकार को अक्तूबर नवम्बर, 1992 में मिली है।"	21-12-92 एक शिकायत पत्र श्री गुरनाम सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मलिकपुर (सिंगापुर) के विरूद्ध निदेशक पंचायत के कार्यालय में दिनांक 19-11-92 को प्राप्त हुआ था। शिकायत कर्त्ताओं ने सरपंच के विरूद्ध आरोप लगाये हैं कि सरपंच ने पंचायत की गलियों के निर्माण तथा स्कूल भवन बनाने के कार्यों के दौरान राशि का गबन किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच ने खसरा नं० 618 जो कि आबादी देह है, पर अपने भाई-भतीजों का नाजायज कब्जा करवा दिया है। निदेशालय के एक अधिकारी को सरपंच के विरूद्ध शिकायत की जांच करने के आदेश दिये गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त	श्री गुरनाम सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मलिकपुर (सिंगापुर) के विरुद्ध शिकायत की प्रारम्भिक जांच मुख्यालय से तत्कालीन उप-निदेशक पंचायत (का०) से करवाई गई थी। फलस्वरूप सरपंच के विरूद्ध निम्न आरोप सिद्ध पाया गया :— "सरपंच ने अपने भतीजे तथा दो बड़े भाईयों द्वारा खसरा नं० 618 में 4-5 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार सरपंच नाजायज कब्जा करवाने का दोषी है। फलस्वरूप सरपंच को इस विभाग के	इस आश्वासन की लेटैस्ट पोजीशन मांगी गई। (26-8-96)

कार्यवाही की जाएगी।

दि० 29/9/03

पत्र क्रमांक ए० 8-93/25615-18 दिनांक 25-5-93 पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट की धारा 102 (2) के तहत चार्जशीट करके उप-मण्डल अधिकारी (ना०) थानेसर को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसी आरोप की नियमित जांच उपायुक्त कुरुक्षेत्र द्वारा भी उप-मण्डल अधिकारी (ना०) थानेसर से करवाई गई थी तथा सरपंच के विरूद्ध यही आरोप लगाया गया था। फलस्वरूप पंचायत निदेशालय द्वारा जारी की गई चार्जशीट भी उपायुक्त कुरुक्षेत्र को भेज दी। नियमित जांच प्राप्त होने उपरांत उपायुक्त, कुरुक्षेत्र इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया गया जिसके अनुसार सरपंच के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाया गया था तथा खसरा नं० 618 पर सरपंच का नाजायज कब्जा नहीं पाया गया है। इस भूमि पर सर्व श्री साहब सिंह, निरंजन, रणबीर सिंह तथा बलबीर के नाजायज कब्जे पाये गये। इनके विरुद्ध सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी थानेसर की अदालत में केस दायर किया और सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी ने अपने निर्णय दिनांक 17-2-95 अनुसार खसरा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			नं० 618 को पंचायत की भूमि नहीं माना है तथा फैसला इन व्यक्तियों के हक में कर दिया है। सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी, थानेसर द्वारा किए निर्णय के विरुद्ध कलैक्टर की अदालत को अपील दायर की गई, जो रिमांड होकर सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की अदालत में विचाराधीन है। (23-11-96)	
188.	राज्यपाल महोदय का अभिभाषण।	19-1-98 "गलियों को पक्का करने, विद्यालयों के कमरे बनाने, डिस्पैंसरियों, योजक सड़कें तैयार करने, ग्रामीण जल आपूर्ति करने, कम लागत के शौचालय और चौपालों के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में 69.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। (चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लागत के लगभग 55,500 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।"		
189.	श्री रामपाल माजरा, एम०एल०ए० द्वारा	20-1-98 "अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। अब यह		

पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 507—

''क्या विकास तथा पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जिला कैथल के गांव पट्टी अफगान, पट्टी चौधरी तथा पट्टी कैसथ-सेठ की पंचायत भूमि पट्टे पर दी गई थी यदि हां, तो उससे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? * * * अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जो जमीन 1995-96 के लिए पट्टे पर छोड़ी गई है, क्या उसकी बोली नहीं हुई? म्यूनिसिपल कमेटी तथा ग्राम पंचायतों की जो जमीन पट्टे पर छोड़ी गई है उसकी बोली होनी चाहिए थी जो बोली नहीं हुई है, क्या यह पार्टी के 4-5 असरदार कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से नहीं हुई अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रही है?''

हिस्सा कमेटी में आया है और कमेटी ने इसकी नीलामी की और इस वर्ष 16.64 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि जैसे ही ए०डी०सी० महोदय की रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और पूरा पैसा वसूल किया जाएगा।''

190. तारांकित प्रश्न सं० 509 के संदर्भ में श्री बन्ता राम वाल्मीकि द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

''अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं मंत्री जी से

20-1-98

''अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है कि कुम्हारों को स्टेट में कई जगहों पर तकलीफ आ रही है और उनको मिट्टी के बर्तन बनाने लायक मिट्टी नहीं मिल रही है। हम इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत करेंगे कि जहां पर भी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	जानना चाहता हूं कि इन्होंने कुम्हार जाति को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने हेतु यमुना नगर में जमीन क्यों नहीं दी? यहां के कुम्हार किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी गांव में पंचायतों के पास जो जमीन है उस जमीन की मिट्टी से बर्तन नहीं बनते और अगर वहीं पर किसी जमींदार के पास चिकनी मिट्टी वाली जमीन है, तो क्या सरकार के पास ऐसा विचार है कि वे जमींदार की जमीन लेकर उनकी जमीन से बदल दें?"	पोसिबल हो उनको बर्तन बनाने के लिए मिट्टी निकालने की जमीन मुहैया करवाने की कोशिश करें।"		
		21-1-98		
191.	तारांकित प्रश्न संख्या 503 के संदर्भ में श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, 1700 रुपए रेट से नीचे एक नम्बर की ईंट कहीं पर नहीं मिल रही है और दो नम्बर की ईंट लगाई जा	अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में इन्कवायरी करवा लेंगे और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।		

रही है। क्या इस के बारे में कोई कार्यवाही करेंगे।

192. श्री रामजी लाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर में—	23-7-98
"क्या विकास तथा पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि—	
(क) क्या यह तथ्य है कि जिला यमुनानगर के गांव कुलचंदा की गलियों का निर्माण कार्य अधूरा है; तथा	"(क) जी हां, श्रीमान् जी। एक गली का एक भाग झगड़े के कारण अधूरा है।
(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?"	(ख) झगड़े का समाधान होने के पश्चात् कार्य पूरा किया जाएगा।"
193. श्री रामफल कुंडु द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 717 के उत्तर में—	23-7-98
"क्या विकास तथा पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला जींद में गांव गुवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य हुआ है या नहीं।	"जी हां। श्रीमान् जी।"

Dropped on 27-8-03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
194.	तारांकित प्रश्न सं० 305 के संदर्भ में श्रीमती चन्द्रावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के ध्यान में कोई दस तरह के प्लांटस हैं जो गन्दगी पैदा करते हों, वातावरण को पौल्यूट कर रहे हों? अगर ऐसे प्लांटस है तो क्या सरकार उन सब को आदेश जारी करेगी कि वे जल्दी से जल्दी अपने अपने एफल्यूगेंट ट्रीटमैंट प्लांटस लगाएं ताकि शहरों में इस तरह का पौल्यूशन है, गन्दगी है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, इस पर रोक लगाई जा सके। इस बारे में मैं सरकार की स्पस्ट तौर पर नीति जानना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में क्या पग उठा रही हैं?"	13-3-92 स्पीकर साहब, सरकार पहले ही इस बात के लिए प्रयत्नशील है और हम यह महसूस भी करते हैं कि हरियाणा के अन्दर जो इन्डस्ट्रीज पौल्यूशन फैलाती हैं, उनके ऊपर कोई न कोई अंकुश अवश्य लगाया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। अध्यक्ष महोदय जो इन्डस्ट्रीज 1982 से पहले लगी हुई थी चूंकि उनका मैनुफेक्चरिंग प्रोसैस पुराना हो चुका है और उनकी मियाद की तिथि 31 दिसम्बर, 1983 तक हमने दे रखी है कि अगर आप इस तारीख तक अपना एफल्यूऐंट ट्रीटमैंट प्लांट्स न लगाओगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपकी इन्डस्ट्रीज को बन्द करने पर सरकार मजबूर हो जाएगी।,जो 42 इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी टैक्नीक नई होने के कारण हमने उनकी मियाद घटाकर 31 दिसम्बर, 1992 तक की है उन्हें हमने कहा है कि अगर वे इस डेट तक अपना एफल्यूऐंट ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगाएंगे तो पैरामीटर के अनुसार उनके खिलाफ हम ऐक्शन लेंगे ऐसे प्रोजैक्ट को बन्द करने के लिए सरकार	जिन औद्योगिक इकाईयों ने जल संशोधक संयंत्र नहीं लगाये होते उन्हें बोर्ड की तरफ से पहले इकाई को बन्द करने का नोटिस जारी किया जाता है और जो इकाईयां नोटिस की हिदायतों का अनुसरण नहीं करती, बोर्ड उन इकाईयों को बन्द कर देता है। अगर बाद में कोई इकाई संशोधक संयंत्र लगाने की स्कीम और सिक्योरिटी राशि जमा करवा करके प्रार्थना-पत्र देती है तो उन इकाईयों को बोर्ड द्वारा संयंत्र लगाने के लिए अवधि प्रदान की जाती है तथा उसी अवधि तक उन्हें खोल दिया जाता है। (18-4-02)	The Committee would like to the orally examine in this regard. (23-4-2002)

F-O
29/9/03

पहले ही वचनबद्ध है।

195. तारांकित प्रश्न सं० 305 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

"अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले में भी करीब 70 प्रतिशत फैक्टरीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पौल्यूशन फैला रही हैं। इनके महकमें से किसी प्रकार की उनको परमिशन नहीं है। नतीजा यह है कि गांव के गांव खाली होने की नौबत आ गई है। हमारे पलवल में भी दो ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनका पौल्यूशन बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से हथीन में मोदी के नाम से एक शराब की फैक्टरी है, उस का पौल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?"

13-7-92

स्पीकर साहब, जो हथीन के अन्दर फैक्टरी है, वह काफी पौल्यूशन कर रही है और हमने उसके खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला ले लिया है। अगर यह ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगाएंगे तो हमने उस को बन्द करने की भी कार्यवाही चला रखी है, हम उसे बन्द करवा देंगे।

बोर्ड इकाईयों को प्रदूषण रोकने के लिए संशोधक संयंत्र लगाने की सलाह देता है जिससे इकाईयों में प्रदूषण रोकथाम की जाती है। अब केवल 10 प्रतिशत इकाईयां ऐसी हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं तथा 30 इकाईयां जो वातावरण को दूषित करती थी, उन्हें बन्द कर दिया गया है। बोर्ड ने 300 इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयां जिन्होंने जल संशोधक संयंत्र नहीं लगाए हैं उन्हें इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के जोन में 31.3.2002 तक स्थानान्तरण करने की योजना बनाई है। पलवल शहर में दो फैक्टरीज जिसका नाम मैसर्ज इण्डस्ट्रीयल प्रोग्रोसिव (इण्डिया) लिमिटेड तथा लाईट एवम् फैंसी लैदर के नाम से चल रही हैं और इन डिस्टीलरीज एवम् कैमीकल्स, हथीन के नाम हैं जिसे बोर्ड ने 30.3.2001 को बन्द कर दिया था और बाद में इसे 7.6.2001 को तीन सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी इस इकाई को खोल दिया गया

The Committee would like to orally examine in this regard.

(23-4-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			था। अतः इस इकाई को समय-समय पर चैक किया जाता है ताकि यह इकाई किसी भी तरह का प्रदूषण न फैलायें। (18-4-2002)	
196.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 27 (पानीपत थर्मल प्लांट की गन्दी राख गांवों में गिरने संबंधी) पर श्री अध्यक्ष द्वारा ली गई जानकारी—"मंत्री जी आप पर्सनली वहां पर विजिट करें क्योंकि खुखराना में वास्तव में यह प्रोब्लम है। वह एक छोटा गांव है, अगर उस गांव को कहीं दूसरी जगह पर जमीन एक्वायर करके बसाया जा सकता हो तो ऐसा अवश्य करें क्योंकि केवल तीन चार एकड़ जमीन में ही काम चल जाएगा और फिर उस गांव के लोग दूसरी जगह पर बसने के लिए तैयार भी हैं।"	23-3-95 अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि खुखराना के गांव के लोग कह रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दूरी पर जमीन एक्वायर करके बसा दें। अगर वे लोग चाहते हैं कि उनको दूरी पर दूसरी जगह बसा दिया जाए तो हम इन भाईयों से बातचीत करके डी०सी० के जिम्मे यह काम लगाएंगे कि वे खुद उन लोगों से पूछ लें और उनसे जगह का पूछ लें कि कौनसी जगह पर उनको बसाया जाए। अगर वह छोटा सा सारा गांव सहमत हो गया तो हम उन लोगों को दूसरी जगह पर बसा देंगे।	मैसर्ज पानीपत थर्मल प्लांट जो अब ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट के नाम से चल रहा है, इस इकाई में जो संशोधक संयंत्र पहले लगा हुआ है उस पर 6 ई.एस.पी. जो 610 एम.डब्ल्यू. की ताकत शक्ति की ओर लगा दिये हैं, जो वातावरण को दूषित करने से रोकते हैं, जिस के साथ लगे गांव की जो प्रदूषण से संबंधित शिकायत थी उसका लगभग अब समाधान हो चुका है। बोर्ड भी समय-समय पर इस इकाई की जांच करता रहता है ताकि इस इकाई से कोई प्रदूषण उत्पन्न न हो। (18-4-2002)	The Committee would like to orally examine in this regard. (23-4-2002)

E.O 29/9/03

ENVIRONMENT DEPARTMENT

ANNEXURE—'A'

थर्मल पावर स्टेशन, फरीदाबाद

समिति ने इस बारे में चाहा कि प्लांट की रिक्वायरमैंट के हिसाब से कोयला "बी" ग्रेड का आना चाहिए लेकिन यहां पर कोयला "डी" ग्रेड का और "एफ" ग्रेड का आता है जो प्लांट को डैमेज भी कर सकती है। घटिया कोयला होने की वजह से पोल्यूशन होता है। समिति चाहती है कि कोयले की स्टैण्डर्ड को एक दम ठीक किया जाए।

इसके बाद समिति फील्ड में गई और वहां पर देखा कि फरनस के पास फल्यू गैसिज का फर्स्ट स्टेज पर सैम्पल लेने की जगह तो थी लेकिन चिमनी के पास आउट लेट में कहीं से भी सैम्पल लेने की जगह नहीं बनी हुई थी। समिति ने इस बारे में इच्छा प्रकट की आउट लैट से फल्यू गैसिज का सैम्पल लेने की जगह होनी चाहिए। इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करके समिति को रिपोर्ट भेजी जाए।

इसके साथ ही समिति ने चाहा कि वहां पर जितना भी स्टाफ काम करता है उनकी लेटैस्ट मैडीकल रिपोर्ट कमेटी को दो हफ्ते में भेज दी जाए।

* * * * *

ENVIRONMENT DEPARTMENT

ANNEXURE—'B'

मै० लिबर्टी लैदर्ज़, करनाल

1.समिति ने वाटर पोल्यूशन बोर्ड से चाहा कि इनके ट्रीटमैंट प्लांट से फाईनल स्टेज पर निकलने वाले पानी का सैम्पल चैक करके उसकी जो भी रिपोर्ट हो समिति को जल्दी से जल्दी भेजी जाए।

माडर्न डेयरी करनाल का मौके पर निरीक्षण/आब्जर्वेशन

2.समिति ने चाहा कि पोल्यूशन विभाग माडर्न डेयरी से फाईनल स्टेज पर ट्रीट होकर निकलने वाले पानी का सैम्पल लेकर उसकी रिपोर्ट बारे में समिति को अवगत कराए।

पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत

3.पूरे प्लांट को चैक करने के बाद समिति ने निम्नलिखित आब्जर्वेशन दी :—

(i) बायलर के पास काम करने वाले कर्मचारियों को एयर पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन से बचाने के लिए कैबिन्ज का प्रावधान होना चाहिए। समिति ने साथ में यह भी चाहा कि जो पुराने कैबिन्ज बने हुए हैं उनकी रिपेयर करके और नए कैबिन्ज को जल्दी से जल्दी बनाकर समिति को इसकी रिपोर्ट दी जाए।

इस बारे में थर्मल पावर प्लांट के एक अधिकारी श्री चावला ने आश्वासन दिया कि दो महीने में इस बारे में समिति को सूचित कर दिया जाएगा।

(ii) समिति ने चाहा कि कोल हैन्डलिंग मैनटेनैंस पलांट 1 से 4 तक पक्की सड़क होनी चाहिए।

(iii) समिति ने चाहा कि कोल हैन्डलिंग मैंनटेनैंस प्लांट के फर्स्ट आयल लाईन के साथ-साथ जो सरकंडे लगे हुए हैं वे एक महीने के अन्दर-अन्दर काट दिया जाए और इस बारे में समिति को सूचित किया जाए। समिति ने यहां पर सफाई के मामले को गम्भीरता से लिया और कहा कि इस आयल लाईन के पास सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सी०एच०एम० प्लांट की ट्रैन्च हैं, से सब साफ करवाई जाएं। समिति ने कहा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए समिति कभी भी दोबारा इसको चैक करने के लिए दौरा कर सकती है।

(iv) समिति ने चाहा कि कैशन हाऊस की जो रूट्रिस हैं उनको तुरन्त बदला जाना चाहिए। टूलसकोपी शुट के बारे में समिति ने यह महसूस किया कि उसमें डस्ट आने की वजह उसकी रनिंग पोजीशन में प्रोब्लम आती है। समिति यह चाहती है कि इसको एग्जामिन करवाकर वहां पर शट्र्ज लगवाए जाएं।

समिति ने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है और थर्मल प्लांट वालों ने अपनी कर रखी है।

समिति इसके बाद टूबाईन हाल देखने के लिए गई।

(v) समिति ने चाहा कि 210 मैगावाट का जो छठा यूनिट है उसमें पायलिंग हैं। इस बारे में कमेटी ने सर्वे किया और पाया कि सारे का सारा पानी से भरा हुआ था। वहां पर बड़े-बड़े सरकंडे खड़े हुए हैं। जिनमें करोड़ों रुपये का सामान पड़ा हुआ है तथा वह वेस्ट हो रहा है। समिति ने यह महसूस किया कि सरकंडों में सामान छिपा पड़ा हुआ है और खराब हो रहा है जिससे बिजली विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। समिति ने चाहा कि सरकंडों के अन्दर दो करोड़ों रुपए के बिजली के इक्विपमैंटस पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं इनको किसी सेफ जगह पर रखा जाए और इन सरकंडों को काट कर यहां की सफाई की जाए। इसके साथ ही समिति ने यह भी चाहा कि छटे यूनिट के प्लांट की कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। समिति ने यूनिट तीन, चार और पांच के इ०एस०पी० को चैक किया और उसको रनिंग पोजीशन में पाया। इसके साथ ही समिति ने पाया कि स्वीच बोर्ड के मेन ट्रांसफामर्ज के पास एक से चार यूनिट तक बड़े-बड़े सरकंडे और घास है जो कि नहीं होने चाहिएं। इससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको जल्दी से जल्दी साफ करवाया जाए।

इसके साथ ही समिति ने चाहा कि थर्मल प्लांट का सी०एच०एम० डिविजन में और बायलर का जितना भी स्टाफ है उसके लिए डाक्टर का प्रबन्ध किया जाए जोकि कर्मचारियों का चैकअप कर सके। समिति ने यह भी चाहा है कि एक्सीडैंटस और स्पैशैलाईज केसिज के लिए कोई हास्पीटल निश्चित किया जाए ताकि, उस हास्पीटल में थर्मल प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का ट्रीटमैंट हो सके।

थर्मल प्लांट के एरिया में जितनी भी रैजीडैंशियल कालोनीज हैं और थर्मल व प्लांट के परिसर में जितनी भी बस्तियां हैं उन के पीने के पानी के सैम्पल चैक करवाए जाएं तथा उसकी रिपोर्ट समिति को जल्दी से जल्दी भेजी जाए।

एन०एफ०एल०, पानीपत

समिति ने चाहा कि इ०टी०पी० के इनलैट पानी का और आउट लैट पानी का सैम्पल लिया जाए तथा उसकी रिपोर्ट के बारे में समिति को जल्दी से जल्दी सूचित किया जाए।

समिति इसके बाद सरप्राईज विजिट के लिए नैसले इण्डिया लिमिटेड समालखा के लिए रवाना हुई।

* * * * *

ANNEXURE 'C'

Sr. No.	Name of Industry	Date of Commissi-oning	Product	Pvt. Sector/ Public Sector		Remarks
1	2	3	4	5		6
1.	M/s Haryana Distillery, Yamuna Nagar	1963	Distillery	Private Sector	(1)	The unit has installed primary ETP consisting of Bio-methanisation plant secondary ETP onsisting of biopack plant & aeropack. The unit installed tertiary ETPconsisting of diffused aeration tanks and clarifier alongwith sludge drawing beds. The unit has reduced the BOD from 50,000 mg/ltr. to 1.20 mg/ltr. against limit of 30 mg/ltr. Show cause notices has been issued to the unit to improve the working of ETP for complying the standard. Since unit was found non complying, as Such Board issued the closure order u/s 33 A of Water Act vide letter dt. 5.7.2000. Now closure has been suspended for 6 months, on the recommendation of 3 Memb-ers Committee constituted by the Apex Court vide its order dt. 23.1.2001 and direction issued by CPCB U/S 18 (1) (b) of Water Act vide its letter dt. 25.5.2001.
2.	M/s Panipat Co-op Sugar Mills, Panipat (Distillery Unit)	1969	Distillery	Public Sector	(2)	Primary ETP consisting of bio-methanisation plant installed. Secondary ETP installed. The fermentation & distillation process has been stopped by the unit in September, 1997. The lateste analysis

						report is within limit.
3.	M/s Ballarpur Industries, Yamuna nagar	1936	Pulp and Paper	Private Sector	(3)	The unit has already installed complete biological Sector ETP The unit was not complying upgraded the ETP by installing tertiary clarified in the year 1997. The unit moderniswed the existing unit at the cos of Rs. 270 crores to reduce the pollution load. The latest sample collection indicates BOD 50 mg/Lts. against 30 mg/L. the effluent samples have been collected and latest AR is within limit .Thus unit is complying. Consent 2000-2001 granted to the Unit
4.	M/s Cement Corpn. of India, Charkhi Dadri, Bhiwani	June, 1981	Cement	Central Public Sector	(4)	The unit is permantely closed.
5.	M/s Thermanl power Plant, Panipat	1979	TPP	-do-	(5)	M/s Panipat Thermal Power Plant has installed capacity 650 MW comprising of 5 Units. Out of the 5 Units, Pollution Control measures such as Electrosatic Precipitators (ESP)installed in Unit No. 1& 5 are working satisfactorily. The ESP on Unit No. 2 have been installed and the commissioning is under way. The Commissioning of the ESPs is expected to be completed by 15th of August, 1999. The ESP on Unit No.3 and 4 are already installed which require maintanance and over-hauling for their dfficiency. The ESP on Unit No. II, has not been completed vet and commissioning is still underway. show cause notice is given to the Unit.

1	2	3	4	5	6
6.	M/s Ashoka Distillery, Hathin	1987	Distillery	Private Sector	The unit had been installed ETP consistiong of Bionethanisation Reactor, unaerobic lagoons, primary aeration, primary settling, secondary-aeration, secondary settling with activated sludge process, but Unit is still non-complying. show cause notice has been issued to the Unit for achieving the Standards. Since Unit was found non-complying, as such Board issued the closure order u/s 33 A of Water Act on 3-3-2001. Now closure has been suspended for 6 months, on the recommendation of 3 Members commettee constituted by the Apex Court vide its order dt. 23-1-2001 and direction issued by CPCB u/s 18 (1) (b) of Water Act vide its letter dated 25-5-2001.

ANNEXURE 'S'

M/s liberty-Leather, Karnal

The legal sample of this unit was collected on 8-4-1999 and its result indicates that the treated water is fit for use of irrigation purpose. The unit was inspected by the High Power Haryans Vidhan Sabhs Team during January, 1999. The team appreciated the the ETP installed by the unit. The ETP is working satisfactory.

M/s Modern Dairy, Karnal.

The legal sample was collected in March, 1999 and its analysis repost indicate that the treated water is fit for use of irrigation purpose. The unit was inspected by the High Power Committee Haryans Vidhan Sabhs duriny 1999. The team appreciated the ETP installed by the unit.

M/s Panipat Thermanal Power Station, Panipat.

The Xen, C.M.D.(Plant) Panipat Thermal Power Plant vide his letter No. 7873 dated 15-7-99 has submitted point wise reply which is as under:-

(i) The Panipat Thermal Power Stm., Panipat Authority has provided two PVC double skin acconstic cabine in the boiler areas.

(ii) Work or repair/Carpeting of roads in the first phase covering main roas have been completed, In IInd phase these internal roads will be covered.

(iii) The Sarkanda around Oil Decantation line had been got removed.

(iv) The broken sheets of vursher house havs been since replaced and telescopic chuked is functioning properly.

(v) Piling area of Unit-6 was dewatered and now the work of Construction of Unit-6 is in full swing.

Male Doctor Sh. T.R.Dhawan had joined & he is checking the staff posted in CHM & boiler ares. Futher proposal for fixing a Hospital for treatment of accidental/ special case was put up to Board but the same was deffered.

Colony water has been got tested and found fit for drinking purpose.

The Environmental Enginees, Regional office, Panipat of this Baord has already sent the Analysis Report of M/s National fertilizer Limited, Panipat to the Chairman, Haryana Vidhan Sabha, Assurance Committee vide his letter No. 4422 dated 13-11-1997. A copy of the same is enclosed at Annexure 'D'.

The latest A.R. is within limt and consent 2000-2001 and 2001-2002 has been granted to the Unit.

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
197.	"दि हरियाणा रेगुलेशन एंड कंट्रोल आफ क्रेशर्ज बिल, 1991" के संदर्भ में चौ० अजमत खान द्वारा दिया गया सुझाव— "स्पीकर साहब, इन क्रेशरों की धूल से टी०बी० और अन्य प्रकार की बीमारियां मजदूरों और आस पास के रहने वाले लोगों में होती हैं साथ ही इनकी धूल से एक कि० मी० तक किसान की फसल को भी नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां तक भी ये क्रेशर लगाए जाएं, वहां नर किसान की फसल को ध्यान में रखें और अगर क्रेशर की गर्द से किसान की खेती पर प्रभाव पड़ता है या तो किसान की खेती का बीमा करवाया जाए या उसको मुआवजा दिया जाए।"	20-12-91 * * * स्पीकर साहब, इन्होंने जो फसल की बात कही है, वह बिल्कुल सही है और सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी।	पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 9-6-1992 जो कि हरियाणा सरकार के बजट (असाधारण) दिनांक 9-6-1992 को प्रकाशित हुई, अनुसार स्टोन क्रेशरज के लिये अलग-अलग सीमायें निर्धारित की गई। इस अधिसूचना की तिथि के छः माह पश्चात में किसी भी स्टोन क्रेशर जो कि राष्ट्रीय राज मार्ग से डेढ़ किलोमीटर राजकीय राजमार्ग से एक किलोमीटर, गांव की आबादी से एक किलोमीटर एवं पर्यटन केन्द्र से डेढ़ किलोमीटर के अन्दर-अन्दर लगा होगा, को चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी तथा यमुनानगर के 78 स्टोन क्रेशरज जिन्होंने विभाग से लाइसैंस नहीं लिया था तथा वह उपरोक्त दूरियां पूरी नहीं करते थे की बिजली काटने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को दिनांक 28-5-93 को आग्रह किया गया है। यह	कमेटी इस बारे लेटैस्ट पोजीशन जानना चाहती है कि कितने क्रेशर हटा दिए गए हैं और बाकी जो बचते हैं उनको हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? (19-7-93)

टिप्पणी भेजते-भेजते समय तक इन में से बहुत से स्टोन क्रेशरज की बिजली कट भी गई है। इस तरह से भविष्य में स्टोन क्रेशरज किसानों की फसलों से दूर लगाये जायेंगे जिससे फसल को नुकसान होने का अन्देशा नहीं होगा।

198. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 140 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में क्या वित्त मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(ख) राज्य में खानों तथा खनिजों के उत्खनन के लिए वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या राज्य में निजी पट्टा प्रणाली समाप्त करके खानों तथा खनिजों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस संबंध में क्या पग उठाए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

21-11-96

(ख) बड़े खनिजों के निष्कासन के लिए खान पट्टे प्रदान किए जाते हैं जबकि लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे, ठेके, लघु अवधि परमिट दिए जाते हैं। ज्यादा समय के लिए खनन पट्टे देने की बजाए खानों को सिर्फ ठेके पर देना सरकार के विचाराधीन है। इसलिए नई सरकार के गठन के उपरान्त किसी भी निजी उद्यमी को कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ANIMAL HUSBANDARY DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
199.	तारांकित प्रश्न संख्या 19 के संदर्भ में श्री देव राज दीवान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— ''अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे विस्तार से बताने की कृपा करें कि मेरे हल्के में किस-किस गांव में क्या-क्या करने की सोच रहे हैं और क्या-क्या स्कीम ये बना रहे हैं ?''	12-3-1997 ......अध्यक्ष महोदय, इनके गांव में होस्पीटल बनाने की स्कीम है। उसके लिए एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। 14 कनाल वहां पर जगह है। अभी वहां हम कंसीडर करने जा रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग बननी है, नैक्सट फाईनैंशियल ईयर में इसको कम्पलीट कर लिया जाएगा।	श्री देव राज दीवान विधायक सोनीपत के हल्के में स्थित गाँव काकरोई में अस्थाई पशु औषधालय खोल दिया गया है तथा स्थाई पशु-चिकित्सालय खोलने के नए भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास निधि को लिखा हुआ है, भवन निर्माण पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी। (20-9-2002)	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (3-10-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
200.	श्रीअजमत खां द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1260— ''क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनसे उक्त भूमि खाली करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई?''	27-2-96 फरीदाबाद में हुड्डा की लगभग 80 एकड़ भूमि पर झुग्गी वालों का अवैध तौर पर नाजायज अधिक्रमण है। झुग्गी निवासियों को पुनः बसाने के माध्यम से इस नाजायज अधिक्रमण को हटाने के लिए वर्तमान एक योजना हुड्डा के विचाराधीन है।	The cases under SLP Nos. 13361 to 13375 of 1999 Chief Administrator, HUDA & others Vs. Azad Bharat Colony and others have been converted into Civil Appeal Nos. 1153 to 1167 of 2001 by Hon'ble Supreme Court and are still pending. (25-10-2002)	The Committee would like to know the latest position in this regard. (20-11-2002)
201.	श्री उदयभान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 355 : क्या राज्यमंत्री कृपया बताएंगे कि — (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि एस. डी. एम. तथा डी. एस. पी., तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार इत्यादि के कार्यालय खण्ड विकास तथा पंचायत	7-3-2001 (प्रथम बैठक) (क) जी हां, तथापि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। (ख) जी हां।		

F.O.
2-6-03
17-11-03

Related to Revenue Deptt.
~~Development & Panchayats Deptt.~~
9-6-03

अधिकारी होडल की इमारत में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं तथा उक्त कार्यालयों का कार्य वहां पर जगह की कमी के कारण बुरी तरह से प्राभावित हो रहा है; तथा

(ख) क्या ऊपर के भाग(क) में निर्दिष्ट कार्यालयों की इमारत के लिए जमीन अर्जित करने तथा भवन निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

FINANCE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		7-3-2001 (प्रथम बैठक)		
202.	तारांकित प्रश्न संख्या 307 के संदर्भ में श्री शेरसिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही (राज्य में सभी कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत करने की) कब तक हो जाएगी और इस पर कितना खर्चा आएगा? × ×	× × मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल चार करोड़ 84 लाख रुपया खर्च होगा। हमारे यहां पर 80 सब-ट्रेजरीज हैं और 21 डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज हैं। इन सभी को कम्प्यूटराइज किया जाएगा। जहां तक इन्होंने कितने समय में यह काम पूरा हो जाएगा, के बारे में पूछा है के बारे में पूछा है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि नैक्सट फाइनैंशियल ईयर में सारी ट्रेजरीज कम्प्यूटराईज हो जाएंगी।		

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

INFORMATION AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
203.	बजट भाषण	6-3-96 *** हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम गुड़गांव में एक इलैक्ट्रानिक्स नगर बना रहा है। जिसमें पूर्णतया विकसित प्लाट व फ्लैटिड फैक्टरी माड्यूल के अतिरिक्त एक साफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्क और एक इनफर्मेशन टैक्नोलोजी पार्क व दूर संचार काम्पलैक्स भी बनाए जाएंगे।*****		
204.	श्री जनैरल सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 471; (क) क्या मुख्या मंत्री कृपया बताएंगे कि — (क) राज्य में सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ; तथा (ख) क्या विधायकों को एक-एक कम्प्यपूटर मुहैया कराने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?	8-3-2001 xxx xxx (ख) जी हां, विधायकों को कम्प्यूटर प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। xxx xxx xxx हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्यों को पहले कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वे कम्प्यूटर हैंडल करने में ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद हर माननीय सदस्य को फ्री ऑफ कॉस्ट एक-एक कम्प्यूटर मिलेगा।		

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

SPORTS DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		14-3-2001 (प्रथम बैठक)		
205.	तारांकित प्रश्न संख्या 491 के संदर्भ में श्री रमेश खटक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य सचिव महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए क्या नोर्म्ज बनाये हैं ? मेरे हल्के में भी दो-तीन गांव हैं जहा के लड़के एशियार्ड गेम्ज में खेल कर आए और गोल्ड मैडल लेकर आए थे। ये कथूरा, रिंढाना और बरौदा गांव हैं, क्या इन गांवों में स्टेडियम बनाएंगे ?	स्पीकर सर, इस तरह के स्टेडियम बनाने के लिये विशेष तौर पर प्रस्ताव पास होते हैं। छोटे से छोटे स्टेडियम के लिये भी छः एकड़ जमीन जरूरी है। अगर उन गांवों में से कोई पंचायत इस तरह का रैजुलेशन पास करेगी और कम से कम छः एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव लेकर आएगी तो वहां पर भी स्टेडियम बनाये जाने के लिये विचार किया जायेगा।	गांव कथूरा में मिन्नी स्टेडियम बनाने के लिए विभाग की ओर से राज्य सरकार के हिस्से के रूप में 75000 रुपये दिनांक 11.8.2000 को स्वीकृत किये जा चुके हैं। गांव रिंढाना व बरौदा के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि संबंधित ग्राम पंचायत से यह प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। (2-5-2002)	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (12-6-2002)
		14-3-2001 (प्रथम बैठक)		
206	तारांकित प्रश्न संख्या 491 के संदर्भ में श्री सीता राम द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने बताया कि सिरसा में एक स्पोटस स्टेडियम बनाया जाएगा तो मैं अपके माध्यम से उनसे	स्पीकर सर, सिरसा के अंदर स्टेडियम बनाने का विचार है जिसके लिए 27 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है। जहां तक स्टेडियम पर कितनी लागत आने का सवाल है तो स्टेडियम पांच लाख में भी बन सकता है, 10 लाख में भी बना सकता है। यह स्टेडियम तो बहुत बड़ा बनेगा इस लिए	उपायुक्त सिरसा एवं प्रधान जिला खेल परिषद् की ओर से राज्य स्तरीय खेल परिसर अनुमानित व्यय 1450 लाख रुपये का तैयार कर दिनांक 16.2.2001 को भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा गया था। दिनांक 11.4.01 को भारत	कमेटी इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहती है। (12-6-2002)

	पूछना चाहता हूं कि इस स्टेडियम पर कितनी लागत आयेगी और यह स्टेडियम कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा?	यह नहीं कहा जा सकता कि इस स्टेडियम के निर्माण पर कितनी लागत आएगी।	सरकार द्वारा लिखा गया है कि एक राज्य में राज्य स्तरीय खेल परिसर पहले ही फरीदाबाद में हैं, इसलिए इस स्टेडियम को जिला स्तर के स्टेडियम का प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन हेतु भेजें। उपायुक्त सिरसा को इसी प्रकार लिखा गया तथा वर्णित प्रस्ताव अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। (2-5-2002)
207.	तारांकित प्रश्न संख्या 641 के संदर्भ में श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—"अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि वालीबाल की टीम जो आल इंडिया लैवल पर चुनी गई थी उसमें से 8 लड़के 15 साल से कम उम्र के हरियाणा के थे और इनमें से अकेले करौली गांव के 6 लड़के हैं। यह गांव सिर्फ 150 घरों का है। वहां के तीन लड़के गुड़गांव स्पोर्टस होस्टल में प्रैक्टिस करने के लिए लगे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि जहां पर ये बच्चे गांव में प्रैक्टिस करने के लिए लगे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि जहां पर	22-7-98 अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि करौली गांव के तीन लड़के गुड़गांव के स्पोर्टस होस्टल में रह कर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनको मुफ्त खाना भी देंगे और दूसरी सुविधाएं भी देंगे। *** फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। जो ये जाल लगवाने की बात कर रहे हैं उसको भी लगवा देंगे।	

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	चारों तरफ एक जाल लगाया जाता है क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त वालीबाल इस मैदान के साथ लगते तालाब में चली जाती है और वालीबाल पानी में गिरते ही खराब हो जाती है। इस जाल को लगाने पर तकरीबन 40 हजार रुपया खर्च होना है। मैं चाहूंगा कि इस जाल को सरकार तुरंत लगवाने का प्रबंध करे ताकि ये बच्चे अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकें।"			

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
208	राज्यपाल का अभिभाषण	5-3-2001 ×××× शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 18.5 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत डेरियों को छः शहरों, नामतः ,रोहतक, हिसार, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यमुनानगर तथा जगाधरी में शहर से बाहर स्थानांतरित किया जायेगा। नगर निगम, फरीदाबाद की भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित लगभग 1500 डेरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना है। ×××	Related to Urban Development Department Dt. on 12/5/13	

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
209.	श्री बलबीर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 673; क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या महम निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित गांवों की भूमि जोत की चकबन्दी करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है— 1. निंदाणा; 2. भैणी चन्द्रपाल ; 3. गिरावड़ ; तथा 4. मोखरा–खेड़ी रोज ; तथा (ख) यदि हां, तो इसके कब तक करवाने की संभावना है ?	5-3-2001 ×××× शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 18.5 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत डेरियों को छः शहरों, नामतः ,रोहतक, हिसार, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यमुनानगर तथा जगाधरी में शहर से बाहर स्थानांतरित किया जायेगा। नगर निगम, फरीदाबाद की भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित लगभग 1500 डेरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना है। ××× F-O 7.7.03	चारों गावों की स्थिति निम्न प्रकार से है :— 1. निदाना 8836 एकड़ इस गांव की चकबन्दी स्कीम में इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14.3.2002 द्वारा इस कारण संशोधन करने की स्वीकृति दी गई क्योंकि जो रास्ते चकबन्दी स्कीम के अनुसार छोड़े गये थे उनके बजाये गांव गुगा खेड़ी को जाने वाले रास्ता को पुराने नम्बरान पर पक्का करने के फलस्वरूप भू-स्वामियों के कब्जाजात पर प्रभाव पड़ा था। इस स्वीकृति के आधार पर इस गांव की स्कीम पुनः बैरी होकर प्रकाशित कर दी गई है। 2. भैणी चन्द्रपाल 3934 एकड़ इस गांव का प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार कर लिया गया है और चकबन्दी स्कीम के लिए रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। 3. गिरावड़ 4452	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (7-11-2002)

इस गांव की स्कीम में संशोधन करने के पश्चात प्रकाशित कर दी गई है।

4. मोखराखेड़ी रोझ 6361 एकड़

इस गांव के दो अलग राजस्व सर्कल बनने के बाद राजस्व विभाग द्वारा इन दोनों गांवों की नवीनतम जमा बन्दियां तैयार नहीं की गई है जैसे ही तैयार हुई जमाबन्दियां प्राप्त होगी तो चकबन्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(23-10-2002)

12-6-2001

(प्रथम बैठक)

210. तारांकित प्रश्न संख्या 673 के संदर्भ में श्री नफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ उपमण्डल में कई बड़े-बड़े गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का काम नहीं हुआ है जैसे छारा, मांडोठी, आसोदा। क्या सरकार इन गांवों में चकबन्दी करवाने का विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय, जिला झज्जर के आठ गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है जैसे छारा, मांडोठी, बाड़सा, आसोदा, टोड्रान, बराही खेड़ी, मोहम्मदपुर माजरा, कलोई। छारा गांव में चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है। मांडोठी गांव जो माननीय विधायक जी के हल्के में आता है, में चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है। इसी तरह बाड़सा में भी चकबन्दी की स्कीम चल रही है। चूंकि स्टाफ का अभाव है। इन 89 गांवों को छोड़कर 54 के करीब गांवों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। उपरोक्त झज्जर के 8 गांवों में से खेड़ी को छोड़कर बाकि सभी

जिला झज्जर के चकबन्दी के लिए बकाया आठों गांवों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है।

1. छारा
2. मण्डोठी
3. बाढ़सा
4. आसौदा टोहरा
5. कलौई

इन पांचों गांव का रिकार्ड नवीनतम जमाबन्दियां बनाने हेतु राजस्व विभाग जिला झज्जर को इस कारण से बापिस कर दिया गया है क्योंकि इन गांवों

समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।

(7-11-2002)

F.O. 7.7.03

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		गांवों के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। खेड़ी गांवों में क्योंकि जोतो का विभाजन होना है। इसलिए वहां यह कार्य पूर्ण होने के बाद चकबन्दी के कार्य को टेक अप करेंगे।	की जमाबन्दियां 1950-51 व 1951-52 व 1954 की बनी हुई थी और उर्दू भाषा में खस्ता हालत में थी। जिससे भू-स्वामियों को रिकार्ड तैयार करने में विभाग को काफी दिक्कतें आ रही थी। जैसे ही नवीनतम जमाबन्दियां प्राप्त होंगी तदानुसार चकबन्दी कार्य शुरू कर दिया जायेगा। 6. बराही 2610 एकड़ इस गांव का प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार किया जा रहा था परन्तु गांव के भू-स्वामी भूमि की कीमते लगवाने के लिए सहयोग नही दे रहे हैं और न ही निशानदेही में सहयोग दे रहे है। इस बारे पहले ही विस्तारपूर्वक स्थिति से सरकार को अवगत कराया जा चुका है। 7. मोहम्मदपुर माजरा 3775 एकड़ इस गांव की चकबन्दी स्कीम प्रकाशित की जा चुकी है। इसे मन्जूरी मिलते ही भूमि की तकसीम का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	

8. खेड़ी होशदारपुर 1498 एकड़

इस गांव के भू-स्वामियों द्वारा कब्जा तबदीली में सहयोग न दिये जाने के कारण पुराने कार्य को रिवोक करते हुये कीमत अन्दाजी की स्टेज से पुनः कार्य शुरू किया गया है और प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।

(23-10-2002)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		12-6-2001 (प्रथम बैठक)		
211.	श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 37—क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या— अम्बाला छावनी में एक न्यायकि संव्यूह का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा अम्बाला शहर से दीवानी अदालतें उक्त संव्यूह में कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है?	अम्बाला छावनी में न्यायकि संव्यूह के निर्माण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है **********	अम्बाला छावनी में न्यायिक संव्यूह के निर्माण का मामला कार्यवाही अधीन है और इसके लिये स्थान का अनुमोदन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। इसके लिये ड्राईंगज एवं साईट प्लान मुख्य वास्तुक हरियाणा से अपेक्षित है। (23-5-2002)	समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (12-6-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
212.	वर्ष 1998-99 का बजट।	21-7-98 ****राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर 152.79 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि वर्ष 1998-99 के लिए राज्य सरकार का इन कार्यक्रमों पर 229.64 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है जिसमें 101.10 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो केन्द्र सरकार द्वारा सीधी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दी जानी सम्भावित है।	ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 1997-98 के दौरान गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुल 78.44 करोड़ (7844.41 लाख) रुपये खर्च किये। वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य के विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 104.29 करोड़ (10429.49 लाख) रुपये इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च किये गये, जिसमें से (7707.07 लाख) 77.07 करोड़ रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा सीधी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दी गई है। (18-4-2002)	The Committee would like to oral examine in this regard. (23-4-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
213.	बजट भाषण	6-3-96 ***राज्य के 30 खंडों में समन्वित राज्य ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान इस परियोजना को 4 अन्य खण्डोंम में लागू किया जाएगा। राज्य में एक हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी और दो ऊर्जा पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।	हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम खण्ड रोहतक, सोनीपत, मडलौडा व डबवाली में लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वर्ष 1997-98 से यह कार्यक्रम इन खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (HAREDA) का गठन सरकार द्वारा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी.एन.ई.एस./3/97/1378 दिनांक 30.5.1997 की कापी संलग्न की जा रही है। ये ऊर्जा पार्क रिजिनल इंजिनियरिंग कालेज कुरुक्षेत्र, कालेज आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी, एच०ए०यू० हिसार व सर छोटू राम स्टेट कालेज ऑफ इंजिनियरिंग, सोनीपत में स्थापित किये जा चुके हैं। (24-9-02)	समिति इस बारे में लेटैस्ट पोजीशन जानना चाहती है। (3-10-2002)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

INDUSTRIEAL TRAINING DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र॰ संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
214.	वर्ष 1998-99 का बजट	21-7-98 ***चालू वित्त वर्ष में 40 नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा निसिंग फतेहाबाद और कलानौर में तीन नये आई॰टी॰आई॰ खोलने, ऑ॰टी॰आी॰ की 12 ''गेस्ट क्लासिज़'' का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण आी॰टी॰आई॰ का दर्जा देने तथा 26 आई॰टी॰आी॰ (महिला) शाखाओं को पूर्ण आी॰टी॰आी॰ (महिला) बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1998-99 के लिए इस विभाग के लिए 20.87 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का प्रस्ताव है।		